



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23—मार्च 29, 2013 (चैत्र 2, 1935)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23—MARCH 29, 2013 (CHAITRA 2, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	59	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	427	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	413	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	243
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	791
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	467
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS.

Page No.	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	59
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	427
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	413
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the	
	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	243
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	791
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	467
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2013

आदेश

सं. 5(4)/2009-एमएफ - विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, 1995 की सिविल रिट याचिका 657 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पोट भंजन और पोट पुनर्चक्रण हेतु विस्तृत संहिता बनाती है।

अनुसूची

पोत भंजन संहिता, 2013

अध्याय-I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम पोट भंजन संहिता, 2013 है।

(2) यह संहिता राजपत्र में इसके प्रकशन की तारीख से प्रवृत्त होगी और तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संबंधित अधिनियमों को इस संहिता के अनुरूप संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

परिभाषाएं :-

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. एईआरबी से परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है।

- ii. "प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण यार्ड" से एसएमबी या पतन न्यास/प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से आबंटित, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अहानिकर पोत पुनर्चक्रण की व्यवस्था करने के लिए विकसित किया गया/किए गए पोत पुनर्चक्रण भूखण्ड या भूखण्ड संकुल अभिप्रेत है जिसके लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ "प्राधिकार पत्र" जारी कर दिया गया हो।
- iii. "नकद क्रेता" से ऐसा व्यक्ति या कम्पनी अभिप्रेत है जो छह माह से कम समय के लिए पोतों का स्वामित्व रखता हो।
- iv. "जोखिमपूर्ण सामग्रियों के स्टॉक का प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें सामुद्रिक प्रशासन द्वारा यथाविहित प्ररूप में पोत पर मौजूद जोखिमपूर्ण सामग्री की सूची दी गई हो।
- v. डीजी एफएएसएलआई से श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक तकनीकी इकाई कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान अभिप्रेत है।
- vi. "महानिदेशक पोत परिवहन" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबंधों के अधीन गठित प्राधिकरण, पोत परिवहन महानिदेशालय अभिप्रेत है।
- vii. "कारखाना निरीक्षक" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत होगा।
- viii. "पोत पुनर्चक्रण भूखण्ड/यार्ड/सुविधा का मालिक" से पोत पुनर्चक्रण भूखण्ड/यार्ड के उपयोग के लिए राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी) या पतन न्यास द्वारा अनुज्ञापन प्राप्त कोई व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है।
- ix. "पतन प्राधिकारी" से राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी) द्वारा नियुक्त और प्राधिकृत पतन अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति अथवा महापतन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन पतन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है।
- x. "पुनर्चक्रण हेतु तैयार प्रमाणपत्र" से सामुद्रिक प्रशासन या सामुद्रिक प्रशासन द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो यह प्रमाणित करता हो कि पोत द्वारा वर्तमान संहिता और अनुप्रयोज्य अंतरराष्ट्रीय विनियमों का पालन किया जा रहा है।
- xi. "सुरक्षा अधिकारी" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40-ख के अनुसार जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।
- xii. "पर्यवेक्षक" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-ग (ख) के अनुसार जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में सुरक्षा प्रावधानों का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त सुरक्षा पर्यवेक्षक अभिप्रेत है।
- xiii. इस संहिता में यथा प्रयुक्त "पोत" से सामुद्रिक वातावरण में चलाए जाने वाले पोत और किसी भी प्रकार के तैरने वाले ढांचे अभिप्रेत है और इसमें भंजन के लिए निदिष्ट सबमर्सिबल्स, तैरते यान, तैरते प्लेटफार्म, सेल्फ एलिवेटिंग प्लेटफार्म, तैरती भण्डारण इकाई, तैरती उत्पादन भण्डारण इकाइयां और माल उतारने वाली इकाइयां, उपकरण हटाया हुआ या खींचकर ले जाया जा रहा पोत शामिल हैं।
- xiv. "पोत पुनर्चक्रण" से पोत पुनर्चक्रण अभिप्रेत है और इसमें वे लोग या पक्षकार शामिल हैं जो प्राधिकृत पुनर्चक्रण यार्ड में पोत पुनर्चक्रण कार्यकलाप करते हैं।
- xv. "पोत पुनर्चक्रण कार्यकलाप" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं, पोत को किनारे टिकाना (बीचिंग), काटना, पोत के हिस्से अलग-अलग करना और पोत-पुनर्चक्रण यार्ड में अलग किए गए हिस्सों से निकली समस्त सामग्री का सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अहानिकर तरीके से निपटान करना।
- xvi. पोत पुनर्चक्रण भूखण्ड या यार्ड : एसएमबी या पतन न्यास द्वारा यथानिर्णीत उपयुक्त आयाम का भूमि का खण्ड जिसमें पोत भंजन कार्यकलाप किए जाते हैं।

xvii. "एसएमबी" से भारत पतन अधिनियम, 1908 के अधीन नियत की गई भूमिका और कार्यों के अनुसार राजपत्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सामुद्रिक बोर्ड अभिप्रेत है।

xviii. "एसपीसीबी" से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और यह जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित बोर्ड या समिति है।

xix. "एसआरपी" से पोत पुनर्चक्रण योजना अभिप्रेत है। यह पोत का सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अहानिकर तरीके से पुनर्चक्रण करने के लिए पोत पुनर्चक्रण द्वारा विकसित किया गया योजना प्रलेख है।

xx. "एसआरएफएमपी" से पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना अभिप्रेत है। पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना में अनुमोदित योजना के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित विभिन्न सुविधाओं से सज्जित पोत पुनर्चक्रण के लिए भूखण्ड शामिल है।

xxi. "कामगार" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन परिभाषित कामगार अभिप्रेत है।

अध्याय -II

पोतों और विशेष चिंता वाले पोतों की श्रेणियां

2.1 पोतों का वर्गीकरण

परमाणु शक्ति चालित पोत, नौसैनिक पोत; 20,000 लाइट विस्थापन टन भार (एलडीटी) या इससे अधिक भार वाले यात्री अथवा यात्री सह रोल ऑन/रोल ऑफ (आरओआरओ) पोतों पेट्रोल, तेल और रसायन वाहक टैंकरों, अपतटीय उत्पादन हेतु तैरते प्लेटफार्मों (एफपीएसओ) और 8 मीटर से अधिक के मीन ड्राफ्ट वाले ऐसे पोतों जिन्हें किनारे टिकाने (बीचिंग) के लिए तटीय आधार रेखा से 1.5 किलोमीटर या अधिक दूरी पर खड़ा करना आवश्यक होत है, और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक जोखिमपूर्ण माल (आईएमडीजी) वाहक पोतों को 'विशेष चिंता' वाले पोत माना जाएगा। 'विशेष चिंता' वाले पोतों से इतर पोतों को सामान्य चिंता वाले पोत माना जाएगा।

2.2 विशेष चिंता वाले पोतों की विशिष्टताएं

नीचे दी गई सारणी में रखे गए ये पोत जोखिमपूर्ण पदार्थों की मात्रा - एस्बस्टस युक्त पदार्थ (एसीएम), पोलिक्लोरोनिटेड बाईफेनाइल्स (पीसीबी), पोतों के ढांचे में अन्तर्विष्ट रेडियोसक्रिय पदार्थ और किनारे टिकाने (बीचिंग) में परेशानी और साथ ही इस्पात संरचना की जटिल प्रकृति, जिसके कारण इसको काटना मुश्किल होता है और इसमें सुरक्षा संबंधी जोखिम भी होता है, से संबंधित निम्नलिखित अलग-अलग विशिष्टताओं के कारण 'विशेष चिंता' वाले पोत माने जाते हैं। अभिकरणों द्वारा नीचे दी गई सारणी में दी गई रूपरेखा के अनुसार ऐसे पोतों का निरीक्षण और गहरी निगरानी की जाएगी :-

श्रेणी	चिंता का स्वरूप	आवश्यक अवसंरचना और आवश्यक सावधानियां
युद्धपोत	पीसीबी, एसीएम और रेडियोसक्रिय पदार्थों की भारी मात्रा	रेडियोसक्रिय एवं अन्य जोखिमपूर्ण पदार्थों की चिन्तित मात्राओं को संभालने के लिए पर्याप्त, स्वीकृत अवसंरचना और निकट ही उपलब्ध निपटान सुविधाओं सहित यार्ड पर पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ, परमाणु ऊर्जा
		विनियामक बोर्ड (ईईआरबी), सीमा शुल्क विभाग, नौसेना, राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निरीक्षण एवं कड़ी निगरानी। राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण सूचना, निरीक्षण और निगरानी का समन्वयन करेगा।

बड़े मानीवाहक पोत (20,000 या इससे अधिक एलडीटी वाले या 8 मीटर से अधिक मीन ड्राफ्ट वाले)	पीसीबी, एसीएम की भारी मात्रा	किसी रेडियोसक्रिय पदार्थ के लिए एईआरबी द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी। चिन्हित मात्राओं के हथालन के लिए पर्याप्त अवसरचना, निकट ही उपलब्ध पर्याप्त स्वीकृत अवसरचना और निपटान सुविधाएं, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ, सीमा शुल्क विभाग, एसपीसीबी और संबंधित एसएमबी/पतन प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी।
परमाणुशक्ति चालित पोत और नौसैनिक पोत	अवशिष्ट विकीरण स्तर	अवशिष्ट विकीरण स्तर की एईआरबी द्वारा निगरानी और यदि इनका स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया जाए तो इन्हें संदूषण रहित करने के लिए उपाय सुझाना। पोत की अंतिम समुद्री यात्रा से पहले और इसे पुनर्चक्रण हेतु भेजने से पहले पोत के मालिक द्वारा संयंत्र, क्रोड और समस्त रेडियोसक्रिय अपशिष्ट हटाया जाना। एईआरबी, सीमा शुल्क विभाग, नौसेना, राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी।
8 मीटर से अधिक के मीन ड्राफ्ट वाले ऐसे डीपड्राफ्ट पोत जिन्हें किनारे टिकाने (बीचिंग) के लिए तटीय आधार रेखा से 15 कि.मी. या इससे अधिक दूरी पर खड़ा करना आवश्यक होता है।	किनारे टिकाने (बीचिंग) के दौरान तट से दूरी और भूखण्ड तक खींच कर ले जाने में परेशानी	जोखिमपूर्ण पदार्थों या जोखिमपूर्ण अवयवों से युक्त पदार्थों का अंतरण करते समय इनको समुद्र में न फैलने देने के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। सीमा शुल्क विभाग, संबंधित राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय जोखिमपूर्ण माल	मालवाहक टैंकों में जोखिमपूर्ण अवशिष्ट	चिन्हित मात्राओं को संभालने के लिए याई पर पर्याप्त अवसरचना, स्वीकृत अवसरचना और निकट ही उपलब्ध निपटान सुविधाएं, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ, एसपीसीबी और संबंधित एसएमबी/पतन प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी।
अपटीय उत्पादन हेतु तैरते प्लेटफार्म, पेट्रोलियम, रसायन और तेल वाहक टैंकर	किनारे टिकाने (बीचिंग) संबंधी समस्याएं प्लेटफार्म तथा पोतों में जोखिमपूर्ण अपशिष्ट	जोखिमपूर्ण पदार्थों या जोखिमपूर्ण अवयवों से युक्त पदार्थों का अंतरण करते समय इनको समुद्र में न फैलने देने के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। सीमा शुल्क विभाग, संबंधित राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और कड़ी निगरानी।

अध्याय-III

लंगर डालने की प्रक्रिया

3.1 लंगर डालने की प्रक्रिया

3.1.1 पतन क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत, पोत को यह अनुमति दी जाती है कि वह समुद्र तल में एक या इससे अधिक लंगर डाल सके। इससे पोत बहाव से बचा रहता है; एक ही स्थान पर टिका रहता है, और इससे नावों से पोत में

चढ़ने-उतरने में सुविधा होती है। लंगर पर टिका कोई पोत अपने लंगर को उठा सकता है तथा प्रस्थान कर सकता है। इस प्रकार लंगर डालने की प्रक्रिया पूरी तरह से फिर से शुरू या अंत की जान सकने वाली प्रक्रिया है। समुद्र तट पर किनारे चढ़ाने (बीचिंग) का मतलब तट के समीप जहाज के जमीन में लग जाने से है, जिसका प्रयोजन बीचिंग प्रक्रिया से पोत का तोड़ा जाना होता है। पोत को स्वयं उसकी शक्ति से या रस्सी से खींचकर समुद्र तट की ओर लाया जाता है। इस तरह का पोत गतिहीन हो जाता है; और सामान्यतया उसे वापस जल में तैराया नहीं जा सकता। इस प्रकार पोत के किनारे चढ़ाने (बीचिंग) के बाद पोत को पहले की स्थिति से वापस नहीं लाया जा सकता।

3.1.2 "पोत पुनर्चक्रण" की प्रक्रिया में पोत के द्वारे को तोड़ा जाता है। इसमें पोत के सभी गियरों तथा उपकरणों को हटाने से लेकर उन्हें काटे जाने तथा पोत के आंतरिक ढांचे को तोड़े जाने जैसी सभी कार्य शामिल होते हैं। लंगर पर टिके पोत, या अन्यथा किसी तैरते पोत को पूरी तरह से मानव चालित रखे जाने की जरूरत होती है, जिसमें कम से कम जेनरेटर तो चल ही रहे होते हैं।

3.2 पूर्व सूचना

3.2.1 सभी पोत भारतीय सामुद्रिक सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व सामुद्रिक बचाव समन्वय केन्द्र (एमआरसीसी) को इसकी जानकारी देते हैं। पतन को दी जाने वाली पूर्व सूचना में इस बात का भी उल्लेख होगा कि पोत भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र (आईएसएसआर) में प्रवेश करने के क्रम में इस सूचना को एमआरसीसी/भारतीय तटरक्षक दल को यह कहते हुए प्रेषित करेगा कि यह पोत पुनर्चक्रण के लिए पोत पुनर्चक्रण याई की ओर जा रहा है। मशीन खराब होने की स्थिति में पोत को इससे आवश्यक मदद मिलेगी, तथा समुद्री आंकड़ा संग्रहण प्रणाली (ओडीएस) तथा बाहरी लंगर क्षेत्र में ठहरे पोतों के साथ कोई दुर्घटना होने से बचा जा सकेगा।

3.3 लंगर डालने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया:

3.3.1 पोत का स्वामी संबंधित राष्ट्र के सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण को पोत के पुनर्चक्रण हेतु पहुंचने से पूर्व अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुरूप यह सूचना देगा कि पोत पुनर्चक्रण याई भेजा जा रहा है।

3.3.2 अनुबंध-I के अनुसार, पोत के आगमन के संभावित समय (ईटीए) की सूचना के उपरांत, पोत का स्वामी या पोत का पुनर्चक्रण करने वाला व्यक्ति, पोत के संभावित आगमन समय के 3 हफ्ते पूर्व, संबंधित राष्ट्र के सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सीमा-शुल्क विभाग के समक्ष डेस्क समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और पतन में पोत की प्रवेश-अनुमति के लिए पतन प्रभार का भुगतान करेगा:-

(i) पोत का ब्यौरा:-

- पोत का नाम
- अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आई एम ओ) द्वारा जारी पहचान सं.
- आई एम ओ में पंजीकृत स्वामी की पहचान संख्या
- पोत के संबंधित राष्ट्र का ध्वज
- परिचय-संकेत
- पोत के मास्टर का नाम तथा उसकी राष्ट्रीयता
- कर्मि दल की सूची
- संकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी)/शुद्ध पंजीकृत टनभार (एनआरटी)/लाइट विस्थापन टनभार (एलडीटी) - संबंधित दस्तावेजों सहित।

- यात्रा के अंतिम पतन से प्राप्त पतन स्वीकृति
- आईएमओ पंजीकृत स्वामी पहचान संख्या की प्रतिलिपि
- पोत के आईएमओ पंजीकरण की प्रति
- पोत के स्वामी तथा मास्टर का नाम, पते, संपर्क, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते जैसे स्वामित्व ब्यौरे का प्रमाण।

(v) केवल "पोत पंजीयक" से न कि किसी एजेंट से प्राप्त "सत्यापित पंजीयन प्रमाण-पत्र", की सत्यापित असल प्रति, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित पोत पर कोई पंजीकृत रेहन नहीं है और वह पोत सामुद्रिक गृहणाधिकार तथा ऋणग्रस्तता से मुक्त है, प्रमाण-पत्र में पोत पंजीयक का ई-मेल पता हो। ऐसे पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति 7 दिन से पहले जारी न की गई हो।

(vi) पोत पुनर्चक्रण कर्ता के साथ संपन्न समझौता-ज्ञापन की प्रति।

3.3.3 संबंधित राज्य के एसएमबी/पतन प्राधिकरण के अनुरोध पर डेस्क समीक्षा स्तर पर पोत स्वामी या पुनर्चक्रण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पोत परिवहन निदेशालय द्वारा तटरक्षक विभाग के परामर्श से जांची जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि कोई दस्तावेज नकली है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है तो संबंधित पोत के स्वामी/पुनर्चक्रक को पोत के भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश की मनाही के बारे सूचित कर दिया जाएगा।

3.4 लंगर डालना

3.4.1 पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/सीमा-शुल्क द्वारा डेस्क समीक्षा के उपरांत, संबंधित पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड द्वारा पोत के लंगर डालने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यदि इनमें से किसी भी एजेंसी द्वारा लंगर डालने की मनाही की जाती है तो पोत के स्वामी का यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील कर सके।

3.4.2 यदि सभी संबंधित एजेंसियां डेस्क समीक्षा से संतुष्ट हैं और लंगर डालने की मंजूरी देती हैं तो राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण द्वारा लंगर डालने संबंधी सुरक्षा अनुदेश दिए जाएंगे, पेट्रोलियम टैंकर के कार्गो फोल्ड टैंकों के लिए गैस मुक्त तथा ताप संबंधी कार्य संबंधी अनुमति के लिए पीईएसओ द्वारा पोत की वास्तविक जांच-पड़ताल की जाएगी; युद्धक पोत/नौसेना पोतों का, जो परमाणु उर्जा चालित हैं, सत्यापन परमाणु उर्जा विनियामक बोर्ड (ईईआरबी) द्वारा, बड़े यात्री जहाजों का, जिनकी क्षमता 20,000 एलडीटी से अधिक हो, सत्यापन जीपीसीबी द्वारा किया जाएगा; सभी पोतों की जांच सीमा-शुल्क विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ-साथ नौ सेना द्वारा भी की जाएगी। यदि कोई पोत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार, या किसी भी एजेंसी द्वारा की गई जांच के अनुसार अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो स्वामी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील करने का हकदार होगा।

3.5 संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पोत पर जाने के समय उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज

3.5.1 लंगर डालने की अनुमति दिए जाने के उपरांत ही जहाज पर चढ़ा जाना चाहिए। जहाज पर चढ़ने के क्रम में, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए:-

(i) मास्टर का प्रमाण-पत्र - मूल, जिसमें आईएमओ संख्या हो, तथा जिसमें निम्नलिखित चीजों का उल्लेख हो:-

क. जोखिमपूर्ण सामग्री की सूची

ख. गैसों की सामान-सूची

ग. पोत पर-रेडियोधर्मी सामग्री की सूची

घ. CO₂ संबंधी घोषणा

ङ. खुले समुद्र में बैलस्ट वॉटर एक्सचेंज की पुष्टि

च. पोत पर पड़े बंकर ऑयल/ल्यूब ऑयल अथवा अन्य तैलीय पदार्थ की पुष्टि

(ii) पोतभार घोषणा प्रपत्र;

(iii) सुरक्षित मानव संचालन प्रमाण-पत्र;

(iv) कर्मी दल का योग्यता प्रमाण-पत्र;

(v) सुरक्षित तथा पर्यावरण दृष्टि से बुद्धिमान पोत पुनर्चक्रण संबंधी हांगकांग अभिसमय के भारत द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी द्वारा प्रमाणित/तैयार जोखिमपूर्ण सामग्री की सूची (आईएचएम), प्रमाण-पत्र और अभिसमय का भारत द्वारा अनुसमर्थन न किए जाने तक एसएमबी को पोत के मास्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्ताक्षरित सामान-सूची;

(vi) पतन में लागू दर पर देय शुल्क का विक्रेता/एजेन्ट द्वारा भुगतान;

(vii) उस राज्य का नाम, जिसका ध्वज वह पोत लगाने का हकदार है;

(viii) बिल्डिंग डिलीवरी पर हल संख्या;

(ix) पोत का नाम और प्रकार तथा उसके पंजीकरण की तिथि;

(x) पोत के पंजीकरण का पतन;

(xi) पोत स्वामी का नाम तथा पता;

(xii) उस वर्गीकरण सोसायटी का नाम, जिसके साथ वह पोत वर्गीकृत किया गया हो;

(xiii) पोत का मुख्य ब्यौरा जैसे पूरी लंबाई (एलओए), चौड़ाई (मोल्डेड), गहराई (मोल्डेड) लाइटवेट पोतभार वहन क्षमता, सकल तथा शुद्ध टनभार, तथा इंजन का प्रकार।

3.5.2 पोत बेचने वाले नकदी क्रेता की स्थिति में, पतन प्राधिकारियों/राज्य सामुद्रिक बोर्ड प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे:-

i. स्वामित्व का प्रमाण जैसे पोत के स्वामी तथा पोत के मास्टर का नाम, पता, उनकी दूरभाष संख्या, ई-मेल पते;

ii. नकदी क्रेताओं को पोत को किनारे चढ़ाने (बीचिंग) संबंधी अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क. उसके पक्ष में बिक्री के बिल की नोटरीकृत प्रमाणित प्रति;

ख. उसके पक्ष में वास्तविक सुपुर्दगी संबंधी नोटरीकृत प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति;

ग. उसके पक्ष में "पंजीयन प्रमाण-पत्र" की प्रमाणित असल प्रतिलिपि, जिसमें यह उल्लेख हो कि पोत पर कोई पंजीकृत रेहन नहीं है, तथा वह सामूहिक गृहणाधिकार तथा ऋणभार से मुक्त हो तथा यह प्रमाणपत्र पोत पंजीयक द्वारा ही जारी किया गया हो, न कि किसी एजेन्ट द्वारा। प्रमाण-पत्र में पोत पंजीयक का ई-मेल पता होना चाहिए; और

घ. इस आशय का प्रमाण-पत्र कि पोत पर कोई जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है।

3.5.3 नकदी क्रेता सहित विक्रेता की स्थिति में, दस्तावेजों की जालसाजी से बचने के लिए पतन में पंजीकरण की नोटरीकृत प्रति, जिसने उस पतन का ई-मेल पता भी हो, भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.6 सीमा-शुल्क के आकलन के लिए सीमा-शुल्क के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाएं/दस्तावेज

3.6.1 पोत के आगमन के संभावित समय के कम से कम तीन हफ्ते पहले विक्रेता या उसके एजेन्ट द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे/दस्तावेज सीमा-शुल्क कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क. जहाज का नाम

ख. अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक संगठन (आईएमओ) पहचान सं.

- ग. संबंधित राष्ट्र का ध्वज
घ. परिचय-संकेत
ड. रेडियो उपकरण सूची
च. पोत अंतरण सूची
छ. पोत के मास्टर का नाम तथा उसकी राष्ट्रियता
ज. कर्मीदल की सूची, वैयक्तिक संपत्ति सूची तथा पोत पर मुद्रा की सूची
झ. सभी कर्मियों के पासपोर्ट/सतत विमुक्ति पत्र पुस्तिका
ञ. सकल पंजीकृत टनमार/शुद्ध पंजीकृत टनमार/लाइट विस्थापन टनमार (संबंधित दस्तावेज सहित)

3.6.2 पोत से भिन्न तैरने वाले अन्य ढांचों की स्थिति में सीमा-शुल्क विभाग में केवल स्वामित्व का ही प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.6.3 पोत के आगमन के 24 घंटे के भीतर ही सीमा-शुल्क अधिकारी पोत पर पहुंचेंगे (सीमाशुल्क विनियम के अनुसार)

3.6.4 सीमाशुल्क अधिकारी सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे; पोत के मास्टर से पिछले पतन से मिली मंजूरी (पीसी) को लिया जाएगा; मास्टर के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।

3.6.5 सीमाशुल्क कार्यालय का तलाशी अधिकारी इस बात की पूरी पड़ताल तथा सत्यापन करेगा कि पोत पर कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं है। सीमाशुल्क कार्यालय संगत अधिनियमों तथा सीमाशुल्क विनियमनों के अंतर्गत कर्मीदल के निजी सामानों, सभी भंडारों तथा सामान-सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा।

3.6.6 उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात्, पोत के मास्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित इनवर्ड जनरल मैनिफेस्टों दाखिल किया जाएगा। विक्रेता विद्यमान दरों पर देय सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता/एजेन्ट सीमा-शुल्क कार्यालय को (लंगर डालने की अवस्थिति, आगमन समय इत्यादि) आगमन की सूचना देगा।

3.6.7 क्रेता/आयातक घरेलू उपभोग हेतु आगम-पत्र को शुल्क के आकलन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा:-

- (i) बंकर की सर्वेक्षण रिपोर्ट;
(ii) विक्रेता तथा क्रेता का समझौता ज्ञापन (एमओए), जिसने दोनों का पता तथा ई-मेल पता हो, तथा दोनों के हस्ताक्षर हों;
(iii) साख-पत्र (एलसी) की प्रति या भुगतान के तरीके का अन्य दस्तावेजी प्रमाण;
(iv) घरेलू उपभोग हेतु आगम-पत्र की प्रति;
(v) वास्तविक सुपुर्दगी प्रमाण-पत्र;
(vi) आयातक के पक्ष में आई ई सी कोड दर्शाने वाला दस्तावेज;
(vii) (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.09.2007 के अनुसार संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिए जाने तथा (ii) सत्यापन पूरा होने की तिथि संबंधी पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड का पत्र और सीमा-शुल्क की प्रति सहित एजेन्ट को संबोधित अनापति प्रमाण-पत्र;
(viii) इस आशय का वचन पत्र-I कि बिक्री में शामिल वस्तुओं से भिन्न वस्तुएं पोत अंतरण द्वारा स्वामी को वापस कर दी जाएंगी तथा सुपुर्द की गई अन्य चीजें उनके एजेन्ट के माध्यम से सीमा-शुल्क कार्यालय को सौंप दी जाएंगी;

(ix) इस आशय का वचन पत्र-II कि वह पोत को तोड़ने की कार्यवाई तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक सीमा-शुल्क कार्यालय के समुचित अधिकारी द्वारा संबंधित अनुमति जारी न की जाए;

- (x) गैस सिलेंडरों के निपटान संबंधी अनुदेशों के अनुपालन हेतु वचन पत्र;
(xi) बिक्री के मूल बिल तथा व्यावसायिक बीजक प्रस्तुत किए जाने तथा खरीद मूल्य में किसी विसंगति की स्थिति में शेष शुल्क का भुगतान करने के आशय का वचन पत्र-III;
(xii) इस आशय का वचन पत्र-IV, कि मशीनरी तथा इंजन के पाईप से इकट्ठा किए गए तेल की मात्रा का निपटान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा;
(xiii) बंकर रिपोर्ट सहित सामान, कलपूर्जों तथा भंडारण की सूची;
(xiv) सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें पोत पर बंदर/तेल की मात्रा का सत्यापन, पोत के एलडीटी की पुष्टि, कार्यशील प्रोपेलर/अतिरिक्त प्रोपेलर/अतिरिक्त एन्कर/अतिरिक्त टेल शैफ्ट इत्यादि की उपलब्धता का प्रमाणीकरण हो; पोत की पतन योग्यता का प्रमाण हो;
(xv) सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम, 1998 के नियम 10 के संदर्भ में घोषणा;
(xvi) आगम-पत्र का अस्थायी आधार पर आकलन किए जाने हेतु आयातक के अनुरोध सहित पोत संबंधी बिक्री के मूल बिल तथा वाणिज्यिक बीजक के लंबित होने की स्थिति में प्राविजन असेसमेन्ट बॉर्ड, और
(xvii) तेल टैंकरो की स्थिति में पेट्रोलियम और विस्फोटक संरक्षा संगठन (पेसो) से गैस-मुक्त प्रमाण/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि पोत पर खुली अवस्था में कोई भी जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है; रेडियोधर्मी सामग्री इत्यादि के संबंध में परमाणु उर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) का प्रमाण पत्र।

3.6.8 उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर सीमाशुल्क अधिकारी अस्थायी आधार पर शुल्क का निर्धारण करेंगे तथा आयातक/पुनर्चक्रक शुल्क का भुगतान करेगा। आयातक/ पुनर्चक्रक द्वारा आयात शुल्क चालान के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर सीमाशुल्क कार्यालय एसएमबी/पतन प्राधिकरण, जो पोत के बीचिंग की अनुमति देने वाला नोडल एजेंसी है, को तत्काल "अनापति प्रमाण-पत्र" जारी करेगा। शेष बचे जहाजी माल, स्वीपिंग कार्गो या किसी भी वस्तु, जो घोषित न किए जाने या अधिक पाए जाने के कारण जब्त किया जाए, के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत जदती तथा निपटान हेतु निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निपटा जाएगा। यदि स्वीपिंग/शेष बचा जहाजी माल किसी उपयोग का न हो, तथा उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो तथा वे उपभोग/प्रयोग हेतु ठीक न हों तो ऐसे जहाजी माल पोत के मास्टर द्वारा सुपुर्द कर दिए जाएंगे तथा बाद में उस माल का उचित तरीके से निपटान कर दिया जाएगा। आवश्यक होने पर, सीमा-शुल्क कार्यालय देय सीमा-शुल्क संग्रहित कर स्वीपिंग (बचा-बुचा जहाजी माल) को अनुमति दे देगा। तत्पश्चात् सीमा-शुल्क कार्यालय एसएमबी/ पतन प्राधिकरण द्वारा बीचिंग के लिए अनुमति दिए जाने हेतु कार्यवाई के 24 घंटे के भीतर ही अपनी मंजूरी दे देगा।

3.6.9 नामित अधिकारी पोत पर चढ़ेगा तथा आयातक की उपस्थिति में ही पोत के बेतार उपकरणों/प्रतिबंधित रेडियो उपकरणों/नाविक उपकरणों को नष्ट कर देगा। इसके पश्चात्, आयातक एम ओ ए/आईजीएम के अनुसार वस्तुओं, यदि हों, को सुपुर्द कर देगा, जिसे स्थिति अनुसार एजेन्ट अथवा सीमा शुल्क के लिए अगले पोत अंतरण हेतु सौंप दिया जाएगा। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् तथा पोत संबंधी सभी देय राशि/शुल्क के भुगतान के उपरांत सीमा शुल्क इसका प्रभार सौंप देगा तथा पुनर्चक्रण हेतु पोत को मंजूरी दे देगा। तत्पश्चात् वाणिज्यिक बीजक, बिक्री के बिल इत्यादि जैसे दस्तावेजों की प्रस्तुति पर आगम-पत्र का अंतिम आकलन किया जाएगा।

अध्याय-IV

पोत की बीचिंग प्रक्रिया

4.1 पोत के बीचिंग की प्रक्रिया:

4.1.1 किसी पोत के बीचिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए, पुनर्चक्रक को पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड के समक्ष अनुबंध-II के अनुसार संबंधित दस्तावेज सहित अन्य निर्धारित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

4.1.2 लंगर स्थल पर पोत पर चढ़कर उसका वास्तविक सत्यापन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:-

- (i) सभी पोतों के लिए सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधि द्वारा;
- (ii) पेट्रोलियम टैंकर का उनके जहाजी माल के संबंध में पेट्रोलियम और विस्फोटक संरक्षा संगठन (पीईएसओ) तथा रसायन टैंकरों का उनके जहाजी माल के लिए विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति/एजेन्सी द्वारा;
- (iii) युद्धक पोत, नौसेना के पोत-परमाणु उर्जा चालित पोत, तथा बड़े यात्री पोत का ए ई आर बी तथा भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि द्वारा। योग्य समझे जाने पर उपरोक्त एजेन्सियां बीचिंग की अनुमति दिए जाने हेतु एस एम बी/पतन प्राधिकरण को मंजूरी प्रदान करेंगी।
- (iv) 2000 एल डी टी से अधिक क्षमता वाले बड़े यात्री पोत के लिए एस पी सी बी के प्रतिनिधियों द्वारा;
- (v) युद्धक पोत, नौसेना के पोत तथा परमाणु उर्जा चालित पोत से पृथक अन्य सभी पोत के लिए एस एम बी/पतन प्राधिकरण के कर्मी, जो ए ई आर बी द्वारा प्रशिक्षित तथा प्रमाण पत्र प्राप्त हों, रेडियोधर्मिता सर्वेक्षण की दृष्टि से पोत की जांच करेंगे।
- (vi) पोत के बीचिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए, पुनर्चक्रण को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(ग क) के अनुसार सक्षम व्यक्ति से प्राप्त 'गैस मुक्त तथा कार्य-योग्य' प्रमाण-पत्र जो औद्योगिक संरक्षा तथा स्वास्थ्य महानिदेशालय (डी आई एस एच) द्वारा अनुमोदित हो, की भी प्रति प्राप्त करनी चाहिए।

4.1.3 पोत को रद्दी वस्तु के रूप में तोड़े जाने के लिए खरीदार को राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण के माध्यम से रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

4.1.4 सभी संबंधित विभागों/एजेन्सियों से मंजूरी मिलने के उपरांत अगले दो कार्यदिवसों में ही एस एम बी/पतन प्राधिकरण द्वारा बीचिंग की अनुमति दे दी जाएगी। बीचिंग की अनुमति न दिए जाने की स्थिति में, पोत का स्वामी समीक्षा किए जाने और अपील करने की मांग का हकदार होगा, जो लंगर संबंधी उपबंधों के अनुसार होगा।

4.2 पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड द्वारा बीचिंग की अनुमति

4.2.1 पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड द्वारा बीचिंग की अनुमति केवल:

(क) उन भूखण्ड धारकों को दी जाएगी, जिन्हें पतन प्राधिकारियों द्वारा भूखण्ड आवंटित किए गए हैं अथवा यह उन्हें दिया जाएगा जिन्हें पतन प्राधिकरण/एस एम बी द्वारा अन्याय अनुमति दी गई है;

(ख) वैंस भूखण्ड धारक, जिनके एस आर एफ एम पी को अनुमोदन प्राप्त है;

4.2.2 पोत के लिए बीचिंग की अनुमति निम्नलिखित मामलों में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगी:-

(क) पेट्रोलियम ऑयल कार्गो टैंक तथा पेट्रोलियम स्लॉप टैंक के मामले में, पेट्रोलियम और विस्फोटक संरक्षा संगठन (पी ई एस ओ) द्वारा जारी किए गए तस कार्य हेतु गैस मुक्त संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर;

(ख) पेट्रोलियम टैंकर तथा पेट्रोलियम स्लॉप से पृथक सभी पोत के लिए, औद्योगिक संरक्षा तथा स्वास्थ्य निदेशालय (डी आई एस एच) तस कार्य हेतु गैस मुक्त संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निरीक्षण करेगा;

(ग) विशेष स्थिति वाले पोत तथा बड़े यात्री पोत के मामले में परमाणु उर्जा विनियामक बोर्ड से प्राप्त अनापति-प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्रस्तुत किए जाने पर;

(घ) युद्धक पोत तथा नौसेना पोत के मामले में नौसेना विभाग, ए ई आर बी तथा सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर;

(ड.) पोत पुनर्चक्रण के कार्यकलाप को खतरनाक प्रक्रिया के रूप में चिह्नित किया गया है, तथा इस पर कारखाना अधिनियम की धारा 41क से ज, अध्याय IVक के उपबंध लागू होंगे। औद्योगिक संरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय, जहां आवश्यक हो, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा

4.2.3 पोत या एक से अधिक पोत को एक ही समय पर बीचिंग की अनुमति उस शर्त पर दी जाएगी, जब पोत की चौड़ाई भूखण्ड की चौड़ाई से 5 मीटर से कम हो अथवा पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड के निदेश के शर्त के अनुसार।

4.2.3क वैसे पेट्रोलियम टैंकर, जिन्हें सभी कार्गो टैंक, स्लॉप टैंक फारवर्ड स्पूल ऑयल टैंक तथा फारवर्ड कोफर डैम के लिए "तस कार्य हेतु उपयुक्त" प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो, उनके बीचिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोत को गैस मुक्त होने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने तथा लंगर स्थल पर समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाएगी, जिसका अनुसरण न किए जाने पर पतन नियमों के अनुसार पोत को वापस भेजे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

4.2.4 पोत के बीचिंग के क्रम में, पोत पुनर्चक्रण निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा:-

(i) पोत उचित तरीके से कसकर बंधा है;

(ii) बंकर में शेष बची चीजों को पूरी सावधानी के साथ हटाया जाए, और इंजिन कक्ष में पर्याप्त वायु संचार हो;

(iii) बंकर तथा बंकर की सामग्री किसी पंजीकृत डीलर को दी जाए; और

(iv) प्रयोग में लाया गया तेल तथा गाढ़ा कीचड़ किसी पंजीकृत पुनर्चक्रण/परिशोधनशाला को ही दिया जाए।

4.2.5 यदि संबंधित एजेन्सियों द्वारा पुनर्चक्रण के अभिलेखों की जांच किए जाने अथवा उनके भूखण्ड/प्रांगण का निरीक्षण किए जाने के दौरान यह पाया जाता है कि पुनर्चक्रण ने पैरा 4.2.4 से 4.2.6 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में पोत पुनर्चक्रण पर शास्ति तथा अर्थदण्ड लगाए जाने सहित उसकी अनुमति को भी रद्द किया जा सकेगा।

4.2.6 पोत पर संबंधित एजेन्सियों के पहुंचने पर पोत के ढांचे, तथा यथाव्यवहार्य पोत के नक्शे, तकनीकी विवरण, भंडार, मालसूची के संदर्भ तथा पोत निर्माता, उपकरण विनिर्माता तथा अन्य उचित परामर्श से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ/खतरनाक पदार्थ वाले सभी क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा उनको चिह्नकन उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2.7 अध्याय-II में सूचीबद्ध, विशेष चिंता वाले पोत की स्थिति में, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ/जोखिमपूर्ण पदार्थ वाले सभी क्षेत्रों की पहचान तथा उनके चिह्नकन, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ का परिमाणण पोत पर संबंधित एजेन्सियों के पहुंचने पर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुबंध V तथा VI में विहित ब्यौरे भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.2.8 एस एम बी/पतन प्राधिकरण तथा एस पी सी बी यह अनिवार्य उपबन्ध करेगा कि पोत पर उपलब्ध जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ/जोखिमपूर्ण पदार्थ तथा पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जोखिमपूर्ण पदार्थ का आकलन उपलब्ध हो।

4.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी) से अनुमति

4.3.1 पोत के बीचिंग के उपरांत, पोत पुनर्चक्रण खुली अवस्था वाले सभी पदार्थ तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ सहित पाइप लाइन, टैंक, स्टॉप टैंक इत्यादि से तेल तथा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को पोत से हटा लेगा, तथा एस पी सी बी पोत पुनर्चक्रण को एक विसर्जन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इसके साथ ही, सक्षम

प्राधिकारी/एजेन्सी, यह सुनिश्चित होने पर कि बंकरों/पाइपलाइन इत्यादि से तेल/प्रयुक्त तेल/हाइड्रोकार्बन निकाल लिए गए हैं, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा (ज) के अनुसार गैस-मुक्त तथा तस-कार्य का परामिट जारी करेगी।

4.4 सुरक्षा पहलु

4.4.1 सुरक्षा संबंधी पहलुओं के संबंध में, संबंधित एस एम बी/ पतन प्राधिकरण नौसेना तथा तटरक्षक दल के परामर्श से आवश्यक आदेश जारी करेगा, तथा इसके अनुपालन को सख्ती से लागू करेगा।

4.4.2 संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण वहां लोड़े जाने वाले पोत, उनकी प्रकृति तथा ब्यारि का अभिलेख रखेगा, तथा संबंधित पोत के आगमन के संभावित समय (ई टी ए) की सूचना मिलते ही अभिलेख नौसेना तथा तटरक्षक दल को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

4.4.3 एस एम बी/पतन प्राधिकरण वहां पुनर्चक्रण के लिए आने वाले सभी पोत का छायाचित्रण अभिलेख रखेगा, तथा इसे नौसेना तथा तटरक्षक दल को उपलब्ध कराया जाएगा।

4.4.4 पोत के कर्मीदल, विशेषकर विदेशी कर्मी दल के आगमन तथा प्रस्थान संबंधी ब्यारि, कर्मी दल के वास्तविक आगमन तथा प्रस्थान से पहले संबंधित नौसेना प्राधिकारियों को दिए जाएंगे।

4.4.5 प्रत्येक पतन प्राधिकरण/एस एम बी स्थानीय पुलिस, आसूचना ब्यूरो, तटरक्षक दल तथा नौसेना के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह एक सुरक्षा तथा आसूचना बैठक का आयोजन करेगा।

4.5 प्रक्रिया के लिए फ्लो डायग्राम

पोत भंजन केंद्र पर आने वाले पोत के लिए एस एम बी/ एस पी सी बी/सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों द्वारा दी जाने वाली मंजूरीयों के चरण/प्रक्रिया के क्रम, जिसमें सभी तीनों चरण, यथा लंगर डालने, बीचिंग तथा पोत भंजन का उल्लेख अनुबंध-1 के अनुसार होगा।

अध्याय-V

पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया

5.1 पोत पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त प्रक्रिया

पोत के पुनर्चक्रण योजना के दो घटक होने चाहिए, यथा, पोत विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना तथा पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना। भूखण्ड का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि पोत को काटने के दौरान, पोत के दोनों ओर कर्मकारों की निर्बाध आवाजाही के लिए स्थान उपलब्ध हो, जिसकी चौड़ाई प्रत्येक ओर कम से कम 5 मीटर हो, या यह दायरा संबंधित पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड के निदेशानुसार हो।

5.2 पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना

5.2.1 राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एस एम बी)/पतन प्राधिकरण पोत के पुनर्चक्रण के लिए किसी पोत पुनर्चक्रण को प्लॉट का आवंटन करता है। सुरक्षित तथा पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पोत पुनर्चक्रण के लिए प्लॉट का विस्तार पर्याप्त होना चाहिए। संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना (एस आर एफ एम पी) का अनुमोदन उस स्थिति में करेगा, जब वह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:-

- (i) आवश्यक तथा वैध दस्तावेजों की उपलब्धता
- (क) पोत पुनर्चक्रण कार्य से उत्पन्न हुए जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ के प्रबन्ध हेतु एस पी सी बी द्वारा अनुमोदन।
- (ख) जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ उपचार, भंडारण तथा निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) के लिए टी एस डी एफ ऑपरेटर से एक सदस्य के रूप में पंजीकरण।
- (ग) गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत एल पी जी सिलेंडरों के भंडारण के लिए विस्फोटक विभाग से लाइसेंस।
- (घ) जोखिमपूर्ण नियमों के अंतर्गत प्लॉट का लाइसेंस।
- (ड.) प्रांगण के खाके को दर्शाने वाला नक्शा तथा सुविधाओं के अन्य घटक।

(च) संबंधित प्राधिकारी (रिपॉ) से प्राप्त किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज अथवा अनापति प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र।

(छ) कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों तथा उसके नियमों के अंतर्गत लाइसेंस तथा एस आर एफ एम पी अनुमोदन।

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 46 तथा 47 के अनुसार आश्रय/विश्राम कक्ष तथा मध्याह्न भोजन कक्ष और कैंटीन। इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था; धारा 18 के अनुसार पर्याप्त स्वच्छ पेय जल; धारा 19 के अनुसार शौचालय तथा मूत्रालय; धारा 42 के अनुसार सफाई सुविधाएं तथा धारा 45 के अनुसार प्राथमिक उपचार की सुविधा। प्रशिक्षित प्राथमिक उपचार सहायकों तथा अग्निशमन कर्मियों की सूची किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगायी जाएगी।

(iii) जोखिमपूर्ण /गैर- जोखिमपूर्ण अपशिष्ट सामग्रियों के अस्थायी भंडारण हेतु भंडारण गोदाम।

(iv) ऐस्बेस्टस के हथालन तथा उसे हटाने और उसके भंडारण के लिए अस्थायी सुविधा या समुचित सचल ऐस्बेस्टस हथालन सुविधा।

(v) विस्फोटक अधिनियम के अनुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सिलेंडरों के लिए भंडारण गोदाम।

(vi) कारखाना अधिनियम के अनुसार कम से कम 50 कर्मकारों के लिए 'विश्राम कक्ष' सुविधाएं।

(vii) पर्याप्त तथा स्वच्छ पेय जल हेतु सुविधा।

(viii) कर्मकारों के लिए कपड़े बदलने का कक्ष।

(ix) प्राथमिक उपचार सुविधा

(x) अग्निशमन सुविधा तथा आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली सहित तेल फैलाव त्वरित निपटान प्रणाली।

(xi) भारतीय मानक ब्यूरो या उसके समकक्ष के मान्यता प्राप्त प्रमाणित सामग्री प्रबन्ध उपकरण तथा वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पी पी ई)

(xii) सभी विभागों (प्रकाश-व्यवस्था, गैस कटाई, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध, आक्सीजन तथा अन्य गैस पहचान उपकरण जैसे विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर बंद स्थानों पर कार्य करने वाले, क्रेन तथा सामग्री प्रबंध प्रणाली इत्यादि) के प्रशिक्षित तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर्मकारों की सूची।

(xiii) निरापद विद्युत जुड़ना उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोलियम नियम-2002 के अनुसार सुविधा का जोखिमपूर्ण क्षेत्र आधार पर वर्गीकरण।

(xiv) अन्य आवश्यक सुविधाएं, यदि अपेक्षित हों।

5.2.2 संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण उपरोक्त सभी पहलुओं को सुनिश्चित करने के उपरांत पोत पुनर्चक्रण को भूखण्ड आवंटन के एक माह के भीतर पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना (एस आर एफ एम पी) के संबंध में अनुमति प्रदान करेगा। यह अनुमोदन पांच वर्षों के प्रत्येक चक्र के लिए एकबारगी निर्णय होगा, जिसकी हर छह महीने में समीक्षा की जाएगी। ऐसी छमाही समीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए, यदि आवश्यक हो तो, पोत पुनर्चक्रण द्वारा अपेक्षित सुधारात्मक उपाय तत्काल किए जाएंगे।

(i) सभी उत्पाक यंत्रों, तारों वाली रस्सी (वायर रोप्स) तथा उत्पाक रस्सों का परीक्षण तथा प्रमाणन कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अनुसार डी आई एस एच द्वारा अनुमोदित किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके नियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुपालन पर डी आई एस एच की टिप्पणियों/राय मिलने के पश्चात् ही संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण पोत पुनर्चक्रण की गतिविधियों के संबंध में अनुमति जारी करेगा।

5.2.3 यदि किसी भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि भूखण्ड पर पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना का कोई घटक कार्यशील नहीं है और वह व्यवस्थित नहीं है, तो संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण, पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना की अनुमति को निरस्त कर

देगा, और पोट पुनर्चक्रण को किसी पोट के बीचिंग की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक पोट पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना के अंतर्गत आवश्यक घटकों को आवश्यकतानुसार कार्यशील न बना लिया गया हो।

5.2.4 अतएव, पोट पुनर्चक्रण हेतु भूखण्ड में अनुमति दिए जाने से पूर्व, संबंधित एस एम बी/पतन प्राधिकरण अनुबंध-III तथा अनुबंध-I के अनुसार पुनर्चक्रण सत्यापन हेतु तैयार माध्यम से उपरोक्त पहलुओं को सख्ती से लागू किए जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। कटाई संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए पोट पुनर्चक्रण अनुबंध-IV को विधिवत भरकर पतन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पतन प्राधिकरण कटाई संबंधी आवेदन पर दो हफ्ते के अंदर विचार कर अनुमति जारी करेगा या उसमें किसी कमी को दूर किए जाने के संबंध में सूचित करेगा।

5.2.5 उपरोक्त के अलावा, पोट पुनर्चक्रण को एस एम बी/पतन प्राधिकरण के समक्ष इस आशय का एक वचनपत्र देना होगा कि पुनर्चक्रण, उसे पोट पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना का अनुमोदन दिए जाने से पूर्व एस एच ई नीति के अनुसरण में नीचे दी गई संरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण (एस एच ई) प्रबंध संबंधी पहलुओं का पालन करेगा।

(i) एक नीति, जिसका केन्द्र बिन्दु पर्याप्त कर्मकार संरक्षा तथा मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की सुरक्षा सहित ऐसे लक्ष्यों की स्थापना है, जिसके फलस्वरूप पोट पुनर्चक्रण द्वारा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का न्यूनीकरण तथा अंततः उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाना है।

(ii) राष्ट्रीय विनियमनों में उल्लिखित आवश्यकताओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रणाली, कंपनी की नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति, तथा पोट पुनर्चक्रण संचालनों की प्रक्रियाओं में सतत सुधार हेतु प्रतिबद्धता।

(iii) पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों तथा कर्मकारों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों की पहचान।

(iv) कर्मकारों के समुचित प्रशिक्षण हेतु एक कार्यक्रम तथा पर्याप्त पी पी ई तथा सामग्री प्रबंध उपकरणों की उपलब्धता।

(v) भूखण्ड के लिए एक आपातकालीन तैयारी तथा अनुक्रिया योजना।

(vi) पोट पुनर्चक्रण संचालन के कार्य-निष्पादन की निगरानी हेतु प्रणाली।

(vii) पोट पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं के तौर-तरीके की जानकारी देने वाली प्रणाली सहित बहिर्भाव, उत्सर्जन तथा दुर्घटनाओं की जानकारी देने वाली प्रणाली। साथ ही नुकसान कारक दुर्घटनाएं या दुर्घटनाएं, जो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ, तथा जोखिमपूर्ण पदार्थों वाली सामग्रियों हथालन के कारण कर्मकारों की संरक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, संबंधी प्रणाली।

5.2.6 पोट पुनर्चक्रण निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करेगा:-

(i) पोट पुनर्चक्रण कार्य के दौरान अनुपालन किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण एहतियाती उपायों (क्या करें तथा क्या न करें) को दर्शाने वाले सूचना पट्ट भूखण्ड के सुस्पष्ट स्थानों पर लगाया जाएगा और वो सूचनाएं अंग्रेजी तथा उन देशी भाषा (ओं) में होगी, जिन्हें उस भूखण्ड पर काम करने वाला कर्मकार समझता हो।

(ii) भूखण्ड पर क्रेन, विन्च, चैन रोप तथा शैकल्स, जेनरेटर सेट जैसे सभी उपकरणों तथा अन्य किन्हीं संरक्षा उपकरणों, जो समय-समय पर निर्धारित किए गए हों, का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव, कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों तथा किन्हीं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(iii) भूखण्ड पर एक विस्फोटक गैस डिटेक्टर, एक मल्टीगैस मॉनीटर सहित हाइड्रोजन सल्फाइड (एच₂एस) गैस मॉनीटर तथा एक ऑक्सीजन प्रतिशत विश्लेषक उपकरण कार्यशील स्थिति में होगा।

(iv) प्रांगण में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाएगी।

(v) प्रत्येक एस आर एफ में एक विस्तृत आपातकालीन योजना होगी। इस आपातकालीन योजना का हर छह महीने में अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके

अलावा, पूरे जिले के लिए एक गैर-कार्यस्थलीय (ऑफ साइट) आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए तथा वर्ष में एक बार इसका अभ्यास किया जाना चाहिए।

5.2.7 किसी भी पोट पुनर्चक्रण को इस संहिता के अंतर्गत एस एम बी/पतन प्राधिकरणों द्वारा पोट पुनर्चक्रण कार्यों की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक यह एस आर एफ एम पी के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा न कर ले।

5.3 पोट विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना:

5.3.1 भूखण्ड के लिए एस एम बी/पतन प्राधिकरण द्वारा पोट पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना का अनुमोदन किए जाने के उपरांत, पोट पुनर्चक्रण को आवेदन तथा अनुबंध-IV के अनुसार पोट विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना तथा ब्यौरे एस एम बी/पतन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ पुनर्चक्रण हेतु तैयार दस्तावेज संबंधी ब्यौरे विधिवत रूप से भरे जाएंगे। पोट विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना (एस एस आर पी) को प्रस्तुत किए जाने से पहले पोट से तेल निकाले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

5.3.2 पोट विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना (एस एस आर पी) की निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा:-

(i) पोट का ब्यौरा, विशेषकर जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ तथा जोखिमपूर्ण सामग्री का एक समुचित आकलन।

(ii) पोट भंजन की समय-सारणी, जिसमें कार्य के चरणों का उल्लेख होगा।

(iii) प्रचालन कार्य संबंधी प्रक्रियाएं।

(iv) सामग्री प्रबंध उपकरण तथा वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों (पी पी ई) की उपलब्धता।

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी) से यह प्रमाणित कि सभी प्रकार के तेल तथा खुली अवस्था में पड़े अन्य जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ पूरी तरह से हटा दिए गए हैं तथा एस पी सी बी द्वारा जारी किया गया विसंदूषण प्रमाण पत्र एस एस आर पी के साथ नत्थी किया जाएगा।

(vi) तेल टैंकों तथा स्लॉप टैंक के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक संरक्षा संगठन (पी ई एस ओ) द्वारा जारी किया गया "गैस मुक्त तथा तप्त कार्य हेतु उपयुक्त" प्रमाण पत्र या कारखाना अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक संरक्षा तथा स्वास्थ्य निदेशालय (डी आई एम एच) द्वारा प्राधिकृत की गई कोई सक्षम एजेन्सी, क्योंकि ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति का प्रयोजन आग, विस्फोट, ऑक्सीजन की कमी तथा बंद स्थानों में विषैले गैसों के जमा होने से होने वाली दुर्घटनाओं को टालना है। यह प्रमाण पत्र योजना दस्तावेज के साथ नत्थी किया जाएगा। गलत प्रमाण पत्र दिए जाने की स्थिति में संबंधित विस्फोटक/निरीक्षक/अधिकारी का अभियोजन किया जा सकेगा तथा ऐसे मामलों में पोट पुनर्चक्रण के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

(vii) जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध तथा निपटान योजना:- पुनर्चक्रण द्वारा योजना के नक्शे में वैसे सभी स्थानों की पहचान की जाएगी तथा उनका चिह्नकन किया जाएगा, जहां सांस लेने योग्य वायु विद्यमान न हों। योजना के नक्शे में पोट के उन सभी स्थानों की पहचान तथा उनका चिह्नकन होगा, जहां जोखिमपूर्ण पदार्थ/जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ हों/ या उन्हें रखे जाने की संभावना हो।

(viii) इस बात की पुष्टि कि बैलस्ट वाटर का निपटान खुले समुद्र में कर दिया गया है। अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं में पुनर्चक्रण के सभी तीनों चरणों का उल्लेख होगा, यथा

(क) तैयारी का चरण

(ख) विखण्डन करने का चरण

(ग) अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन चरण

- (ix) बैलस्ट तलछट को बैलस्ट वाटर के साथ, सही रूप से मथे जाने के उपरांत इसे उचित रूप से निपटान के लिए एस एम बी/पतन प्राधिकरण के प्राधिकृत एजेन्सी के पास शुल्क आधार पर सौंप दिया जाएगा।
- (x) पोत पर से, तथा समुद्र तट से ऐस्बेस्टॉस, जो कि चिंता का एक प्रमुख विषय है, तथा ऐस्बेस्टॉस वाली सामग्रियाँ (ए सी एम) को हटाने के लिए योजना विशेष रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना में सामग्री को हटाने, उसके प्रबंध उपचार तथा निपटान का उल्लेख होगा। पोत तोड़ने के कार्य को शुरू करने से पहले ऐस्बेस्टॉस/ए सी एम वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे तथा वे ऐस्बेस्टॉस फायबर वाले परिसरों तथा संयंत्रों की धुलाई के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक का पालन करेंगे (आई एस 11767:1986)। वैसे पोत जिनमें ऐस्बेस्टॉस की मात्रा 100 मीट्रिक टन से अधिक हो, के लिए नेगेटिव प्रेशर चेंबर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
- (xi) प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख दस्तावेज में किया जाएगा, तथा पोत के पुनर्चक्रण से उत्पन्न सभी अपशिष्ट पदार्थ के साथ-साथ पोत पर पाए गए सभी जैविकपूर्ण पदार्थों पर निगरानी रखी जाएगी, तथा उन्हें निपटान सुविधा केन्द्र या पंजीकृत पुनर्चक्रण सुविधा केन्द्र तक पहुंचाए जाने का उल्लेख एस एस आर पी में होगा।

अध्याय - VI

पोत पुनर्चक्रण में शामिल पणधारियों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

6.1 सुरक्षा अनुपालन

6.1.1 भूखण्डों/याई में पोत पुनर्चक्रण कार्यकलापों को करते समय सुरक्षा अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :-

- (i) भूखण्ड में अग्निशमन इकाइयों और उपकरणों को सुरक्षित तरीके से लाने-ले जाने और आसान संचलन तथा गलियारे बनाने के लिए पर्याप्त खुला स्थान मुहैया कराया जाएगा ताकि उसमें अग्निशमन इकाइयों और उपकरण की निर्बाध पहुंच हो सके।
- (ii) पुनर्चक्रण कर्ता द्वारा पोत में सभी दम घुटने वाले स्थानों की पहचान और चिह्नंकन किया जाएगा।
- (iii) पोत में उस सभी स्थानों, जहां पर खतरनाक पदार्थ /खतरनाक अपशिष्ट हैं/होने की संभावना हो, की पहचान और चिह्नंकन किया जाएगा।
- (iv) पोत के पुनर्चक्रण के दौरान जनित सभी खतरनाक अपशिष्टों के साथ-साथ पोत में पाए गए खतरनाक पदार्थों के प्रलेखन और उन पर निगरानी रखने तथा उनका निपटान सुविधा अथवा पंजीकृत पुनर्चक्रण सुविधा तक सुरक्षित और अच्छी तरह से परिवहन करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा।
- (v) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय भवन, अलौह धातुओं के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान तथा सुपर्दगी के लिए छोटे गए तैयार कबाड़ (जैसे कि मोड़े जा सकने वाले 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर और पिघली धातुएं आदि) के भण्डारण के लिए खुला स्थान मुहैया कराया जाए।
- (vi) कम से कम 2 विन्श की स्थापना और कम से कम दो क्रेनों के प्रचालन के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया कराया जाएगा।
- (vii) पोतों के कटे टुकड़ों को संसाधित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मुहैया कराया जाएगा।
- (viii) कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग क) में यथानिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धाराओं 36, 41 और 112 के अनुसार बन्द स्थानों पर, जहाँ पर खतरनाक धुआं और अपर्याप्त आक्सीजन होने की संभावना हो, मानव प्रवेश के लिए गैस मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा। यह पोत पुनर्चक्रण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा।

(ix) संगत अधिनियमों/नियमों में यथानिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी अथवा किसी अन्य ज्वलनशील सक्षम सहित, के भण्डारण के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी।

(x) फैंकट्री अधिनियम और अन्य संगत अधिनियमों/नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा अपेक्षित जल भण्डारण और पंपिंग और अग्निशमन उपकरणों जैसे कि पोर्टेबल अग्निशामक, अग्निशमन सूट, तरल फोन, आक्सीजन मास्क, रेत के डम्बे/बाल्टियाँ, पूरे साज-सामान के साथ फायर होज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

(xi) पोत पुनर्चक्रण संघ द्वारा याई पर अक्षक को निकालने और उसके हथालन के लिए निर्मित सुविधा और अक्षक का हथालन करने वाले कामगारों को फटवारे से नहलाने का अनिवार्य प्रावधान किया जाएगा अथवा उचित मोबाइल हथालन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वैकल्पिक रूप से डीजी, एफएएसएलआई और एसपीसीबी द्वारा यथाअनुमोदित सामान्य अक्षक हथालन प्रणाली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(xii) एसपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार जैविकपूर्ण अपशिष्ट के भण्डारण के साथ ही जैविकपूर्ण अपशिष्ट, नियम - 2008 के अनुसार जैविकपूर्ण अपशिष्ट के निपटान के लिए अस्थायी भण्डारण सुविधा का निर्माण किया जाएगा।

(xiii) कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों का अतिव्यापन नहीं होगा।

(xiv) पोत पुनर्चक्रण कर्ता उन संक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएंगे और उनका इस्तेमाल करना सुनिश्चित करेंगे जिनके लिए ऐसा करना आवश्यक हो, जिनमें निम्नलिखित के लिए सुरक्षा शामिल होंगी:

- (क) सिर की सुरक्षा;
- (ख) चेहरे और आंख की सुरक्षा;
- (ग) हाथ और पैर की सुरक्षा;
- (घ) श्वास सुरक्षा उपकरण;
- (ङ) श्रवण सुरक्षा;
- (च) रेडियोधर्मी संदूषण के प्रति सुरक्षा;
- (छ) गिरने से सुरक्षा; और
- (ज) उचित वस्त्र।

6.1.2 प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण कर्ता कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40-ख के अनुसार अर्हता प्राप्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा। धारा 41-ग (ख) के अनुसार सक्षम पर्यवेक्षक की निगरानी में कटाई कार्य किया जाएगा। सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी, अर्हताएं और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

6.1.3 सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक कामगारों को सामग्री हथालन उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

6.1.4 सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

- (i) सुरक्षित दूरी के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश का पालन किया जाए। कटाई कार्य विस्फोटक अधिनियम में विनिर्दिष्ट एलपीजी भण्डार क्षेत्र की सुरक्षित दूरी से परे किया जाए।
- (ii) कटाई कार्यों के दौरान विस्फोटक और आक्सीजन मीटर सुलभता से उपलब्ध हो।
- (iii) वास्तविक कटाई कार्यों को शुरू करने से पहले और ऐसे कार्यों को करने के दौरान भी हाईड्रोकार्बन वाष्प और आक्सीजन की अनुमेय सीमा के संबंध में मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए। परन्तु यदि किसी

विशेष स्थान/क्षेत्र में आक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है अथवा हाईड्रोकार्बन वाष्प की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थान/क्षेत्र में कटाई कार्य तत्काल रोक दिया जाएगा। तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र में आक्सीजन की मात्रा की बहाली के लिए मैकेनिकल ब्लोअरों की मदद अथवा किसी अन्य प्रभावी तरीके से वायु का परिसंचालन करने के कदम उठाए जाएंगे ताकि उसे अनुमेय सीमा के भीतर लाया जा सके।

- (iv) पोत के डेक पर अथवा कटाई क्षेत्र के करीब एलपीजी और अन्य गैस सिलेंडरों की संख्या संगत अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अनुसार हो।
- (v) सिलेण्डरों और अन्य वस्तुओं को पोत से फँकने की बजाय सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारा जाए।
- (vi) सभी पाइपलाइनों का शीत माध्यम से खोलकर/काटकर अलग-अलग किया जाए। परन्तु यदि पाइपलाइनों से ईंधन टपक रहा हो तो ऐसे टपकते ईंधन को एक कन्टेनर में एकत्रित करने के बाद ही इन पाइपलाइनों को अलग-अलग किया जाएगा।
- (vii) ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कार्यदिवस के पिछले दो घण्टों में कोई कटाई कार्य किया गया हो उसको पर्याप्त पानी डालकर अथवा किसी अन्य प्रभावी माध्यम से ठंडा कर दिया जाएगा ताकि धीरे-धीरे आग सुलगने/आग लगने की किसी घटना से बचा जा सके।
- (viii) पोत भंजन की प्रगति प्रतिदिन उचित तरह से तैयार की गई लॉग बुक में लगातार दर्ज की जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए। वह लॉग बुक प्राधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।

6.1.5 पोत भंजन से जुड़े कामगारों का कार्य समय इस तरह का होगा कि वह न तो सूर्य उदय से पहले का हो और न सूर्य अस्त के बाद का हो। ताकि कटाई/भंजन कार्यकलाप और अन्य पोत भंजन संबंधी कार्यकलापों जिसमें लदान और उतराई कार्य शामिल हैं, प्राकृतिक रोशनी में किए जा सकें। कटाई कार्य का अधिकतम कार्य समय इस प्रकार से होगा :-

- (i) मार्च से अक्टूबर माह के दौरान - सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे
- (ii) नवंबर से फरवरी माह के दौरान - सुबह 7 बजे से 6 बजे
- (iii) इयूटी के अधिकतम साप्ताहिक घंटे और दैनिक घंटे कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 51 और 54 के अनुसार होंगे। व्यस्कों के कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिपूर्ति अवकाश, विश्राम समय, समयोपरी कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय- VI के उपबंधों के अनुसार होंगे।
- (iv) पोत पुनर्चक्रण कर्ता को गैर टैंकर पोतों का पोत पुनर्चक्रण कार्य शुरू करने से पूर्व कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग क) में यथानिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया गया, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 और 112 के अन्तर्गत बनाए गए नियम 68-ज के अनुसार आवरण रहित लाईट प्रमाणपत्र (तत्प कार्य अनुज्ञा) प्राप्त करनी होगी और पेट्रोलियम टैंकरों और स्लाप टैंकरों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) गैस मुक्त और तत्प कार्य हेतु उपयुक्त प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (v) किसी भी कामगार को निर्धारित समय के बाद और अवकाश के दिन पोत भंजन याई पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.1.6 पोत पुनर्चक्रण कर्ता को आई एस: 14489 के अनुसार बाहरी एजेंसी द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा करानी होगी और लेखा परीक्षा की आवृत्ति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के जोखिमपूर्ण रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमों (एमएसआईएससी) के अनुरूप होना चाहिए।

6.1.7 औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) अथवा कारखाना अधिनियम के तहत राज्य सरकार का समकक्ष विभाग भूखण्ड की नियमित निरीक्षण करेगा और कारखाना अधिनियम के तहत समूचे सुरक्षा प्रबंध पहलुओं की निगरानी करेगा। यदि अनुपालन में कोई चूक हो तो डीआईएसएच कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार कारण बताओ नोटिस/चेतावनी/आदेश जारी करेगा और उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। सौंपे गए नोटिस/चेतावनी/आदेश की एक प्रति एसएमबी/पतन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

6.1.8 व्यावसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध फेक्ट्री अधिनियम के उपबंधों और श्रम कानूनों के अनुसार होगा।

(क) केवल प्रशिक्षित कामगारों को ही काम पर रखा जाएगा।

(ख) सभी कामगारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया कराए जाएंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो अथवा समकक्ष के अनुरूप हों। भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल सभी प्रचालन/कार्यों के लिए करना चाहिए।

6.1.9 समुद्र के किनारे खड़े पोत पर कार्य करते समय आग लगने की स्थिति में पानी की तत्काल आपूर्ति और पोत से एसबेस्टस को निकालने से पूर्व उसको गोला करने के लिए समुद्र के किनारे समर्पित पानी के पम्प के साथ हर समय पोर्टबल पानी के पाइप मुहैया किए जाने चाहिए जिसमें अतिरिक्त पाइपों को लगाने के लिए पर्याप्त टैंक-ऑफ बिन्दू हों। पोत पुनर्चक्रण कर्ता का आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए पोत प्राधिकरण/आस-पास की किसी अन्य उद्योग के साथ पारस्परिक सहायता समझौता होगा। सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए विहित अधिनियमों और नियमों के अनुसार कार्य अनुज्ञा प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा। जब तक कि क्षेत्र विस्फोटक मिश्रण से मुक्त न हो और विस्फोटक मीटर पठन विस्फोटक सीमा से नीचे न हो किसी हॉट कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्य अनुज्ञा में विस्फोटक मीटर पठन का अभिलेख किया जाएगा।

6.1.10. निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कामगारों के पास निम्नानुसार आवंटित कार्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणपत्रों के साथ विशेषज्ञता होगी:-

(क) ऊंचाई पर काम करने, बन्द स्थान पर काम करने और ज्वलनशील/जहरीले/क्षय वातावरण आदि जैसे खतरनाक क्षेत्र/वातावरण में काम करने के लिए पृथक कार्य अनुज्ञा जारी की जाएगी। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट/सुरक्षा जाल और हेल्मेट के इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) बन्द स्थान पर कार्य करना - आक्सीजन की मौजूदगी की जांच किए बगैर बन्द क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाएगा।

(ग) ज्वलनशील वातावरण में कार्य करना - पोत पुनर्चक्रण कर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उन स्थानों और साथ वाले स्थानों जहाँ पर ज्वलनशील तरल अथवा गैस हो अथवा रखी हो उसकी ज्वलनशीलता तरलों की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा दूसरे विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। पोत पुनर्चक्रण कर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश वाले स्थान पर ज्वलनशीलता वाष्प अथवा गैस विस्फोटक सीमा से नीचे हों और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वायु संचालन हो कि ज्वलनशील वाष्प का घनत्व निचले विस्फोटक सीमा (निचले विस्फोटक सीमा के < 10% पर) से नीचे रहे और मानव प्रवेश के लिए पर्याप्त आक्सीजन हो।

(घ) जहरीले, क्षयकारी, प्रदाह अथवा घूमित वातावरण अथवा अवशिष्टों में कार्य करना - पोत पुनर्चक्रण कर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उन स्थानों अथवा समीप के स्थानों जहाँ पर तरल, गैस अथवा ठोस पदार्थ मौजूद हों अथवा रखा हो जो जहरीला, क्षयकारी अथवा प्रदाहकारी हों उनका यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा विशेष रूप से प्रशिक्षित किसी व्यक्ति द्वारा आंखों से निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित स्थानों पर कामगारों के प्रवेश से पूर्व जहर, सरकारी अथवा प्रदाहकारी का वायु में घनत्व उस रसायन के सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एमएसडीएस) के अनुसार उसका थैशोल्ड लिमिट वैल्यू (टीएलवी) से नीचे बनाया रखा जा सके।

(ङ) गैस कटिंग के लिए पुनर्चक्रण कर्ता गैस कटिंग कार्य के लिए केवल प्रमाणिक कामगारों को काम पर रखेगा। गैस कटरों को जहरीले धुंए के अन्तःश्वसन से बचने के लिए उचित मास्क दिए जाएंगे।

(च) क्रेन प्रचालन के लिए सांविधिक मापदण्डों के अनुसार क्रेनों और लिफ्टिंग टेकन्स का निरीक्षण और परीक्षण रिकार्ड रखा जाएगा और क्रेन आपरेटरों को उचित पीपीई प्रदान किए जाएंगे। भारी वजन उठाते समय लगातार और पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। केवल उन्हीं उठान मशीनों, वायर रोप और लिफ्टिंग टेकन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो डीआईएसएच द्वारा अनुमोदित धारा 2 (ग क) के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा परीक्षित और प्रमाणित हो। फेक्ट्री

अधिनियम, 1948 की धारा 29 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री हथालन उपकरण सुरक्षित हो।

(छ) एस्बेस्टस कचरे और एस्बेस्टस वाली सामग्री (एसीएम) के हथालन के लिए विशेषज्ञ ठेकेदार को रखा जाएगा। एस्बेस्टस धूल और फाइबर को हटाने और इसका हथालन गीली स्थिति में किया जाएगा। तट पर एस्बेस्टस को अहाते में निकाला जाएगा जिसे ऋणात्मक दबाव में रखा जाएगा जिसमें बाहर जाने की वायु और कचरे के पानी के लिए फिल्टर लगे हों। ऐसे अहातों के संबंध में लागू नियमों का पालन किया जाएगा।

(ज) "विशेष चिन्ता के पोत" के लिए जहां पर अक्षकों/एसीएम की मात्रा विशेष चिन्ता का विषय होती है, अक्षकों/एसीएम का आन बोर्ड पर निकालने को विशेष महत्ता दी जाएगी और ऑन बोर्ड एस्बेस्टस का गीला निकालने की पद्धति का उचित पीपीई के इस्तेमाल के साथ अनुपालन किया जाएगा।

(झ) इस तरह से निकाले गए एस्बेस्टस और एसीएम शीटों/पैनलों टुकड़ों को लीक प्रूफ पैकेटों में पैक किया जाएगा और सुरक्षित लेण्डफिल में निपटारा जाएगा जहां पर पैकेट का हथालन और संसाधन एसपीसीबी मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। प्राप्त किए गए और पुनः उपयोग योग्य एसीएम शीटों/पैनलों को कानून द्वारा अनुमय के अनुसार पुनः इस्तेमाल के लिए बेचा जाएगा।

(ञ) एस्बेस्टस निकालने अथवा हथालन में लगे सभी कामगारों को पीपीई जैसे मास्क अथवा स्वासक मुहैया कराए जाएंगे।

(ट) वातावरण में एस्बेस्टस फाइबर सी मात्रा का एसपीसीबी द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी।

(ठ) एस्बेस्टस को निकालने के लिए विशेषज्ञ ठेकेदारों को प्रत्यायित किया जाएगा और उनकी कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाएगी।

(ड) एस्बेस्टस हथालन शामिल कार्यकलापों में केवल प्रशिक्षित कामगारों को काम पर रखा जाएगा।

(ढ) जहां तक रेडियोधर्मी पदार्थों के हथालन का संबंध है एईआरबी के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

6.2 पोत भंजन के लिए अनुमति

6.2.1 पुनर्चक्रण कर्ता भंजन/कटिंग अनुमति के लिए पतन प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा जैसे कि:

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा कामगार मुआवजा अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत कामगार का पंजीकरण।
- कारखाना अधिनियम की धारा 2 के (ग क) में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धाराओं, 36, 41 और 112 के अनुसार बन्द स्थानों पर जहां पर खतरनाक धुआ और पर्याप्त अक्सीजन होने की संभावना हो, मानव प्रवेश के लिए गैस मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।
- सभी बंकर टैंक से अवशिष्ट तेल का निकालने का प्रमाण।
- कस्टम बिचिंग स्वीकृति की प्रति।
- एसपीसीबी से संदूषण मुक्त प्रमाणपत्र की प्रति।

6.2.2 कटिंग प्रचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन देने से पूर्व पोत पुनर्चक्रण कर्ता को अग्निशमन के प्रयोजक के लिए दो अच्छे अग्निशमन पम्प लगाने होंगे जिसमें बिजली की आपूर्ति शामिल है और किसी पात्र पर पर्याप्त पानी के साथ पोत पर अग्निशमन पम्पों तक हर समय लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।

परन्तु यह कि उपर्युक्त अग्निशमन पम्पों में से एक इंजिन कक्ष को पूरी तरह से तोड़ने तक फोम और सूखे पाउडर के साथ इंजिन कक्ष के समीप हर समय चालू हालत में सम्पादित और बनाए रखा जाएगा।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक कटिंग बिन्दु के समीप चालू हालत में उपयुक्त प्रकार का एक पोर्टेबल अग्निशमक हमेशा रखा जाएगा।

6.2.3 यदि पतन प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि पोत पुनर्चक्रण कर्ता ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रबंध के लिए सभी उपबंधों का अनुपालन किया है, वह 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि के भीतर पोत के कटिंग प्रचालनों की अनुमति प्रदान कर देगा। यदि कोई खामी पाई जाती है, तो उसको 48 घंटों की अवधि में लिखित में सूचित करेगा ताकि पोत पुनर्चक्रण कर्ता आवश्यक सुधार करके अपने अनुरोध को पुनः प्रस्तुत कर सके।

6.3 श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के प्रयोगों के संबंध में विशिष्ट अनुदेश और अन्य महत्वपूर्ण पहलू

6.3.1 पोत पुनर्चक्रण से संबंधित कोई कार्य देने/सौंपने से पूर्व कामगारों को सामान्य सुरक्षित पोत भंजन प्रचालनों के साथ-साथ प्लाटों में उनके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित विशेष कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6.3.2 ऐसे प्रशिक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाणपत्र का प्रावधान होगा। प्रशिक्षण उस भाषा में होगी जो कामगार समझते हो और उतनी लम्बी होगी जो परीक्षा और प्रमाणपत्र के साथ उन्हें पोत पुनर्चक्रण प्रचालनों की जानकारी और जोखिम कारकों से अलग करने के लिए आवश्यक हो। प्रशिक्षण में कार्य से जुड़े जोखिम और आपात स्थितियों के दौरान एक व्यक्ति की भूमिका शामिल है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पोत पुनर्चक्रण से संबंधित कोई कार्य सौंपने से पूर्व स्टेट मेरी टाइम बोर्ड/पतन प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इससे अतिरिक्त निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा :

- फैक्ट्री अधिनियम 1948 से उपबंधों और इसके तहत बने नियमों के अनुसार प्लाट में कार्य कर रहे कामगारों का एक उपस्थिति पंजिका रखी जाएगी।
- व्यक्तिगत विवरण वाले फोटो पहचान पत्र पतन प्राधिकारियों/एसएमबी द्वारा अनुमोदित पद्धति में पोत पुनर्चक्रण कर्ताओं द्वारा जारी किए जाएंगे और पोत पुनर्चक्रण कर्ता कामगारों के प्रवेश और बाहर निकलने का उचित रिकार्ड रखेंगे।
- संगत नियमों के अनुसार अपेक्षित अहंरता और अनुभव वाले एक सुरक्षा पर्यवेक्षक को काम पर रखा जाएगा।
- संबंधित पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलाप में केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत कामगारों को रखा जाएगा जिनके पास ऊपर उल्लिखित खण्ड 6.3.2(ii) के अनुसार जारी किया गया पहचान पत्र हो।
- न्यूनतम दो कामगारों को रखा जाएगा जो पोत पुनर्चक्रण कार्यकलाप के दौरान गैस का पता लगाने वाले उपकरण को चलाने के लिए प्रशिक्षित हो।
- एस्बेस्टस का हथालन उन ठेकेदारों, अथवा कामगारों द्वारा किया जाएगा जिनके पास उचित प्रशिक्षण के साथ एस्बेस्टस के हथालन का विशेष ज्ञान और कौशल हो।
- प्लाट पर सभी उपकरणों, जैसे कि क्रेन, विंच, चैन रोप और शाकल, जेनरेटर सैट और कोई अन्य सुरक्षा उपकरण जो कि समय-समय पर विहित किया जाए, को फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के उपबंधों और इसके तहत बनाए गए नियमों और किसी संगत अधिनियमों और नियमों के अनुसार लगाया और उनका अनुरक्षण किया जाएगा।
- ज्वलनशील और जहरीली गैस डिटेक्टरों का यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर आशांकन किया जाएगा कि वह इस्तेमाल करने पर सही स्थिति दर्शाए और प्लाट पर चालू हालत में हमेशा आक्सीजन प्रतिशत विश्लेषक उपलब्ध हो।
- कामगारों को इस प्रयोजनार्थ संगत अधिनियमों और नियमों में प्रदत्त पीपीई प्रदान किए जाएंगे जैसे कि हेल्मेट, सेफ्टी जूते, वेल्डिंग चश्मे, सुरक्षित जीवन रेखा के साथ सुरक्षा बेल्ट, दस्ताने, सेल्फ कन्टेन सांस उपकरण आदि और ऐसे सुरक्षा उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो अथवा समकक्ष संगत मानकों के अनुरूप हो अथवा मुख्य फैक्ट्री निरीक्षक (संबंधित राज्य सरकार के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा) अनुमोदित हो, और

कार्यकलापों के दौरान कामगारों द्वारा निरपवाद रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।

(x) पोत पुनर्चक्रण कार्यकलापों में लगे कामगारों को सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा प्लाट और पोत पर लगाए गए और अनुरक्षित किए गए अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और इस्तेमाल के संबंध में जरूरी अनुदेश दिए जाएंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कामगारों को ऐसे अनुदेश उन्हें वास्तविक कार्य देने अथवा सौंपने से पूर्व दे दिए जाए।

(xi) कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण कक्ष को तोड़ते समय और सिलेण्डरों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते समय उचित सावधानी बरती जाएगी और यह कि

(क) ऐसे प्रचालन केवल तभी किए जाएंगे जब आस-पास कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा हो; और

(ख) ऐसे प्रचालन केवल सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक की उपस्थिति और उसके अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे।

6.4 पर्यावरणीय अनुपालन

6.4.1 पोत पुनर्चक्रण कर्ता जल और वायु अधिनियम, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं समापार संचलन) नियम, 2008 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और तटीय विनियम क्षेत्र की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार कड़ाई से पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करेगा। साथ ही निम्नलिखित भी सुनिश्चित करेगा :

(i) प्लाट/याई को साफ एवं सुथरा रखेगा और हर समय अच्छा रखरखाव रखेगा।

(ii) सभी प्लॉट होल्डर खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं समापार संचलन) नियम, 2008 और इसमें समय-समय पर जारी संशोधनों के अन्तर्गत एसपीसीबी द्वारा यथा प्राधिकृत अस्थायी स्टोरेज का निर्माण करेगा।

(iii) प्रत्येक प्लाट होल्डर एस्बेस्टस वाली सामग्री (एसीएम) और एस्बेस्टस कचरे के हथालन के लिए प्रशिक्षित कामगारों सहित विशेष रूप से तैयार किए गए ऋणात्मक दबाव चैम्बर उपलब्ध कराएगा अथवा उनको निकालने के लिए सामान्य मोबाइल सुविधा का उपयोग करेगा। पोतों का पुनर्चक्रण करे समय कार्य क्षेत्र में एस्बेस्टस फाइबर की मात्रा निर्धारित मापदण्ड अर्थात् नीले और भूरे एस्बेस्टस के लिए 0.1 फाइबर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से कम और ओएसएचए मानकों के अनुसार 1 फाइबर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम के अनुसार होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से प्लाट होल्डरों को डीजी एफएसएलआई और एसपीसीबी द्वारा यथा अनुमोदित सामान्य एस्बेस्टस हथालन प्रणाली का इस्तेमाल करेगा।

(iv) प्रत्येक प्लाट होल्डर को एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत ट्रीटमेंट स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी (टीडीएसएफ) का इसमें अपने-अपने कचरे का निपटान करने के लिए सदस्य बनना होगा।

(v) प्रत्येक प्लाट होल्डर हर प्रकार के जनि कचरे का हिसाब सहित रजिस्टर रखेगा। इसी प्रकार से पोत पुनर्चक्रण कर्ता सभी श्रेणी के कचरे के लिए पोत वार रजिस्टर रखेगा।

(vi) पोत पुनर्चक्रण कर्ता निपटान किए गए कचरे की वास्तविक मात्रा के आधार पर टीएसडीएफ प्रचालक/एसएफबी को अपशिष्ट प्रबंध प्रभारों के लिए भुगतान करेगा यदि एसएमबी उसका प्रचालक कर रहा हो।

(vii) विक्रेता और नकद खरीदार/पोत पुनर्चक्रण कर्ता लंगरगाह से पोत पुनर्चक्रण प्लाटों तक किसी तेल रिसने की स्थिति से निपटाने के लिए स्थानीय तेल रिसाव आपात योजना को लागू करेगा। तेल रिसाव आपात योजना भारतीय तटरक्षक द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

(viii) पोत पुनर्चक्रण कर्ता जनशक्ति, उपकरण, पात और अपेक्षित वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, मुहैया कराने सहित समय-समय पर किए गए पर्यावरणीय मानिट्रिंग हेतु, विनियामक प्राधिकारियों को अपनी सहायता में वृद्धि करेगा।

(ix) नए प्लाटों अथवा याइडों के विकास के लिए पोत पुनर्चक्रण कर्ता को एसएमबी अथवा पतन न्याता/पतन प्राधिकारियों के माध्यम से ईआईए

अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी और सीआरजेड अधिसूचना - 1991 के अन्तर्गत तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

(x) एसपीसीबी खतरनाक कचरे आदि के प्रबंधन और हथालन की निगरानी करेगा। पोतों की मुख्य मर्द और निपटान विकल्पों के साथ चिन्ता वाले पदार्थ इस प्रकार से हैं:-

क्रम सं.	पोत की मुख्य जिसमें चिन्ता वाले पदार्थ हो सकते हैं	चिन्ता वाले पदार्थ	चिन्ता के वाले पदार्थों को निपटाने का उचित विकल्प (पुनः इस्तेमाल/पुनर्चक्रण/भस्म करना और सुरक्षित लेण्डफिल में निपटा देना)
1.	इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, बैटरी, एक्जुमुलेटर	बेकार बैटरियों में पोलिक्लोरोइनेटिड बाईफेलाइल (पीसीबी) लीड/इलेक्ट्रोलाइट वाला डाइइलेक्ट्रिक द्रव्य	पंजीकृत पुनर्चक्रण कर्ताओं के माध्यम से लीड के स्थिरीकरण/हट्टीकरण पुनर्चक्रण के पश्चात सुरक्षित लेण्डफिल में भस्म/निपटान; इलेक्ट्रोलाइट की अभिक्रिया और निपटान
2.	एयर कन्डीशनर एवं रेफ्रिजेशन मशीनें	ओजोन डिप्लेटिंग सभ्सटांस इवपोरेटर डोसिंग/डिकेलिंग एसिड के रूप में रेसिड्युअल रेफ्रिजेंट	पंजीकृत इकाइयों के जरिये प्राप्ति/पंजीकृत इकाइयों/सुविधाओं के जरिये प्राप्ति अथवा अभिक्रिया और निपटान
3.	टैंक्स	ईंधन, स्नेहक, स्लज तेल और ग्रीस प्लास्ट टैंक की तलछटी	पंजीकृत पुनर्चक्रण कर्ताओं/परिष्कारकों के माध्यम से पुनः इस्तेमाल, परिष्करण/पुनर्चक्रण
		में बाह्य जलीय जीव	गन्दे पानी की अभिक्रिया एवं निपटान गहरे समुद्र में प्लास्ट पानी बदलना
4.	विभाजक दीवारें	एस्बेस्टस वाली सामग्रियां (एसीएम), पीसीबी वाले पेन्ट्स और /अथवा लीड अथवा टूटे हुए टूकड़े वाले एसीएम	पुनः इस्तेमाल/स्थिरीकरण/हट्टीकरण के पश्चात पंजीकृत सुरक्षित लेण्डफिल के निपटान। स्थिरीकरण/हट्टीकरण के पश्चात पंजीकृत सुरक्षित लेण्डफिल में निपटान।
5.	तारें	इन्सुलेशन में पीसीबी अन्तर्विष्ट तारें	पुनः इस्तेमाल; स्थिरीकरण/हट्टीकरण के पश्चात बेकार तार इन्सुलेशन का पंजीकृत सुरक्षित लेण्डफिल में निपटान
6.	उष्मा एक्सचेंजर	ऊपरी सतहों पर एस्बेस्टस इन्सुलेशन	स्थिरीकरण/हट्टीकरण के पश्चात अश्वक का पंजीकृत सुरक्षित लेण्डफिल में निपटान।
7.	स्टोरेज	जहरीले रसायन/रिएजेन्ट के अवशिष्ट	अभिक्रिया से पश्चात सुरक्षित लेण्डफिल में भस्म/निपटान करना
8.	भण्डार किया हुआ सोल्वेंट और अन्य रसायन भण्डार	जहरीले रसायनों, सोल्वेंट, थिन्नेर, केरोसीन, सफेद स्पिट, पानी अभिक्रिया रसायनों के अवशिष्ट एसिटालिन/प्रोपेन/ब्यूटेन / विविध दवाइयों	सुरक्षित लेण्डफिल में भस्म/निपटान करना/पानी अभिक्रिया रसायनों के मामलों में अभिक्रिया/हट्टीकरण के पश्चात सुरक्षित लेण्डफिल में भस्म/निपटान करना। पुनः प्रयोग न की जा सकने वाली दवाइयों को भस्म करना।

9.	पैन्ट का पीसीबी, ट्राइबूटाइलटिन	सुरक्षित लेण्डफील
	कबाड़ (टीबीटी), लीड	(एसएलएफ) में निपटान करना
10	सेक्रीफिसिएल एनोड्स	भारी धातुएं
		गतिलेनता के लिए पहले से ही अभिक्रिया के पश्चात् सुरक्षित लेण्डफील में निपटान
11	अग्निशामक और अग्निशामन उपकरण	हेलोन, कार्बनडाइऑक्साइड, सिलेण्डर
		पुनः इस्तेमाल करने के लिए प्राप्ति और बैंकिंग। प्राधिकृत सुविधाएं के माध्यम से पुनर्चक्रण; पुनर्चक्रण/पुनः इस्तेमाल।
12	पाइपिंग, वाल्व और फिटिंग	इन्सुलेशन/गैसकेट्स के रूप में एस्बेस्टस
		हट्टीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् सुरक्षित लेण्डफील में निपटान करना।
13	पम्प और कम्प्रेसर	गैसकेट में एस्बेस्टस
		हट्टीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् सुरक्षित लेण्डफील (एसएलएफ) में निपटान।
14	इंजिन और जनरेटर	एस्बेस्टस इन्सुलेशन, स्नेहकों/तेल/कूलेंट एन्टीफ्रीज कम्पाउण्ड के अवशिष्ट
		हट्टीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् सुरक्षित लेण्डफील (एसएलएफ) में निपटान अथवा भस्म करना; अभिक्रिया के पश्चात् सुरक्षित लेण्डफील में निपटान, कूलेंट के लिए पूर्व अभिक्रिया और सुरक्षित लेण्डफील में निपटान
15	तेल हौदी	तलछट
		सुरक्षित लेण्डफील में निपटान।
16	हाइड्रोलिक प्रणाली	अवशिष्ट द्रव्य, एन्टीफ्रीज द्रव्य
		पंजीकृत/प्राधिकृत इकाइयों के जरिये पुनः परिष्कृत करना
17	लाईट	पीसीबी
		बेकार सामग्री का सुरक्षित लेण्डफील में निपटान
	फिटिंग और फिक्सचर	
		लेण्डफील में निपटान
18	उपकरण	आयोनाइजिंग विकिरण आधारित स्मोक डिटेक्टर सहित पारा, रेडियोधर्मी सामग्री
		आसवन द्वारा प्राप्ति; प्राप्त पारे का पुनः इस्तेमाल और अवशिष्ट का सुरक्षित लेण्डफील में निपटान। निपटान एईआरबी के मापदण्डों के अनुसार करना।

(xi) सभी पोत भंजन इकाइयों को वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियाँ जैसे सक्शन यंत्रों अथवा जल स्पिंकालर्स मुहैया कराए जाएंगे।

6.4.2. ऊपर उल्लिखित खतरनाक सामग्री, पुनः बिक्री के लिए नहीं है, उसे आगे की अभिक्रिया एवं निपटान से लिए प्राधिकृत कचरा प्रबंध सुविधा के हवाले कर दिया जाएगा।

6.4.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त एसपीसीबी पोत पुनर्चक्रण यार्डों के 10 किलोमीटर की परिधि के साथ-साथ कार्य क्षेत्र वातावरण में परिवेशी वायु गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, तलछट की गुणवत्ता और समुद्रीय जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करेगा। एसएमबी/पतन प्राधिकरण स्वतन्त्र रूप से उसकी किसी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं अथवा उसकी मापदण्डों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत मान्यताप्राप्त पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के जरिये वर्ष में दो बार निगरानी करेगा। इसके इसके अतिरिक्त एसएमपी/पतन प्राधिकरण प्रत्येक पांच वर्ष के समय अन्तराल पर "शून्य कचरा" और "शून्य दुर्घटनाएं" के लक्ष्य वाला पुनर्चक्रण पद्धति विकसित करने के अधिदेश के साथ ब्रीचिंग पद्धति के सुधार पर विस्तृत विश्लेषण करेगा।

6.5 खतरनाक सामग्री और खतरनाक कचरों को हटाने, उसके भण्डारण और निपटान हेतु सुविधाओं का सृजन/उसमें वृद्धि :

6.5.1 प्लास्ट पानी को गहरे समुद्र में बदला जाता है ताकि स्थानीय पर्यावरण में सेरीसीन जीवों के प्रवेश से बचा जा सके। तलछटों को सामान्यतः यार्ड/अन्तः ज्वारीय क्षेत्र में निपटारा जाता है। इससे बचने के लिए पोत मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मास को हिलाकर प्लास्ट पानी के साथ-साथ तलछटों का भी निपटान हो गया है। वैकल्पिक रूप से यार्ड में तलछट ग्रहण करने की सुविधा हो जिसकी स्थापना पतन प्राधिकरण/एसएमबी अथवा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा लागत वसूली आधार पर की जाएगी।

6.5.2 तेल तलछट को हटाने की पद्धति को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि कामगारों के असुरक्षित और असुरक्षित यातावरण के प्रभाव में आने से बचा जा सके। यार्ड टैंक के अन्दरूनी सतहों को साफ करने के लिए आधुनिक पद्धतियाँ अपनाकर मोबाइल टैंक सफाई प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें डिटरजेंट और उच्च दाब वाले जेटों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

6.5.3 अक्षक को निकालने और उसके निपटान के लिए ऊपर धारा 6.1.10 (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ड) और (ड) में बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

6.5.4 पतन प्राधिकरण अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा बिल्ज पानी को साफ करने के लिए भूमि पर सामूहिक सुविधा स्थापित की जाएगी और पुनर्चक्रण कर्ताओं को लागत वसूली आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैकल्पिक रूप से पतन प्राधिकरण अथवा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा मोबाइल सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। तलछटों को निपटान के लिए सुरक्षित लेण्डफील भेज दिया जाएगा।

6.5.5 प्लाट/यार्ड/निष्क्रिय क्षेत्र पर कोई भी सामग्री नहीं जलाई जाएगी।

6.5.6 पोत पुनर्चक्रण अनुमति निम्नलिखित शर्त के अधीन प्रदान की जाएगी:

(i) पोत भंजन के दौरान जनित कचरे को खतरनाक और गैर-खतरनाक श्रेणियों में बांटा जाएगा और संबंधित प्राधिकरण को उसकी मात्रा की सूचना देगा।

(ii) पोत भंजन प्रक्रिया के दौरान जनित बेकार तेल पंप और अन्य खनिज तेल तथा पीट के टुकड़ों को सावधानी से निकाला जाएगा और उसको तत्काल सुरक्षित अभिक्रिया और निपटान के लिए समुद्र तट से बाहर क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा।

(iii) पोत भंजन के दौरान जनित सामग्री की खतरनाक और गैर-खतरनाक कचरे के रूप में विधियत वर्गीकृत सूची आवधिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में एसपीसीबी को प्रस्तुत की जाएगी।

6.5.7 खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2008 के अन्तर्गत टीडीएसएफ द्वारा पोतों से प्राप्त सभी गैस सिलेण्डरों को सुरक्षित खाली और टुकड़े कर दिया जाएगा। किसी भी गैस सिलेण्डर की बिक्री नहीं किया जाएगा।

6.6 पर्यावरणीय उपाय और सफाई व्यवस्था

6.6.1 पोत पुनर्चक्रण कर्ता पोत पुनर्चक्रण कार्यकलापों के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड (एसपीसीबी) से जरूरी प्राधिकरण और सहमति प्राप्त करेगा और उस संबंध में निम्नलिखित विनिर्देशनों का पालन करेगा :

(क) पोत पुनर्चक्रण कर्ता - जहां लागू हो, जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2008 और पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बनाए गए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियम-1991 आने वाले सभी मापदण्डों/विनिर्देशनों का पालन करेगा।

(ख) पोत पुनर्चक्रण कर्ता अवशिष्ट सामग्री जैसे खली, आर्जेविक पदार्थ जैसे द्रव्य/ठोस सीमेन्ट के डेड कर्गी, धर्मकोल के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, रबड़ के टुकड़े, कबाड़ लोह और अन्य धातुओं के टुकड़े, ग्लास बूल, रबर के पाईप और गैसकेट, पोलि विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के पाइप लाइन और

पीवीसी शीट के टूकड़े, कार्क, एस्बेस्टस के टूकड़े आदि को सीधे समुद्र में अथवा समुद्र तट पर फेंकने की अनुमति नहीं देगा किन्तु यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह क अवशिष्ट सामग्री को इकट्ठा करके और उसको प्लाट के भीतर ही सुरक्षित भण्डार सुविधा में भण्डार कर दिया जाए और तत्पश्चात् उसको सुरक्षित लेण्डफील स्थल पर भेज देगा। प्रत्येक पुनर्चक्रित किए गए पोट से यार्ड में जनित ऐसे कचरे की मात्रा के संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा। किसी भी स्थिति में पोट पुनर्चक्रण यार्ड से भीतर अथवा बाहर खुले में खतरनाक कचरे को जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) पोट पुनर्चक्रण कर्ता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जहरीली सामग्री जैसे कि एस्बेस्टस, लेड (पीबी), क्रोमियम (सीआर) आदि और जैविक सामग्री जैसे कि पोली-क्लोरीनेटिड बाईफिनाइल (पीसीबी) को एकत्रित और उसका निपटान करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेगा।

(घ) पोट पुनर्चक्रण कर्ता तेल टैंकों के कार्गो क्षेत्रों को साफ करने के पश्चात् प्राप्त किए गए, यदि कोई हों, रेत और महीन पाउडर को अलग से एकत्रित करेगा और उसका एसपीसीबी के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित लेण्डफीन में निपटान करेगा।

(ङ) पोट पुनर्चक्रण कर्ता रोजाना कार्य क्षेत्र पर समुद्र के पानी का छिड़काव करेगा ताकि सामग्री के हथालन के कारण जमा होने वाली धूल को कम किया जा सके।

(च) पोट पुनर्चक्रण कोई तेल रिसाव होने और समुद्र में जाने की स्थिति में तटरक्षक को सूचित करेगा। यदि रिसाव को रोका एवं स्थानीय तौर पर हटाया नहीं जाता है तो नेशनल आयल स्पिल डिस्ट्रिब्यूशन कन्टीजेंसी प्लान (एनओएसडीसीजी) के अनुसार संबंधित प्राधिकरण को जरूरी प्रदूषण रिपोर्ट देगा। रिसाव करने वाला सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।

(छ) पोट पुनर्चक्रण कर्ता ईईआरबी मापदण्डों के अनुसार सुरक्षित निपटान के लिए एसएमबी/पतन प्राधिकरण को स्मोक डिक्टर को हटाने और समर्पित करने का ब्यौरा रखेगा और उसका समर्पण सुनिश्चित करेगा।

6.7 ठोस अवशिष्ट प्रबंध

6.7.1 संबंधित एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार प्लाट में जनित ठोस अवशिष्ट के एकत्रण, परिवहन, भण्डारण और निपटान के लिए प्लाट में आधुनिक ठोस अवशिष्ट निपटान प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा।

6.7.2 अभ्रक कचरे के हथालन में विशेष ध्यान दिया जाएगा और ऐसे कचरे की कुल मात्रा को संबंधित प्राधिकारी को बताया जाएगा। संबंधित एसपीसीबी अभ्रक कचरे का अन्तिम निपटान प्राधिकृत और सुनिश्चित करेगा।

6.7.3 पोट पुनर्चक्रण कर्ताओं को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार संचालन) नियम, 2008 के अन्तर्गत संबंधित एसपीसीबी द्वारा केवल तभी प्राधिकार दिया जाना चाहिए जब उनके पास पर्यावरणीय रूप से अच्छे तरीके से कचरे के हथालन और निपटान का प्रावधान हो। सभी प्राधिकार को बाद में केवल तभी नवीन करना चाहिए यदि उन्होंने प्राधिकार की शर्तों का पालन किया हो और उनके पास पर्यावरणीय रूप से अच्छे तरीके से कचरों का निपटान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हो।

6.7.4 आयोनाइजेशन चेम्बर आधारित स्मोक डिटेक्टरों सहित रेडियोधर्मी कचरे यदि हो, को उस समय तक विशेष स्थान में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा जब तक उसको ईईआरबी के मानदण्ड के अनुसार निपटा नहीं दिया जाता।

6.8 सफाई व्यवस्था

6.8.1 पोट पुनर्चक्रण कर्ता कार्य स्थल को साफ और सुथरा रखेगा। प्लाट के भीतर मशीनरी और सामग्री/कबाड़ आदि को व्यवस्थित ढग से रखेगा ताकि किसी दुर्घटना अथवा आग अथवा विस्फोट होने की अवस्था में बचाव कार्य के लिए रास्ता सुगम हो।

6.8.2 पोट पुनर्चक्रण पूरा होने के पश्चात् एसएमबी/पतन प्राधिकरणों को पोट पुनर्चक्रण का कार्य पूरा होने का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

6.9 स्वास्थ्य अनुपालन

(i) पोट पुनर्चक्रण कर्ता अपनी लागत पर पोट भंजन मजदूर के लिए स्वास्थ्य कैंम्पा का नियमित आयोजन करेगा। पोट पुनर्चक्रण कर्ता भंजन कामगारों के लिए अपने खर्च पर निदान, ईलाज और रेफरल की भी व्यवस्था करेगा।

(ii) एसएमबी पोट पुनर्चक्रण यार्डों पर पोट पुनर्चक्रण उद्योगों से हुई विकलांग विज्ञान, जलने और अन्य चिरकालिक बीमारियों के ईलाज हेतु पर्याप्त संख्या में स्थायी स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सक रखेगा।

(iii) ऐसी सुविधाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ऑक्युपेशनल हेल्थ (एनआईओएच) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) संस्थानों को शामिल किया जा सकता है।

6.10 राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई

6.10.1 (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण और पोट पुनर्चक्रण यार्ड में पोट पुनर्चक्रण कार्यकलापों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। एसएमबी/पतन प्राधिकरण पोट पुनर्चक्रण कार्यकलापों की कड़ाई से पर्यवेक्षण करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बचाव कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य सुरक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। यह फैक्ट्री अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों/निरीक्षकों के अतिरिक्त है।

6.10.2 एसएमबी/पतन प्राधिकरण के सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक और/अथवा फैक्ट्री अधिकारी और/अथवा सुरक्षा रेटिंग टीम के सदस्यों जिसका गठन पतन प्राधिकरण/एसएमबी द्वारा पोट पुनर्चक्रण यार्ड में सुरक्षा मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा आवधिक रूप से पोट पुनर्चक्रण प्लाट का दौरा करेगा और संबंधित प्लाटों, ऐसे दौरों के दौरान उनके द्वारा पाई गई असुरक्षित व्यवहारों की घटनाओं को जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक के ध्यान में लाएगा।

6.10.3 पोट पुनर्चक्रण प्लाटों में यदि किसी अनुचित व्यवहारों अथवा असुरक्षित कार्यों को पाया जाता है तो एसएमबी/पतन प्राधिकरण के पास कटाई कार्य को तब तक अस्थायी रूप से आस्थगित करने की शक्तियां होंगी जब तक एसएमबी/पतन प्राधिकरण के संतोष अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर ली जाती है।

6.10.4 एसएमबी/पतन प्राधिकरण पोट पुनर्चक्रण यार्ड/प्लाट को निम्नलिखित मुहैया कराएगा :

i. पानी

ii. स्वच्छता सुविधाएं

6.10.5 एसएमबी/पतन प्राधिकरण पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और शौचिग केन्द्र आदि के लिए सुविधाओं के साथ अधिभारों से किराये के द्वारा लागत वसूली आधार पर उचित स्थानों पर कामगारों के लिए आवास/शयनशाला सुविधा मुहैया कराएगा।

6.10.6 एसएमबी/पतन प्राधिकरण समयबद्ध तरीके से निम्नलिखित कदम उठाएगा:-

i. पट्टे हेतु उचित समय अवधि सहित प्लाटों हेतु पट्टे की व्यवस्था, उचित प्लाट आकार और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लेआउट को युक्तिसंगत बनाने के लिए ताकि पोट भंजन कार्य सुव्यवस्थित और बेहतर तरीके से किया जा सके ताकि सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय रूप से मजबूत पोट पुनर्चक्रण प्रचालन प्रबंधन की अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

ii. मॉडल पोट पुनर्चक्रण सुविधा की स्थापना करना। इस मॉडल सुविधा को पोट भंजन कार्यों को करने के लिए संभावित प्लाट धारकों को पट्टे पर देने के साथ-साथ एक प्रदर्शक/प्रशिक्षण सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

6.11 प्रशिक्षण

6.11.1 एसएमबी/पतन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से पोट पुनर्चक्रण कार्य के हथालन के लिए उचित व्यवस्था करेगा कि सभी कामगारों को प्रशिक्षित किया जाए। गैस डिटेक्टर और अभ्रक तथा अन्य खतरनाक सामग्रियों के हथालन के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्थाएं की

जाएंगी। इस प्रकार के प्रशिक्षण के पश्चात संबंधित कामगारों को विशेषज्ञता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

6.11.2 उस समय तक जब तक अलग प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र की व्यवस्था न हो तब तक एसएमबी/पतन प्राधिकरण प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र के लिए जरूरी अस्थायी सुविधाएं स्थापित करेगा अथवा ऐसा करने के लिए सक्षम एजेंसी को प्राधिकृत करेगा।

6.12 अन्य प्रकीर्ण प्रावधान

6.12.1 आवासन सुविधाओं सहित कामगारों को पेयजल और जलापूर्ति, समय स्वच्छता और स्वस्थ सुविधाओं की जिम्मेदारियां एसएमबी/पतन प्राधिकरण सी होगी और इन प्राधिकरणों इस कोड के लागू होने की तारीख से 12 महीनों के भीतर ये सुविधाएं स्थापित करनी होंगी।

6.12.2 यदि किसी मामले में पोत भंजन व्यवसाय के कारण कोई कामगार एम्बेस्टेसिस कैंसर और ऐसी निशकताओं, जिसमें दुर्घटनाओं में किसी अंग अथवा शरीर के किसी अंग से हाथ धोना शामिल हैं, से पीड़ित हो जाता है तो संबंधित पोत पुनर्चक्रण कर्ताओं अथवा पोत पुनर्चक्रण संघ कामगार को मुआयजा देगा। यदि कामगार के पोत पुनर्चक्रण कार्यकलापों के दौरान एम्बेस्टेसिस और अन्य बीमारियां पाई जाती हैं और निशकता हो जाती है तो पोत पुनर्चक्रण कर्ताओं को बीमारी उपरांत योजनाओं के रूप में कामगारों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में काम पर रखना होगा और उनकी आजीविका की रक्षा करनी होगी।

6.12.3 पोत पुनर्चक्रण कर्ता पोत पुनर्चक्रण कामगारों को फैक्ट्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दोपहर के समय ऐसे काम के लिए इन कामगारों की अपेक्षित पोषक अपेक्षा के लिए खाद्य/भोजनालय सुविधाएं प्रदान करेगा। पोत पुनर्चक्रण कर्ता कमजोर और खून की कमी वाले कामगारों को काम पर नहीं रखेगा। ऐसे मामलों में यदि एसएमबी/पतन प्राधिकरण ऐसे मामले को पाते हैं तो एसएमबी/पतन प्राधिकरण और पोत प्राधिकारी ऐसी कामगारों को तत्काल हटा देंगे जो श्रमोन्मुखी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

6.12.4 एसएमबी/पतन प्राधिकरण राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मदद से प्रत्येक कामगार का स्वास्थ्य ब्यौरा का डाटाबेस और स्वास्थ्य कार्ड बनाएगा ताकि पोत भंजन उद्योग में लगे कामगारों का बुनियादी स्वास्थ्य स्थिति सृजित की जा सके।

अध्याय - VII

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन

7.1 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

7.1.1 किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर कार्य दशाओं में सुधार करने की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से अपनाई जानी चाहिए ताकि उन्हें यथोचित स्तर पर लाया जा सके। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टि से वंशनीय स्वीकार्य कार्य दशाएं हासिल करने की दृष्टि से उनकी सतत समीक्षा, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और कार्रवाई हेतु स्थायी ढांचों में निवेश करना आवश्यक है। प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह प्रणालियां सुविधाओं की अपेक्षाओं के हिसाब से होंगी और उनके आकार तथा कार्यकलापों के स्वरूप के हिसाब से उपयुक्त होंगी।

7.1.2 विशिष्ट रूप से, किसी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य तत्व अंतर्विष्ट होंगे :

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति;
- निष्पादनकारी संगठन के लिए आवश्यक शर्तें अर्थात् जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना, जागरूकता और प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण, संचार और सूचना;
- जोखिम एवं खतरा आकलन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन; और
- व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं सुधार के लिए उपचात्सक कार्रवाई करना।

7.2 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति

7.2.1 पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए ओएसएच नीति में निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य शामिल होने चाहिए जिनके प्रति सुविधा प्रतिबद्ध हो :-

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कार्यक्रमों के प्रति प्रबंधकीय प्रतिबद्धता;
- ओएसएच को समय प्रबंधकीय संरचना के अभिन्न अंग के रूप में तथा ओएसएच निष्पादन को सुविधा के व्यावसायिक निष्पादन के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देना;
- कार्य से जुड़ी चोटों और बीमारियों, अव्यवस्थता और घटनाओं को रोककर सुविधा के समस्त कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का संरक्षण करना;
- संगत ओएसएच राष्ट्रीय विधियों और विनियमों, स्वैच्छिक कार्यक्रमों, ओएसएच संबंधी सामूहिक करारों और अन्य ऐसी अपेक्षाओं, जिनके प्रति सुविधा सहमत है, का अनुपालन करना;
- यह सुनिश्चित करना कि कामगार और उनके प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है और ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के समस्त घटकों में उन्हें सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और
- ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के निष्पादन में सतत सुधार।

7.3 योजना और कार्यान्वयन

7.3.1 प्रारम्भिक समीक्षा के परिणामों, उत्तरवर्ती समीक्षा और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पर्याप्त और समुचित ओएसएच योजना के लिए व्यवस्था की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- मौजूदा खतरों को जितना संभव हो सके उतना कम करके के लिए ओएसएच उद्देश्यों की, जहां उचित हो, एक स्पष्ट परिभाषा, पूर्णता निर्धारण और प्रमाणीकरण;
- प्रत्येक उद्देश्य को हासिल करने के लिए सुपरिभाषित उतरदायित्व और स्पष्ट निष्पादन मानदण्डों सहित, योजना तैयार करना, जिसमें यह इंगित किया गया हो कि किसके द्वारा क्या किया जाना है और कब किया जाना है;
- तदुत्तरीय विचारक एवं संरक्षणकारी उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन;
- इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, मापन मानदण्डों का चयन; और
- मानक और वित्तीय संसाधनों तथा तकनीकी समर्थन सहित, जो उचित हों, पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान।

7.4 आपातकालीन तैयारी

7.4.1 आपातकालीन निरोध, तैयारी और प्रतिक्रिया व्यवस्थाएं स्थापित और अनुरक्षित की जाएगी। इन व्यवस्थाओं में दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों की संभावना को चिन्हित किया जाएगा और उनसे संबद्ध ओएसएच जोखिमों के निवारण की प्रक्रिया बताई जाएगी। व्यवस्थाएं पोत पुनर्चक्रण सुविधा की अवस्थिति और यातायात के अनुसार की जाएंगी और इनमें प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण संक्रिया से संबद्ध कार्यकलापों के परिणाम और स्वरूप को भी ध्यान में रखा जाएगा। इनमें,

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुविधा में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सभी लोगों को बचाने के लिए आवश्यक सूचना, आंतरिक संसूचना और समन्वय प्रदान किया जाएगा;
- संगत सक्षम अभिकरणों, और आस पड़ोस तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और उनके साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया जाएगा;
- प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा सहायता, अग्नि-शमन और सुविधा पर मौजूद सभी लोगों को वहां से निकालने की व्यवस्था की जाएगी; और
- पोत पुनर्चक्रण सुविधा के सभी स्तरों के समस्त सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त सूचना और प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा जिनमें

आपातकालीन निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं संबंधी नियमित अभ्यास शामिल है।

7.5 कार्य से संबंधित चोटों और बीमारियों, अस्वस्थता और घटनाओं की रिपोर्ट करना, अभिलेखन और सूचना देना

7.5.1 संस्थापन में, कार्य से जुड़ी चोटों और बीमारियों, अस्वस्थता और घटनाओं की रिपोर्टिंग, अभिलेखन और सूचना के लिए प्रणालियों की समीक्षा और अनुप्रयोग का विकास किया जाएगा।

7.5.2 कार्य से जुड़ी चोटों और बीमारियों, अस्वस्थता तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग, अभिलेखन, सूचना और जांच-पड़ताल, सक्रिय निगरानी के लिए आवश्यक हैं और निम्नलिखित के लिए यह कार्य किए जाएंगे :-

- (क) सुविधा के स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए;
- (ख) पोट पुनर्चक्रण कार्यक्रमों से उत्पन्न सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याओं की पहचान करने के लिए;
- (ग) कार्य की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए;
- (घ) व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावी विधियां विकसित करने के लिए; और
- (ङ) सुरक्षा और स्वास्थ्य के संतोषजनक स्तर हासिल करने के लिए किए गए उपायों की प्रभाविता की निगरानी करने के लिए।

7.6 कार्य से जुड़ी चोटों की सूचना देना

7.6.1 कार्य स्थल पर होने वाली सभी दुर्घटनाओं की सूचना, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 और 88-क के अनुसार औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) को दी जाएगी और इसकी एक प्रति एसएमबी/पतन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

7.6.2 सूचना तुरन्त दी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित अन्तर्बिष्ट होंगी:

- (क) कारखाना निरीक्षणालय और एसएमबी/पतन प्राधिकरण को भेजने के लिए एक दुर्घटना रिपोर्ट; और
- (ख) बीमा संस्था को भेजने के लिए एक क्षतिपूर्ति रिपोर्ट।

7.7 व्यावसायिक बीमारियों की सूचना देना

7.7.1 व्यावसायिक बीमारियों के संबंध में सूचना कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 89 के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी और चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी :-

- (क) रोगी का नाम और पूरा पता
- (ख) उस बीमारी का नाम, जिससे रोगी के पीड़ित होने की संभावना है,
- (ग) उस परिसर का नाम और पता जिसमें रोगी नियोजित है या अंतिम बार नियोजित था।

7.8 पहुंच और निर्गमन के साधन

7.8.1 पोट पुनर्चक्रण की समस्त संक्रियाओं के दौरान समस्त कार्यस्थलों के लिए पहुंच और निर्गमन के पर्याप्त और सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये साधन एक सुरक्षित स्थिति में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

7.8.2 पोतों तक पहुंच बनाने के साधन निम्नलिखित होंगे :

- (क) जहां व्यवहार्य हो, पोट की आवास सीढ़ी, गलियारा या इसी तरह का उपस्कर; अथवा
- (ख) अन्य मामलों में, सीढ़ियां, जीना, अथवा यदि आवश्यक हो, रस्सी की सीढ़ियां अथवा इसी तरह के उपस्कर।

7.8.3 पहुंच के साधन :

- (क) अवरोधमुक्त रखे जाएंगे; यदि वे कार्यस्थल से होकर गुजरते हैं तो ऊपर से गिरती हुई वस्तुओं से उनका बचाव किया जाएगा;

(ख) जहां तक व्यवहार्य हो, इस प्रकार से संस्थापित किए जाएंगे ताकि उनके ऊपर से कोई भारी सामान न गुजरता हो, किसी घटना की स्थिति में, जब कामगार पहुंच के साधनों पर मौजूद हों तो उस समय उन साधनों के ऊपर से कोई भारी सामान नहीं गुजारा जाएगा।

7.8.4 पोट के अन्दरूनी भागों, छतों या छतों के बीच हैचों, छिद्रों अथवा पहुंच के अन्य साधनों पर सुरक्षा अवरोधों की व्यवस्था की जाएगी। यदि स्थिर पकड़-सीढ़ियों की व्यवस्था करना व्यवहार्य न हो तो वहनीय धातु-सीढ़ियों (या समुचित प्रकार की लकड़ी की सीढ़ियों) की व्यवस्था की जाएगी। रस्सी की सीढ़ियों का उपयोग पोट के अन्दरूनी भागों में पहुंचने के लिए अनुपूरक साधन के रूप में ही किया जाएगा। सभी सीढ़ियों को उपयोग में लाए जाने से पहले उनके सुरक्षित होने की जांच की जाएगी।

7.9 आग लगने या अन्य खतरों की स्थिति में बच निकलने के साधन

7.9.1 बच निकलने के साधन हर समय अवरोध मुक्त रखे जाएंगे। बचाव मार्गों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और भेजन की प्रगति के अनुसार पोट पर बचाव मार्गों में लगातार परिवर्तन किा जाता रहेगा। जहां उचित हो, आग लगने की स्थिति में बचकर निकलने की दिशा को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए समुचित दृश्य संकेत लगाए जाएंगे।

7.9.2 बचाव के साधन, -

- (क) समस्त भंजन संक्रियाओं के दौरान पोट पर तथा पोट से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे;
- (ख) नक्शों में दिखाए जाएंगे जिन्हें पहुंच मार्गों तथा पोट के आन्तरिक भागों और स्थलीय सुविधाओं, जहां उचित हो, लगाया जाएगा।

7.10 सड़कमार्ग, घाट, याई और अन्य स्थल

7.10.1 सड़क मार्गों, घाटों, याई, आदि, जहां व्यक्ति या वाहनों का आवागमन होता है या उन्हें यहां खड़ा किया जाता है, का निर्माण तथा रखरखाव इस प्रकार से किया जाएगा कि वे उन पर आने-जाने वाले यातायात के लिए सुरक्षित हों।

7.10.2 तारों की बाड़ से घिरे याई और अन्य स्थलों में पैदल आने-जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों और के लिए अलग-अलग द्वार होंगे।

7.10.3 ऐसे खतरनाक चौराहों, जहां भारी सामानों का परिवहन किया जाता है, को स्वचालित संकेतों अथवा द्वारों, जहां संभव हो, द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा अथवा वहां चौकीदार लगाए जाएंगे।

7.11 साफ-सफाई

7.11.1 प्रत्येक पोट पुनर्चक्रण सुविधा और पोट पर एक समुचित साफ-सफाई कार्यक्रम नियत किया जाएगा और इसका सतत रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा :-

- (क) सामग्री और उपकरणों का समुचित भण्डारण;
- (ख) समुचित अन्तराल पर कबाड़, अपशिष्ट और मलबे को हटाना।

7.11.2 अबद्ध सामग्री, जिसकी तत्काल उपयोग हेतु जरूरी नहीं है, को इस प्रकार से रखा या जमा होने नहीं दिया जाएगा जिससे कि कार्यस्थल और गलियारों तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के साधन खतरनाक तरीके से अवरूद्ध हों।

7.11.3 तेल या अन्य कारणों से जिन कार्यस्थलों और गलियारों में फिसलन ले गई हो या मिट्टी, बुरादा, राख या इसी तरह की सामग्री बिखरी पड़ी हो, वहां से उसको साफ किया जाएगा।

7.11.4 औजार, बोल्ट, नट और वस्तुएं इस प्रकार से पड़ी हुई नहीं छोड़ी जाएंगी जिससे कि उनसे उलझकर गिरने का खतरा हो।

7.11.5 कबाड़, अपशिष्ट, कूड़ा और धूल-मिट्टी को कार्य स्थलों और गलियारों में जमा नहीं होने दिया जाएगा।

7.11.6 कूड़े, धूल-मिट्टी और बेकार सामान को जहाज की छत या याई के आस-पास नहीं फैका जाएगा बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से वहनीय तरीके से वहां से हटाया जाएगा।

7.12 मचान और सीढ़ियाँ

7.12.1 जहाँ याई पर या इसके आसपास अथवा पोट के किसी हिस्से या अन्य स्थायी ढांचे से सुरक्षित तरीके से काम नहीं किया जा सकता वहाँ एक सुरक्षित और उपयुक्त मचान या अन्य उतने ही सुरक्षित और उपयुक्त प्रावधान की व्यवस्था और रख-रखाव किया जाएगा।

7.12.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधियाँ, विनियम अथवा मानक स्थापित और लागू किए जाएंगे जिनमें उपयोग में लाई गई विभिन्न प्रकार की मचानों और सीढ़ियों के अभिकल्प, निर्माण, स्थापन, उपयोग, अनुरक्षण, विखण्डन और निरीक्षण के लिए विस्तृत तकनीकी प्रावधानों को शामिल किया गया होगा।

7.12.3 मचानों पर संकरे रास्ते, जीने अथवा सीढ़ियों जैसे सुरक्षित पहुँच के साधनों की व्यवस्था की जाएगी। सीढ़ियों को इस प्रकार सुरक्षित किया जाएगा कि वे इधर-उधर न सरकें।

7.12.4 प्रत्येक मचान और उसके हिस्से :

- (क) इस प्रकार अभिकल्पित किए जाएंगे जिससे कामगारों के लिए कोई खतरा न हो और जब उनका समुचित तरीके से उपयोग किया जाए तो वे ध्वस्त न हों या दुर्घटनावश उनका विस्थापन न हो;
- (ख) इस प्रकार अभिकल्पित किए जाएंगे जिससे पटरियाँ और अन्य रक्षक उपस्कर, मंच, पुटनोस, रेकर्स, सरदल, सीढ़ियाँ, जीनों या रेम्प, जैसा उचित हो, को आसानी से जोड़ा जा सके; और
- (ग) जिस कार्य के लिए उनका उपयोग किया जाना है उसके हिसाब से उपयुक्त तथा अच्छी सामग्री तथा पर्याप्त माप और मजबूती के होंगे और उनका सही तरीके से रखरखाव किया जाएगा।

7.13 व्यक्तियों और सामग्री को गिरने से बचाने के लिए सावधानियाँ

7.13.1 ऐसे सभी छिद्र, जिनमें कामगारों के गिरने की संभावना हो, अच्छी तरह से ढककर रखे जाने चाहिए या उनकी बाइबंदी की जानी चाहिए और उन्हें सर्वाधिक उचित तरीके से स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

7.13.2 पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी जैसे बाइबंदी की व्यवस्था करना, ऊपर या नीचे ले जाई जा रही सामग्री औजार या उपकरण के गिरने के कारण व्यक्तियों को चोट लगने से बचाने के लिए अवरोध लगाना या किसी व्यक्ति को इन सब पर नजर रखने के लिए वहाँ खड़ा करना।

7.13.3 जहाँ तक व्यवहार्य हो और राष्ट्रीय विधियाँ और विनियमों के अनुसरण में, कामगारों को उचित कार्यस्थलों से नीचे गिरने से बचाने के लिए रक्षक अरगनी और टो बोर्ड लगाए जाएंगे। जहाँ रक्षक अरगनी या टो बोर्ड नहीं लगाए जा सकते वहाँ:

- (क) पर्याप्त सुरक्षा जाल और सुरक्षा चद्दर लगाई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा; अथवा
- (ख) पर्याप्त सुरक्षा साज उपलब्ध कराया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।

7.13.4 अलग किए या तोड़े जा रहे ढाँचों या उनके हिस्सों को ध्वस्त होने से बचाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, खतरे को रोकने के लिए रस्सों, सहारों अथवा अवलम्बों का उपयोग किया जाएगा अथवा अन्य प्रभावी सावधानियाँ बरती जाएंगी।

7.13.5 बेकार सामग्री या सामान को ऊँचाई से नहीं फेंका जाएगा। यदि सामग्री और सामान को ऊँचाई से सुरक्षित तरीके से नीचे नहीं उतारा जा सकता तो बाइबंदी अवरोध जैसी पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी। अबद चीर्ज ऐसे स्थानों पर नहीं पड़ी रहने दी जाएंगी जहाँ से उनका नीचे खड़े लोगों पर गिरने का खतरा हो। उचित कार्यस्थलों पर कार्यरत कामगारों को पेच, बोन्ट, नट और इस तरह की चीजों को रखने के लिए टोकरियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

7.14 आग लगने से रोकना और अग्निशमन

7.14.1 नियोजक द्वारा इस तरह के समस्त समुचित उपाय किए जाएंगे ताकि

- (क) आग लगने का खतरा पैदा न हो;

(ख) आग लगने पर उसे तुरन्त और सही तरीके से बुझाया जा सके; और

(ग) व्यक्तियों को तुरन्त और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके।

7.14.2 ज्वलनशील द्रवों, ठोस पदार्थों और गैसों जैसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंक और एसिटिलीन सिलेण्डर, पेन्ट और अन्य ऐसी ही सामग्री के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भण्डारण स्थल बनाए जाएंगे।

7.14.3 जिन स्थानों पर तुरन्त जलने वाली या ज्वलनशील सामग्री रखी हो वहाँ धूम्रपान निषेध होगा और "धूम्रपान निषेध" के सूचना पट्ट सही जगह पर लगाए जाएंगे।

7.14.4 बंद जगहों या अन्य ऐसी जगहों जहाँ ज्वलनशील गैसों, वाष्प अथवा धूल से कोई खतरा हो वहाँ:

- (क) केवल समुचित रूप से सुरक्षित विद्युत संस्थापन या उपकरण, छोटे लैम्प सहित, ही उपयोग में लाए जाएंगे;
- (ख) बिना ढकी हुई ज्वाला या इसी प्रकार के ज्वलन के कोई साधन नहीं होंगे;
- (ग) धूम्रपान निषेध के सूचनापट्ट लगे होंगे;
- (घ) तेल से सने चिथड़े, अपशिष्ट और कपड़े या अन्य ऐसे पदार्थ, जिनमें तुरन्त आग लगने की संभावना हो, बिना किसी देरी के वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाएंगे;
- (ङ) पर्याप्त रोशनदानों की व्यवस्था की जाएगी;
- (च) ऐसे वस्त्र, जिनमें स्थिर विद्युत पैदा होने की संभावना हो या ऐसे जूते, जिनसे चिंगारियाँ उत्पन्न होने की संभावना हो, पहने व्यक्ति वहाँ नहीं जाने दिए जाएंगे।

7.14.5 ज्वलनशील सामग्री, बैटरी, तेल युक्त बेकर सामान या लकड़ी का कबाड़ या प्लास्टिक सुरक्षित स्थान पर धातु के बंद आधानों में रखा जाएगा।

7.14.6 आग के खतरे वाले स्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। इसमें तापन उपस्कर, विद्युत संस्थापन और विद्युत धासक, ज्वलनशील और ज्वलन सामग्री के भण्डारण, तप्त वैल्विंग और कर्तन संक्रियाओं के आस-पास के स्थल शामिल हैं।

7.14.7 वैल्विंग, ज्वाला कर्तन और अन्य तप्त कार्य किसी सक्षम व्यक्ति के आदेशों पर केवल तभी किए जाएंगे जब आग और विस्फोट के खतरे को कम करने के लिए समुचित सावधानियाँ, जो अपेक्षित हों, रख ली गई हों।

7.14.8 संगत अधिनियमों और विनियमों के अनुसरण में, जिन स्थानों पर आग लगने का खतरा हो, वहाँ:

- (क) आसानी से उपलब्ध होने वाले, आसानी से दिखाई दे जाने वाले और पहुँच बनाए जा सकने वाले उपयुक्त और पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों, और
- (ख) पर्याप्त दवाब पर पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

7.14.9 अग्निशमन उपकरणों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधियाँ और विनियमों के अनुसरण में, प्रारंभिक जोखिम पहचान एवं जोखिम आकलन के परिणामों के अनुसार यथा सुरक्षित पोट पुनर्चक्रण योजना में चिन्हित प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित और उपलब्ध कराया जाएगा। वहाँ लगाए गए उपकरण निम्नलिखित अपेक्षाओं और अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त एवं अनुरूप होंगे :

- (क) पोट के अन्दर प्रतिबंधित पहुँच, निर्गमन और बंद स्थान;
- (ख) पोट पुनर्चक्रण संक्रियाओं में हथालन किए जाने वाले जोखिमपूर्ण, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों की मात्रा और उनके गुण;
- (ग) कार्यस्थल परिवहन और भण्डारण सुविधाएं; और
- (घ) प्रथम चरण के अग्निशमन प्रयोजन (हस्तधारित अथवा ट्रॉली पर लगाए गए यद्दनीय अग्निशमन यंत्र)। अग्निशमन साधन का चयन चिन्हित जोखिमों और खतरों तथा नियंत्रण उपायों के अनुसार किया जाएगा।

7.14.10 अग्निशमन उपकरणों का पूरी तरह से कार्य योग्य अवस्था में रखते हुए समुचित तरीके से रखरखाव किया जाएगा और किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उचित अन्तरालों के बाद निरीक्षण किया जाएगा। हाईड्रैन्ट्स, वहनीय अग्निशमन यंत्र और होज के कनेक्शनों तक पहुंचने का रास्ता हर समय अवरोध मुक्त रखा जाएगा।

7.14.11 सभी पर्यवेक्षकों और पर्याप्त संख्या में कामगारों को आग के जोखिमों, बरती जाने वाली समुचित सावधानियों और अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग के बारे में उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुदेश और सूचना प्रदान की जाएगी ताकि समस्त कार्य अवधियों के दौरान पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिक तुरन्त उपलब्ध रहें। दिए जाने वाले प्रशिक्षण, अनुदेश और सूचना में विशेष रूप से निम्न बातें शामिल होंगी :

- (क) वे स्थितियां जिनमें कामगार खुद ही आग से निपटने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि उस जगह को खाली कर देंगे और अग्निशमन कार्मियों को बुलाएंगे;
- (ख) कब और कहाँ चेतावनी दी जाए;
- (ग) आग लगने की स्थिति में बचाव के रास्तों का उपयोग करने सहित क्या कार्यवाई की जाए;
- (घ) जिन कामगारों से अग्निशमन और अग्निरक्षक उपकरणों का उपयोग करने की अपेक्षा हो, उन्हें उनको प्रयोग करने का सही तरीका बताना;
- (ङ) निकली हुई धुआं की विषैली प्रकृति और प्राथमिक चिकित्सा उपाय;
- (च) उपयुक्त व्यक्तिगत रक्षा उपकरण का सही तरीके से उपयोग; और
- (छ) आग से घिरे स्थान से बाहर निकलने की योजना और प्रक्रियाएं।

7.14.12 ज्वलनशील द्रवों और ठोस पदार्थों के भण्डारण के लिए संगत अधिनियमों और नियमों में निर्धारित उपबंधों का पालन करते हुए, पर्याप्त और उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए और आग लगने की स्थिति में चेतावनी देने के लिए प्रभावी साधन (दृश्य एवं श्रव्य संकेत) लगाए जाने चाहिए। बच निकलने की एक प्रभावी योजना होगी ताकि सब लोगों को बिना धबराए जल्दी से बाहर निकाला जा सके।

7.14.13 आसानी से दिखाई देने वाले स्थानों पर सूचनाएं लगाई जाएंगी जिनमें निम्नलिखित संकेत, यदि लागू हों, किए गए होंगे;

- (क) निकटतम अग्निसूचक अलार्म;
- (ख) निकटतम आपातकालीन सेवाओं की दूरभाष सं. और पता; और
- (ग) निकटतम प्राथमिक चिकित्सा इकाई।

7.15 खतरनाक वातावरण और बंद स्थान

7.15.1 जहां कामगारों के लिए ऐसे क्षेत्रों में जाना अपेक्षित हो जहां विषैले या हानिकारक पदार्थ मौजूद हों, या मौजूद रहे हों अथवा जहां ऑक्सीजन की कमी हो या ज्वलनशील वातावरण हो, तो ऐसे क्षेत्रों में खतरे से बचाव करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

7.15.2 खतरनाक वातावरण से बचाव करने संबंधी उपाय सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए जाएंगे जो पोतों पर बंद स्थानों में प्रवेश के लिए आईएमओ की संस्तुतियों के अनुरूप होंगे और इनमें किसी सक्षम व्यक्ति या किसी अन्य ऐसी प्रणाली द्वारा पूर्व अनुमति का प्रावधान होगा जिसके द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां खतरनाक वातावरण होने की संभावना हो, प्रवेश केवल तभी किया जा सकता है जब विनिर्दिष्ट प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हों।

7.15.3 किसी बंद स्थान या क्षेत्र के अन्दर, आवरणरहित लाइट, या ज्वाला या तस कार्य की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वहां से ज्वलनशील वातावरण पूरी तरह से खत्म न कर दिया गया हो और किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इसकी जांच करने पर इसे सुरक्षित न पाया गया हो। इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अपेक्षित प्रारंभिक जांच, साफ-सफाई या अन्य कार्य करने के लिए ऐसे बंद स्थानों या क्षेत्रों में केवल चिंगारी न निकालने वाले औजारों और सुरक्षाकवच युक्त ज्वालामुक्त हस्तधारित लैंपों का ही उपयोग किया जाएगा।

7.15.4 जब कोई कामगार किसी बंद स्थान के अन्दर हो:-

- (क) बचाव के प्रयोजन हेतु सांस लेने के उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट, पुनर्जीवन उपकरण और ऑक्सीजन सहित पर्याप्त सुविधाएं और उपकरण तत्काल उपलब्ध होंगे;
- (ख) पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सहायक अथवा कई सहायक उसके निकास पर या उसके नजदीक तैनात रहेंगे; और
- (ग) कामगार और सहायक/सहायकों के बीच संचार के उपयुक्त साधनों के माध्यम से सम्पर्क रखा जाएगा।

7.16 चिह्न, सूचनाएं और रंग कूट

7.16.1 जोखिमों की चेतावनी देने और अभाषिक रूप में सूचना देने के लिए चिह्न और प्रतीक बहुत प्रभावी तरीके हैं। सुरक्षा चिह्न और सूचनाओं का आकार और रंग सक्षम प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

7.16.2 वहनीय अग्निशमन यंत्र के संघटकों को रंग कूट के माध्यम से इंगित किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। प्रत्येक अग्निशमन यंत्र पर एक लेबल चिपका होगा जिसमें इसको प्रयोग करने के अनुदेश लिखे होंगे।

7.16.3 विद्युत वायरिंग के रंग कूटीकरण के लिए अनेक मानक मौजूद हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्मिकों को पोत पर मौजूद मुख्य रंगों के अर्थ के बारे में जानकारी हो। यदि कोई तार बदला जाना हो तो यह कूट प्रणाली के अनुसार बदला जाना चाहिए।

7.16.4 सभी गैस सिलेण्डरों पर गैस का नाम और प्रतीक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और उस पर संगत बीआईएस के अनुसार रंग किया जाना चाहिए। सिलेण्डर भण्डारण यार्ड में किसी आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर रंग कूटीकरण की एक प्रति लगाई जानी चाहिए। खाली सिलेण्डरों को रखने के लिए एक पृथक् स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए।

7.17 अनधिकृत प्रवेश को रोकना

7.17.1 यदि आगन्तुक किसी सक्षम व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा प्राधिकृत न हों और उनके पास उपयुक्त रक्षक उपकरण न हों तो उन्हें पोत भंजन सुविधाओं या पोतों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.17.2 कामगारों के प्रतिनिधियों के प्रवेश से संबंधित उपयुक्त व्यवस्थाएं राष्ट्रीय विधियां और विनियमों अथवा सामूहिक सहमति के अनुसार तय की जाएंगी।

अध्याय - VIII

प्रकीर्ण एवं शास्त्रि उपबंध

8.1 किसी भूखण्ड और/या पोत पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में अथवा इन विनियमों में से किसी विनियम का पालन न करने पर की जाने वाली कार्यवाई

8.1.1 पोत पुनर्चक्रक कारखाना निरीक्षक/पतन प्राधिकरण को भूखण्ड और पोत पर हुई किसी दुर्घटना/आग लगने/विस्फोट के बारे में ऐसी घटना के तुरन्त पश्चात् लिखित में सूचना देगा। किसी कामगार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पोत पुनर्चक्रक पुलिस अधिकारी, मृतक के निकटतम संबंधी और जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-मंडल मजिस्ट्रेट को भी सूचित करेगा।

8.1.2 किसी भूखण्ड और/या किसी पोत पर किसी दुर्घटना/आग लगने/विस्फोट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या गंभीर शारीरिक चोटें लगने की स्थिति में अथवा इस संहिता के किसी विनियम का पालन न करने के कारण किसी भूखण्ड /या पोत पर कोई दुर्घटना होने पर, निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी :

- (क) बहुत बड़ी आग लगने/विस्फोट/दुर्घटना होने पर, चाहे उसमें किसी की मृत्यु हुई हो या नहीं, पोत प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड पर चल रहे

पोत पुनर्चक्रण संबंधी समस्त कार्यकलाप तुरन्त प्रभाव से न्यूनतम 5 (पांच) दिन और अधिकतम 30 (तीस) दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस अवधि के दौरान, राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, नौसैनिक वास्तुकला/सामुद्रिक अभियंत्रिकी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अनुभव और योग्यता रखने वाले पेशेवरों की टीम के माध्यम से विस्तृत जांच कराई जाएगी। इस अवधि के दौरान एसएमबी/पतन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त टीम भूखण्ड/याई का भली-भांति निरीक्षण करेगी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी तथा संबंधित भूखण्ड-स्वामी को 30 दिन के अन्दर उस कमी को दूर करने तथा काम पुनः प्रारम्भ करने से पहले काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण बहाल करने का निदेश देगी। यदि 30 दिन के अन्दर ऐसी स्थिति बहाल नहीं की जाती है तो भूखण्ड को बंद रखने की समय सीमा तब तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जब तक कि निरीक्षण करने वाली टीम दिए गए निदेश के अनुपालन से संतुष्ट नहीं हो जाती।

- (ख) दुर्घटना में कोई चोट लगने/कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों का अनुपालन न करने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार डीआईएसएच का होगा। कारखाना निरीक्षक, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अनुसार, किसी भूखण्ड/या किसी पोत पर हुई प्रत्येक जानलेवा दुर्घटना और किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की जांच करेगा।
- (ग) आग लगने/दुर्घटना/विस्फोट होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गंभीर शारीरिक चोट लगने के सभी मामलों के लिए, उपर उल्लिखित किए अनुसार डीआईएसएच के प्राधिकृत व्यक्ति (यों) को लेकर बनाई गई टीम द्वारा जांच की जाएगी जिसके आधार पर डीआईएसएच शास्ति कार्रवाई, यदि कोई हो, शुरू करेगी।
- (घ) यदि राज्य सरकार/एसएमबी/पतन प्राधिकरण समीचीन समझे तो कार्रवायों का पता लगाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 90 के अनुसार किसी सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा।
- (ङ) कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दंड एवं प्रक्रिया कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय X - दंड एवं प्रक्रियाएँ - धारा 92-106 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

8.2 अपील संबंधी प्रावधान

पोत पुनर्चक्रण, जिसको कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अन्तर्गत लिखित में आदेश तामील किया गया है, अथवा एसएमबी/पतन प्राधिकरण आदेश के तामील होने से 30 दिन के अन्दर विहित प्राधिकारी के विरुद्ध अपील कर सकेंगे और वह प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, आदेश को रद्द कर सकेगा या पलट सकेगा। अपील राज्य सरकार के सचिव (श्रम) के विरुद्ध की जाएगी।

8.3 प्रकीर्ण

8.3.1 एसएमबी/पतन प्राधिकरण या पतन न्यास या निजी संचालक के अधीन पोत-पुनर्चक्रण याई/पोत भंजन याई द्वारा इस विनियम संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के अधिकतम 2 (दो) वर्ष की अवधि के अन्दर आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। आधारभूत अवसंरचना में निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएँ होंगी :-

- i. अग्निशमन के प्रयोजनार्थ हाईड्रैन्ट
- ii. पेयजल आपूर्ति
- iii. जल निकास/मल जल निकास प्रणाली
- iv. स्ट्रीट लाइट सुविधाएँ
- v. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
- vi. आन्तरिक सड़कें एवं मुख्य राजमार्ग तक सड़क सम्पर्क

vii. प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण संस्थान

viii. श्रमिकों के लिए कौमन सेनेटरी ब्लॉक तथा सामुदायिक भवन, श्रमिक कल्याण केन्द्र जैसी अन्य प्राथमिक सुविधाएँ।

8.3.2 उक्त सेवाएँ या तो राज्य सामुद्रिक बोर्ड (एसएमबी)/पतन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अथवा एसएमबी/पतन प्राधिकरण द्वारा गठित किसी निकाय द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकरणों द्वारा विनियमित की जा सकेंगी जिनके पास समस्त सेवाओं को विनियमित करने, शुल्क/उप कर लगाने, और प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को वसूलने का प्राधिकार होगा। ऐसा प्राधिकरण उक्त सुविधाओं के काम करने, उन्हें चलाने और उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.3.3 इसके अतिरिक्त, एसएमबी/पतन प्राधिकरण/अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरण/ऐसे याई के मालिक अतिक्रमण हटाकर, सौन्दर्यकरण करके और बनरोपण करके उस क्षेत्र को विकसित और संरक्षित करेंगे।

8.3.4 समुचित तंत्र के माध्यम से जैसे एक न्यास बनाकर श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। न्यास में पोत पुनर्चक्रण संघ के सदस्य, एसएमबी/पतन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर के पदाधिकारी, श्रम अधिकारी और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल हो सकेंगे।

8.3.5 श्रम विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार मजदूरी दी जा रही है और पोत भंजकों द्वारा पोत पुनर्चक्रण श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाएगा।

8.3.6 इन विनियमों के किन्हीं भी खण्डों के निर्वचन से उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न के मामले में पोत परिवहन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

8.3.7 जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संहिता में प्रयोग किए गए अन्य शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; पेट्रोलियम नियम, 2002; कारखाना अधिनियम, 1948; और संबंधित राज्य कारखाना नियम; जल प्रदूषण (नियारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; गैस सिलेण्डर नियम, 2004; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; वाणिज्यिक पोत अधिनियम, 1958; विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008; जोखिम अपशिष्ट (प्रबंधन, हस्तांतरण और सीमा-पारीय संचालन) नियम, 2008; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे अधिनियमों और गुजरात सामुद्रिक बोर्ड पोत पुनर्चक्रण विनियम-2003 सहित इन अधिनियमों और नियमों के अधीन बनाए गए विभिन्न विनियमों और नियमों तथा साथ ही राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए पोत पुनर्चक्रण संबंधी अन्य प्रयोज्य अधिनियमों और विनियमों में दिया गया है।

8.3.8 इस संहिता के अधीन पुनर्चक्रण के उद्देश्य से किया जाने वाला पोतों का आयात भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति तथा साथ ही समय समय पर संशोधित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के अधीन निर्धारित किए गए संगत उपबंधों के अधीन होगा। वर्तमान में ऐसे आयात की अनुमति खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के प्रशुल्क मद 89.08 के अन्तर्गत दी जाती है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने विश्व सीमा शुल्क संगठन के परामर्श से परिपत्र सं. 37/96 दिनांक 3 जुलाई, 1996 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि पोत के अतिरिक्त, पोत में अन्तर्विष्ट समस्त चीजें जैसे पुर्जें आदि भी प्रशुल्क मद 89.08 के दायरे में आते हैं।

8.3.9 यह संहिता भारत में सभी पोत पुनर्चक्रण कार्यकलापों पर लागू होगी। मद 1.3.4 के अधीन संबंधित पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड अथवा संबंधित राज्य सरकार, पोत पुनर्चक्रण, उनके नियंत्रणाधीन भूखण्ड/याई के लिए अनुमति देते समय, पोत पुनर्चक्रण कार्यकलाप करने के लिए अनुमोदन और प्राधिकार देते समय औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य कारखाना निदेशालय से कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 के अनुसार उस कारखाने का अनुमोदन, अनुज्ञापन पंजीकरण प्राप्त करेगी।

8.3.10 तथापि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के पास मान्यता प्राप्त पोत पुनर्चक्रण भूखण्ड अथवा याई से इतर किसी अन्य समुद्री तट पर जमीन में धंसे पोतों के पुनर्चक्रण/भंजन के लिए विशिष्ट छूट देने का अधिकार सुरक्षित है। ये विनियम उन पोतों पर लागू नहीं होते हैं जो जमीन में धंसे हैं और जिन्हें पोत भंग के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी पोत भंग को हटाने के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के संगत नियम लागू होंगे।

(बीचिंग) और पोत भंजन करने का लाइसेंस है और मैं/हम अपने/हमारे भूखण्ड पर पोत को किनारे टिकाने की अनुमति देने के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं।

अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:

1. आवेदक का नाम :
2. भूखण्ड सं. :
3. भूखण्ड का माप :
4. अंतिम पोत के किनारे टिकाए जाने (बीचिंग) की तारीख :
5. अंतिम पोत का एलडीटी :
6. किनारे टिकाए गए अंतिम पोत की स्थिति (यदि इसका पुनर्चक्रण चल रहा हो तो, अभी जितना पोत खोला जाना शेष है उसका प्रतिशत बताया जाएगा।)
7. किनारे टिकाए (बीचिंग) जाने वाले पोत का ब्यौरा :-
 - (क) नाम
 - (ख) ध्वज
 - (ग) उद्गम
 - (घ) प्रकार
 - (ङ) एलडीटी
 - (च) ईटीए
 - (छ) अंतिम यात्रा वाले पतन का नाम और अंतिम पतन अनापति प्रमाणपत्र
 - (ज) अंतिम '3' समुद्री यात्राओं के दौरान ले जाया गया माल
 - (झ) कार्यशील अथवा कार्य के अयोग्य पोत।
8. प्रमाणित किया जाता है कि
 - i. दी गई समस्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है।
 - ii. हानिरहित कबाड़ को छोड़कर अन्य सारा कबाड़ समुद्र/समुद्र तट से हटा दिया गया है और अनुमोदित तरीके से उसका निपटान कर दिया गया है।
 - iii. गैस मुक्त प्रमाणपत्र अर्थात् गीली अथवा शुष्क गोदी में प्रवेश हेतु (ख) व्यक्तियों के प्रवेश हेतु (ग), यदि पोत तेल टैंकर हो तो विस्फोटक विभाग से कार्य हेतु गैस मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है, और इसे अनुबंध --- के रूप में संलग्न किया जाता है।
 - iv. पोत मास्टर से प्राप्त प्रमाणपत्र अनुबंध ----- के रूप में संलग्न है।
 - v. कारखाना अधिनियम की धारा 36 के अनुसार प्रवेश प्रमाणपत्र सक्षम व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है जो अनुबंध के रूप में संलग्न है:
 - vi. किनारे टिकाए जाने वाली पोत सहित पोत/पोतों की कुल चौड़ाई की वर्तमान स्थिति भूखण्ड की चौड़ाई से 5 मीटर कम है:
9. संलग्न दस्तावेज:
 - (क) क्रेता और विक्रेता के बीच मूल एमओए
 - (ख) पतन को किए गए भुगतान हेतु चालान
 - (ग) चालान के साथ सीमा शुल्क का अनापति प्रमाणपत्र
 - (घ) एसपीसीबी द्वारा प्राधिकर दिया जाना
 - (ङ) टीडीएसएफ प्रचालक से पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

(घ) मास्टर प्रमाणपत्र (गैसमुक्त, कार्बनडाइऑक्साइड, कोई जोखिमपूर्ण सामग्री नहीं)

(छ) सर्वेक्षण रिपोर्ट - मूल

(ज) मूल भौतिक सुपुर्दगी प्रमाणपत्र

(झ) तेल, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के अधिकारी द्वारा जारी किया गया गैस मुक्त प्रमाणपत्र। रसायन वाहक के मामले में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र

(ञ) तेल टैंकरों के लिए, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के अधिकारी द्वारा जारी किया गया गैस मुक्त प्रमाणपत्र। एलपीजी/एलएनजी टैंकर अथवा रसायन वाहक के मामले में, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र।

(ट) 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर वचनपत्र जिसमें नाम, पूरा पता और संपर्क नं. दिया गया हो।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

1. आवेदन प्राप्त होने की तारीख
2. प्राप्तकर्ता:
3. किनारे टिकाने (बीचिंग) की अनुमति प्रदान करने की तारीख :

अनुबंध- III

सेवा में,

पतन प्राधिकरण/राज्य सामुद्रिक बोर्ड

विषय : पुनर्चक्रण की अनुमति हेतु आवेदन।

महोदय,

मेरे/हमारे पास भूखंड सं पर पोतों को किनारे टिकाए (बीचिंग) और पोत भंजन करने का लाइसेंस है और मैं/हम अपने/हमारे भूखण्ड पर पोत भंजन की अनुमति देने हेतु आवेदन कर रहे हैं। अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है।

1. आवेदक का नाम:
2. भूखण्ड सं. :
3. भूखण्ड का माप :
4. कटाई किए जा रहे पोत की वर्तमान स्थिति :
5. भंजन किए जाने वाले पोत का ब्यौरा
 - (क) नाम
 - (ख) प्रकार
 - (ग) एलडीटी
6. प्रमाणित किया जाता है कि
 - (i) दी गई समस्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है।
 - (ii) प्रमाणपत्र; अर्थात् (क) खतरनाक धुआं और अपर्याप्त ऑक्सीजन की संभावना वाले बंद स्थानों में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु कारखाना अधिनियम, 1948

की धारा 36, 41 और 112 के अधीन बनाए गए नियम 68- ज के अनुसार, सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र। (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 और 112 के अधीन बनाए गए नियम 68- ज के अनुसार, सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आवरणरहित लाइट प्रमाणपत्र (हॉट वर्क परमिट)। (ग) पोट को सीमा शुल्क द्वारा अनापत्ति दिए जाने के साक्ष्य में रसीद। (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोट पुनर्चक्रण कार्यकलापों के लिए प्राधिकार और सहमति पत्र की प्रमाणित प्रतः; अनुबंध ----- के रूप में संलग्न हैं। पोट-विशेष से संबंधित विलगन योजना की प्रति संलग्न है।

अनुबंध- IV

वचनपत्र

में अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :-

- (क) टैंक के तेल, ईंधन जैसे सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद तथा पोट की गैस, कार्बनडाईऑक्साइड सहित, खाली कर दिए गए हैं और हटा दिए गए हैं और पोट की कटाई करने का काम शुरू करने से पहले इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी जाएगी।
- (ख) गैस सिलेण्डर नियम-1981 के अनुसार भूखण्ड पर या पोट पुनर्चक्रण याई के अन्दर, फ्रीऑन, अमोनिया, कार्बनडाईऑक्साइड इत्यादि जैसी गैसों से युक्त सिलेण्डर/सिलेण्डरों की अधिकृत निवारण या टिलिंग नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर :

(अधिकारी का नाम)

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

1. आवेदन के प्राप्त होने की तारीख :
2. प्राप्तकर्ता :
3. पोट किनारे टिकाने (बीचिंग) की अनुमति देने की तारीख :

अनुबंध- V

(पोट में अन्तर्विष्ट रेडियोसक्रिय सामग्री के संबंध में पोट पुनर्चक्रण द्वारा लंगर डालने से पहले दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

1. पोट का नाम :
2. आईएमओ पहचान सं. :
3. देश का ध्वज :
4. परिचय संकेत :
5. पोट के मास्टर का नाम और राष्ट्रीयता :
6. पोट के कार्यशील रहने के दौरान पोट में अन्तर्विष्ट रेडियोसक्रिय सामग्री का ब्यौरा :

क्रम सं.	रेडियोन्यूक्लियाइड का नाम	स्रोतों की संख्या*	कुल सक्रियता (क्यूरीज)	पोट में स्रोतों की अवस्थिति	स्रोतों का प्रयोजन

7. लंगर डालने के समय पोट में मौजूद रेडियो सक्रिय सामग्री का ब्यौरा :

क्रम सं.	रेडियोन्यूक्लियाइड का नाम	स्रोतों की संख्या*	कुल सक्रियता (क्यूरीज)	पोट में स्रोतों की अवस्थिति	स्रोतों का प्रयोजन

* उपस्करों में अन्तर्विष्ट स्रोतों के मामले में, उपस्कर के प्रकार, इसकी निर्माता कंपनी का नाम, मॉडल नं. का ब्यौरा दिया जाए।

वचनपत्र

में एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :

ऊपर दिया गया समस्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

पोट के मास्टर/पुनर्चक्रण के प्रतिनिधि का नाम

एवं हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

कम्पनी की मोहर

अनुबंध- VI

(किसी रेडियोसक्रिय सामग्री की उपस्थिति के संबंध में पोट के अन्दर जाकर किए गए सत्यापन के दौरान डेस्क समीक्षा संबंधी जानकारी हेतु प्ररूप)

1. पोट का नाम :
2. आईएमओ पहचान सं. :
3. देश का ध्वज :
4. परिचय-संकेत :
5. पोट के मास्टर का नाम और राष्ट्रीयता :
6. पोट के लंगर डालने के लिए जारी की गई अनुमति का ब्यौरा :
7. अनुबंध VI में दी गई जानकारी के सत्यापन का परिणाम :
8. लंगर डालने के बाद पोट से बरामद किसी रेडियोसक्रिय सामग्री का ब्यौरा :

राज्य सामुद्रिक बोर्ड/पतन प्राधिकरण की निरीक्षण टीम

के नाम एवं हस्ताक्षर :

पदनाम :

संगठन का नाम :

स्थान :

तारीख :

सी.ए. जोसफ

अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 15 फरवरी 2013

संकल्प

सं. 2-18/2011-नीति निर्धारण-I--इस विभाग के दिनांक 18 मई, 2012 के समसंख्यक संकल्प की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 6 के अंतर्गत निम्नलिखित को पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :--

- (1) अध्यक्ष (अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला कोई सदस्य), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
 - (2) अध्यक्ष (अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला कोई सदस्य), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 - (3) अध्यक्ष (अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला कोई सदस्य), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित को भी संकल्प के अनुबंध की रिक्तियों में नामित करने का निर्णय लिया गया है :--
- (1) श्री अजित बालाकृष्णन, सीईओ, Rediff.com तथा -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 8(क) के अंतर्गत शिक्षा में
अध्यक्ष शासी बोर्ड, आईआईएम-कलकत्ता -- अभिरुचि के उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए नामित एक
(श्री शिव नादर, अध्यक्ष, एचसीएल टेक्नोलॉजिस के सदस्य के रूप में
स्थान पर)
 - (2) प्रो. अशोक मिश्रा, पूर्व निदेशक आईआईटी-बंबई -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 8(ख) के अंतर्गत शिक्षाविद्/
तथा अध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश बोर्ड, आईआईटी-जेईई -- प्रौद्योगिकीविद्/वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए नामित
(रिक्ति पर) एक सदस्य के रूप में
 - (3) प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 8(ख) के अंतर्गत शिक्षाविद्/
अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर) -- प्रौद्योगिकीविद्/वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए नामित
(रिक्ति पर) एक सदस्य के रूप में
 - (4) प्रो. महेन्द्र लामा, कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 8(ग) के तहत विशेष रुचि
(प्रो. डेविड आर. साइमलेह, कुलपति, राजीव गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में नामित
विश्वविद्यालय, डोइमुख, अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर)
 - (5) श्री अनुराग कश्यप, फिल्म निदेशक और -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 8(ड) के तहत सृजनात्मक
स्क्रीन लेखक -- कला का प्रतिनिधित्व करते हुए नामित एक सदस्य के
(रिक्ति पर) के रूप में
 - (6) सुश्री कला अय्यर, निदेशक, जिनेसिस -- संकल्प के अनुबंध की क्रम सं. 9 के तहत एक मीडिया
मीडिया (प्रा.) लि. -- प्रतिनिधि के रूप में
(रिक्ति पर)

2. उल्लिखित संकल्प का अनुबंध उपर्युक्त समेकन/संशोधनों को लागू करने तक संशोधित रहेगा।

आदेश

यह आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति जनसूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और भारत के राजपत्र की एक मुद्रित प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेज दी जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

संकल्प

सं. 3-17/2011-अकादमी--ललित कला अकादमी के नियमों और विनियमों के नियम 5(i) के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा श्री कल्याण कुमार चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से ललित कला अकादमी, नई दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। श्री चक्रवर्ती, उस कलेण्डर वर्ष की समाप्ति जिसमें वे अपनी 70 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अर्थात् 31.12.2017 तक अपने कार्यालय पद को धारण करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति (क) सचिव, ललित कला अकादमी, रबीन्द्र भवन, 35 फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 और (ख) श्री कल्याण कुमार चक्रवर्ती, बी-15 (8वां तल), दिल्ली प्रशासन अधिकारी फ्लैट्स, सैक्टर-डी-2, डीडीए स्पोर्ट्स परिसर के निकट, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को प्रेषित कर दी जाए; और इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रमोद जैन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 7th March 2013

ORDER

No. 5(4)/2009-MF. In pursuance of the order dated 6th September 2007 of the Supreme Court of India in C.W.P. 657 of 1995, in the matter of Research Foundation for Science Vs. Union of India and Anr, the Central Government hereby formulates the comprehensive code for shipbreaking and ship recycling as per details given in the Schedule.

Schedule

SHIPBREAKING CODE, 2013

Chapter-1

Preliminary

Short title and Commencement :

1 (1) This may be called Shipbreaking Code 2013.

(2) The code shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette and shall remain in operation until the concerned enactments are amended on line with the Code.

Definitions :-

2. In this Code, unless the context otherwise requires

- i. AERB means Atomic Energy Regulatory Board under Department of Atomic Energy
- ii. "Authorized Ship Recycling Yard" means a ship recycling plot or plots in cluster developed to cater to safe and environmentally sound ship recycling allotted officially by the SMB or Port Trust/Authority and 'Authorization' has been issued for the purpose by the concerned State Pollution Control Board.
- iii. "Cash Buyer" means the person or company who owns the ships for less than six months.
- iv. "Certificate of Inventory of Hazardous Materials" means a certificate, which encompasses the hazardous materials on board the ship in the format as prescribed by the Maritime Administration.
- v. DG FASLI means Directorate general Factory Advice Service & Labour Institute a technical arm of the Ministry of Labour & Employment.
- vi. DG Shipping" means Directorate General of Shipping, the authority constituted under the provisions of Merchant Shipping Act (44 of 1958), 1958.
- vii. "Factory Inspector" would mean an inspector appointed under sub-Section (1) of Section 8 of the Factories Act, 1948.
- viii. "Owner of a ship Recycling plot/yard/facility" means any person or body permitted by the State Maritime Board (SMB) or Port Trust for use of the ship recycling plot/yard.

- ix. "Port Authority" means a Port officer or any other person appointed and authorized by the State Maritime Board (SMB) or any officer appointed under the Major Port Trusts Act, 1963 to act as Port Authority.
- x. "Ready for Recycling Certificate" means the certificate issued by the Maritime Administration or organization authorized by the Maritime Administration, which authenticates that the vessel is complying with the present Code and applicable International regulations.
- xi. "Safety Officer" means Officer appointed to ensure safety in hazardous processes as per Section 40B of the Factories Act, 1948.
- xii. "Supervisor" means safety Supervisor appointed to supervise safety provisions hazardous processes as per Section 41-C(b) of Factories Act, 1948.
- xiii. "Ship" as used in this Code means vessels and floating structures of any type operated in the marine environment and shall include submersibles, floating crafts, floating platforms, self elevating platforms, Floating Storage Unit, Floating Production Storage Units and Offloading Units, a vessel stripped of equipment or being towed; destined for breaking purpose.
- xiv. "Ship Recycler" means ship recyclers and includes the persons or parties who carry out ship-recycling activities in the authorized ship recycling yard.
- xv. "Ship recycling activities" would mean and include all activities such as beaching, cutting, dismantling of the ship and disposal of all dismantled materials from the ship-recycling yard in safe and environmentally sound manner.
- xvi. Ship Recycling Plot or Yard: A piece of land of suitable dimension as decided by SMB or Port Trust in which ship recycling activities are carried out.
- xvii. "SMB" means State Maritime Board as constituted by the State Government under official Gazettes as per the role and functions stipulated under the Indian Port Act-1908.
- xviii. "SPCB" means State Pollution Control Board and is the Board or Committee constituted under sub-section (1) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).
- xix. "SRP" means Ship Recycling Plan. It is the Plan Document developed by the ship recycler to recycle a ship in safe and environmentally sound manner.
- xx. "SRFMP" means Ship Recycling Facility Management Plan. Ship Recycling Facility Management Plan includes the plot for ship recycling as per approved lay out and equipped with various facilities as prescribed by the competent authority.
- xxi. "Worker" means the Worker defined under sub-clause (1) of Section 2 of the Factories Act, 1948.

CHAPTER -II

CATEGORIES OF SHIPS AND SHIPS OF SPECIAL CONCERN

2.1 Classification of ships

War Ships, Nuclear Powered Vessels, Naval Ships, Passenger or Passenger cum Roll-on/Roll-off (RORO) vessel having weight 20,000 Light Displacement Tonnage(LDT) or more, Petroleum, Oil and Chemicals carrying tankers, Floating Platforms for Off-Shore Production

(FPSO), and the vessels having mean draft more than 8 meters and requiring beaching at 1.5 kilometers or more from the shore base line and International Maritime Dangerous Goods (IMDG) carrying vessels shall be treated as ships of 'Special Concern'. The ships other than special concern would be treated as ships of general concern.

2.2 Characteristics of ships of special concern

These ships as in the table given below are treated as of 'Special Concern' due to the following different characteristics related to quantity of hazardous materials- Asbestos Containing Materials (ACMs), Polychlorinated Biphenyls (PCBs), radioactive materials contained in the structure of the ships and also difficulty in beaching as well as complex nature of steel structure, due to which it is difficult to cut and also involves safety hazards. Such ships shall be inspected and closely monitored by the agencies as outlined in the table below:-

Category	Nature of concern	Essential infrastructure and precautions necessary
Warships	Large quantities of PCBs, ACMs and radioactive materials	Adequate infrastructure at the yard to handle the identified quantities of radio-active and other hazardous materials with adequate, approved infrastructure and disposal facilities nearby, adequately trained staff. Inspection and strict monitoring by Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Customs Department, Navy, State Maritime Board (SMB)/Port Authority and State Pollution Control Board (SPCB) concerned. State Maritime Board/Port Authority shall coordinate intimation, inspection and monitoring.
Large passenger liners (greater than or equal to 20,000 LDT or having mean draft more than 8 metres)	Large quantities of PCBs, ACMs	Inspection and strict monitoring by AERB for any radioactive materials. Adequate infrastructure at the yard to handle the identified quantities, adequate approved infrastructure and disposal facilities nearby adequately trained staff. Inspection and strict monitoring by the Customs Department, the SPCB and the SMB/Port Authority concerned.
Nuclear powered ships and naval vessels	Residual Radiation Level	Monitoring by AERB of residual radiation level and if found higher than the permissible limits, to recommend measures for decontamination. Reactors, cores and all radioactive wastes to be removed by ship owner before last voyage and before sending it for recycling. Inspection and strict monitoring by AERB, Customs Department, Navy, State Maritime Board (SMB)/Port Authority and the State Pollution Control Board (SPCB) concerned.
Deepdraft Ships having mean draft more than 8 metres requiring beaching at 1.5 kilometers or more from the shore base line.	Distance from the beach during beaching and difficult to drag up to the plots.	Extra precautions required in transferring hazardous materials or materials containing hazardous substances to avoid spillage into the sea. Inspection and strict monitoring by Customs Department, State Maritime Board (SMB)/Port Authority/SPCB concerned.

International Maritime Dangerous Goods	Hazardous residues in Cargo Tanks	Adequate infrastructure at the yard to handle the identified quantities, adequate approved infrastructure and disposal facilities nearby adequately trained staff, strict monitoring by the SPCB and the SMB/Port Authority concerned.
Floating Platforms for Offshore Production, Petroleum, Chemicals and oil carrying tankers	Beaching difficulties and hazardous wastes in platforms and the vessels	Extra precautions required in transferring hazardous materials or materials containing hazardous substances to avoid spillage into the sea. Inspection and strict monitoring by Customs Department, State Maritime Board /Port Authority/ SPCB concerned.

Chapter-III

ANCHORING PROCESS

3.1 Processes for Anchoring:

3.1.1 Upon entry into the Port area, a ship is allowed to be anchored by dropping one or more anchors to the seabed. This prevents drifting of the ship, tethers it to one spot, and enables boarding from boats. A ship at anchor may lift its anchors, and sail away. Anchoring of ships is thus fully reversible. Beaching refers to running aground of a ship on the beach, meant for breaking by the beaching method. The ship is sailed into the beach either under its own power or is towed by tugs. A beached ship is rendered immobile, and cannot usually be refloated. Beaching is thus irreversible.

3.1.2 "Ship Recycling" is the process of dismantling a vessel's structure. It includes a wide range of activities, from removing all gear and equipment to cutting down and dismantling the ship's infrastructure. A ship at anchor, or while otherwise afloat, requires to be fully manned, with at least generators running.

3.2 Prior Information

3.2.1 All ships prior to entering Indian Maritime Zones required are to inform Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC). The prior information to Port shall also include that the ship, as it enters Indian Search and Rescue Region (ISRR) should pass its information to MRCC/Indian Coast Guard stating that it is bound for Recycling Yards for ship recycling. This will provide necessary help to the vessel in case of any machinery breakdown and thereby avoiding any mishap to Ocean Data Acquisition Systems (ODAS) and ships at outer anchorages.

3.3 Recommended Process for Anchoring:

3.3.1 The Ship Owner shall submit to the State Maritime Board /Port Authority, his intention to send the ship to the Ship Recycling Yard as per format given in Annexure-I before arrival of his ship(s) for recycling.

3.3.2 After intimating Expected Time of Arrival (ETA) as per Annexure-I, the ship owner or recycler shall submit the following information/ documents 3 weeks before the expected arrival of the ship for recycling for a desk review by the State Maritime

Board/Port Authority, State Pollution Control Board and the Customs Department and pay port charges for obtaining permission for the ship to enter the port:

- i) Details of ship, which include-
 - (a) Name of the Ship
 - (b) International Maritime Organization (IMO) Identification No.
 - (c) IMO registered owner identification number
 - (d) Flag of the country
 - (e) Call Sign
 - (f) Name of the Master of the Ship and his nationality
 - (g) List of the crew
 - (h) Gross Registered Tonnage (GRT)/Net Registered Tonnage (NRT)/Light

Page 6 of 53

Displacement Tonnage (LDT) of the ship with supporting documents

- (i) Port clearance from the last port of call
- j) Copy of IMO registered owner identification number
- k) Copy of IMO Registration of Ship
- l) Proof of ownership details like name, address, contact number, e-mail address of the owner of the vessel and master of vessel.
- m) Certified true copy of 'Certificate of Registry' in his favour certifying that the ship has no registered mortgage and is free from maritime lien and encumbrances from the 'Registrar of Ships' only and not from any agent, with e-mail identity of the Registrar of Ships. Such certified true copy of the certificate of registry should not be older than 7 days
- n) Copy of Memorandum of Agreement with Ship Recycler.

3.3.3 Directorate General of Shipping in consultation with Coast Guards Department shall verify the genuineness of the documents submitted by the ship owner or recycler at the desk review stage on the request of SMB/Ports Authority of the State and if it is found that any document is fake or conceal any material fact, ship owner/recycler shall be informed of denial of permission to the ship entering Indian waters.

3.4 Anchoring

3.4.1 After desk review by the Port Authority/State Maritime Board (SMB)/State Pollution Control Board (SPCB)/Customs, a decision will be taken regarding anchorage of the ship by the Port Authority/ the State Maritime Board concerned. In case, anchorage of the ship is refused by any one of these agencies the ship owner would be entitled for appeal to the designated appellate authorities.

3.4.2 In case all the concerned agencies are satisfied after desk review and recommend for anchoring, anchorage safety instructions would be issued by the State Maritime Board/Port Authority, physical verification of the ship by the Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) for issuance of gas free and fit for hot work for their petroleum tankers Cargo fold tanks and Atomic Energy Regulatory Board (AERB) for War Ships/Naval ship Nuclear Powered Vessels and by the SPCB for large passenger liners more than 20,000 LDT and Customs Department for all vessels and the Navy, in addition to the other concerned agencies/ In case a ship does not comply, according to the submitted documents, or as per inspection by any of the agencies owner would be entitled for appeal to the designated appellate authorities.

3.5 Documents to be provided at the time of boarding the ship by concerned authorities

3.5.1 Boarding is to be done after anchorage permission has been given. At the time of boarding, the following documents will be submitted-

- (i) Master's certificate-original with IMO No. and showing
 - a. Inventory of hazardous materials
 - b. Inventory of gases,
 - c. Inventory of radio active material on board,
 - d. CO₂ declaration,
 - e. Confirmation of Ballast water exchange at high seas,
 - f. Confirmation of the Bunker oil / lube oil or other oil substances that are remaining on board
- (ii) Cargo declaration form;
- (iii) Safe Manning Certificate;
- (iv) Competency certificates of crew;
- (v) The Inventory of Hazardous Material (IHM), Certificate as may be certified/prepared by International Classification Society once Hong Kong Convention for Safe and Environmentally Sound Ship Recycling Convention is ratified by India and till such time Inventory signed by master of the ship by provided to SMB.
- (vi) Seller/agent pays applicable port dues to the port at the prevailing rate.
- (vii) The name of the State whose flag the ship is entitled to fly;
- (viii) Hull number on building delivery;
- (ix) The name and type of the ship along with the date of such registration;
- (x) The port at which the ship is registered;
- (xi) The name and the address of the ship owner;
- (xii) The name of the classification society (ies) with which the ship is classed: and
- (xiii) The ships main particulars such as {length overall (LOA)}, Breadth (Moulded), Depth (Moulded) Lightweight Cargo carrying capacity, Gross and Net tonnage, and engine type.

3.5.2 In case of Cash Buyers selling the ships, following additional documents are to be provided to the Port Authorities/State Maritime Board authorities.

- i. Proof of ownership details like name, address, contact number, email address of the owner of the vessel and master of the vessel.
- ii Cash Buyer shall have to provide the following documents for obtaining beaching permission from concerned authorities:
 - a. Notarized certified copy of Bill of Sale in his favour;
 - b. Copy of notarized certified Physical Delivery in his favour;
 - c. Certified true copy of 'Certificate of Registry' in his favour certifying that the ship has no registered mortgage and is free from maritime lien and encumbrances from the Registrar of Ships only and not from any agent,

with e-mail ID of Registrar of Ships; and

d. Certificate showing no hazardous wastes on board.

3.5.3 In case of seller including the cash buyer, notarized copy of Port of Registration Certificate, with e-mail Identity of Port of Registration should be produced in order to avoid falsification of documents.

3.6 Information/documents to be submitted to Customs for assessment of custom's duty

3.6.1 The details/documents as listed below are to be filed with Customs by the Seller or his agent at least 3 weeks before the expected arrival of ship.

- a. Name of Ship
- b. International Maritime Organization (IMO) Identification No.
- c. Flag of the country
- d. Call Sign
- e. Radio equipment list
- f. Transshipment list
- g. Name of the Master of the ship and his nationality
- h. List of crew, personal property list and ship currency list
- i. All crew passports/ Continuous Discharge Certificate book
- j. Gross Registered Tonnage /Net Registered Tonnage/Light Displacement Tonnage of the ship with supporting documents

3.6.2 In the case of floating structures other than ships, only proof of ownership is to be provided to Customs.

3.6.3 Customs Officers shall board the vessel within 24 hours of ship's arrival (as per Customs regulation).

3.6.4 Customs officers shall verify all the documents, collect the PC (port clearance) of the last port from the Master of the ship, check all documents of the Master and check the Certificate of Registry.

3.6.5 The Rummaging Officer from Customs shall check and verify fully that there are no contraband goods on board the ship. Customs shall also collect information about the personal effects of the crew, all stores and inventory as required under the relevant Acts and regulations of Customs.

3.6.6 After the above procedure, Inward General Manifesto shall be filed duly signed by the Master of the ship. Seller shall pay to the Customs applicable dues at the prevailing rate. Seller/agent shall submit arrival report (location of anchorage, time of arrival etc.) to Customs.

3.6.7 Buyer/importer shall file bill of entry for home consumption with following necessary documents for assessment of duty:-

- i. Survey Report of the bunker;
- ii. Memorandum of Agreement (MOA) having address and e-mail id of seller and buyer along with signatories of both;
- iii. Copy of Letter of Credit (LC) or other documentary proof of mode of payment;
- iv. Set of bill of entry for home consumption; and

- v. Physical Delivery Certificate.
- vi. Documents showing assigned of IEC code in favour of the importer.
- vii. Port Authority/State Maritime Board's letter with regard to (i) Submission of relevant documents as per Hon'ble Supreme Court's order dated 06.09.2007 and (ii) completion of verification date and NOC addressed to the agent with copy of customs.
- viii. Undertaking-I to the effect that items which are excluded from the sale will be returned/sent back to the owner by way of transshipment and other items surrendered by the matter through their agent to customs.
- ix. Undertaking-II to the effect that they will not commence breaking activities in respect of vessel until such permission by the proper officer of the customs.
- x. Undertaking for Gas Cylinders to comply with the instances for the disposal of the Gas Cylinders.
- xi. Undertaking-III with regard to production of Original Bill of sale and commercial invoice and to pay the differential duty, if any, in case of any discrepancies in relation to purchase price.
- xii. Undertaking-IV to the effect that quantity of the oil collected from the machinery and pipes from engine will be disposed off as per the guidelines of State Pollution Control Board (SPCB).
- xiii. Inventory of provisions, spares and stores along with Bunker Report.
- xiv. Survey Reports, certifying the quantity of Bunker/Oil on board the vessels, confirming the LDT of the vessels, certifying the existence of Working Propeller/spare Propeller/Spare Anchors/Spare Tail Shaft etc; Certifying the Port Worthiness of the vessel;
- xv. Declaration in terms of Rule 10 of the Customs Valuation Rules, 1998.
- xvi. Provision Assessment Bond, pending Original Bill of Sale and Commercial Invoice pertaining to the vessel along with the request of the importer to assesses the Bill of Entry provisionally; and
- xvii. Gas free certification from the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) in the case of Oil Tanker. Certificate from State Pollution Control Board (SPCB) certifying that there is no hazardous waste in loose condition on board the ship, certificate of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) regarding verification of radioactive material etc.

3.6.8 On the basis of the above documents, Customs officials shall assess the duty provisionally and the importer/recycler will pay the duty. On production of the proof of payment by importer/recycler of import duty challan, Customs shall immediately issue "No Objection" to the SMB/Port Authority, who is the Nodal Agency for granting the permission for beaching of the vessels. As regards any left out cargo, sweeping cargo or any goods which become liable for confiscation for the reason of not having been declared or found in excess, would be dealt with as per the procedure laid down for their seizure and disposal under the provisions of the Customs Act 1962. If the sweeping/left out cargo are of no use, have no commercial value and are not fit for consumption/use, such cargoes shall be surrendered by the Master of the vessel and subsequently shall be disposed off in a reasonable manner. Any sweepings (left over of last cargo) will be cleared by Customs by collecting legitimate customs duty, if any. Customs shall then give their clearance within twenty four hours for granting of the beaching permission by the SMB/Port Authority.

3.6.9 The nominated officer shall board vessel, and destroy the Wireless equipment/restricted radio equipment/navigational equipment of the vessel in presence of the Importer. Thereafter, the importer shall surrender the goods, if any, as per the MOA/IGM to the agent for further transshipment or to the Customs as the case may be. After completion of

all these formalities and on payment of all dues/duty on the vessel, customs would give out of charge and clear the ship for recycling. Thereafter, on presentation of the documents like Commercial Invoice, Bill of Sale etc. final assessment of bill entry would be made:

CHAPTER- IV

BEACHING PROCESS OF SHIPS

4.1 Process for beaching of ships

4.1.1 For obtaining permission for beaching of a ship, the recycler has to submit documents as per **Annexure – II** to the Port Authority/State Maritime Board along with other relevant documents specified.

4.1.2 At anchorage, the ship would be boarded and physically verified by-

- (i) representatives of Customs Department for all vessels,
- (ii) For petroleum tankers for their cargo hold by the representatives of the Petroleum & Safety Organization (PESO) and for chemical tankers in their cargo hold by the competent persons/agency under Explosive Act.
- (iii) For War Ships, Naval Ships Nuclear Powered Vessels and large passenger liners, by the , representative of the AERB and Indian Navy. It deemed fit, above agencies shall give clearance to SMB/Port Authority for issuance of Beaching Permission.
- (iv) representatives of SPCB for Large Passenger Liners more than 2000 LDT.
- (v) for all ships other than War Ships, Naval Ships and Nuclear Powered Vessels, personnel of SMB/Port Authority trained and certified by AERB shall examine the ships from radiological survey point of view.
- (vi) For obtaining permission for beaching of ship, the recycler should also obtain a copy of the gas free and fit for work certificate from the competent person as per Section 2(ca) under the Factories Act, 1948 approved by Directorate of Industrial Safety and Health (DISH).

4.1.3 Prior approval of the Ministry of Defence for the vessel to be scrapped shall be obtained by the purchaser through State Maritime Board/Port Authority.

4.1.4 Beaching permission will be given by the SMB/Port Authority within the next two working days after receipt of clearances granted by all the concerned departments/ agencies. Again in the event of refusal to grant permission for beaching, the ship owner shall be entitled to a review and appeal on the lines of provisions governing anchorage.

4.2 Beaching permission by Port Authority/State Maritime Board

4.2.1. Beaching permission shall be granted by Port Authority/State Maritime Board only to:

- (a) the plot-holders to whom plots are allotted by the port authorities or to those who are otherwise permitted by the Port Authority/SMB;
- (b) those plot-holders whose SRFMP has been approved.

4.2.2 Beaching permission shall be granted to ships subject to observing specific requirements in respect of the following cases:-

(a) In the case of petroleum oil cargo tanks and petroleum slop tanks, on production of gas-free for hot work certificate given by the Petroleum and Explosives Safety Organization(PESO);

(b) For all ships other than petroleum tankers and petroleum slops, Directorate of Industrial Safety and Health (DISH) shall conduct the inspection for issuing gas-free-for-hot-work certificate.

(c) In the case of ships of special concern and large passenger vessels, on production of no objection certificate (NOC) from Atomic Energy Regulatory Board; and

(d) In the case of war ships and naval vessels on production of NOC from the Naval Department, the AERB and the Customs Department.

(e) The activities of ship recycling is identified as a hazardous process and the provisions of Chapter-IVA, Section 41A to H of the Factories Act shall be applicable. Directorate of Industrial Safety and Health shall inspect the ship recycling operation whenever felt necessary to check and ensure compliance with the provisions under the Factories Act, 1948.

4.2.3 Ship or ships shall be allowed to beach at a time provided the breadth of the ship or ships is less than 5 meters of the width of the plot or as per direction of the Port Authority/State Maritime Board.

4.2.3 A. Petroleum tankers which have not obtained "fit for hot work" certificate for all cargo tanks, slop tanks forward deep fuel oil tanks and forward coffer dams shall not be allowed to beach. The Vessel shall be advised to complete the gas freeing operation and obtain complete certificates at anchorage failing which necessary action shall be taken to send off the vessel under the port rules.

4.2.4 On beaching of ship, ship recycler shall take necessary action to ensure that

- (i) the vessel is secured properly; and
- (ii) left overs in bunker are removed with proper precautions, including sufficient ventilation in engine room.
- (iii) bunker and bunker contents are disposed of to a registered dealer.
- (iv) used oil and sludge are disposed of to registered recyclers/refinery only.

4.2.5 The ship recyclers will be liable to penalty and fines, including cancellation of license for ship recycling in the event they are found to have not complied with the provisions in paras 4.2.4 to 4.2.6 during examination of their records or during inspections of their plots/yards by concerned agencies.

4.2.6 In the structure of the ship, and on board as far as practicable by reference to the ship's drawings, technical specifications, ship's stores, manifest, in consultation with the ship builder, equipment manufacturers and others as appropriate, identification and marking of all areas containing hazardous wastes/hazardous substances, would be provided at the time of boarding by the concerned agencies.

4.2.7 In the case of ships of special concern as listed in Chapter-II, identification and marking of all areas containing hazardous wastes/hazardous substances, quantification of such wastes/substances would be provided at the time of boarding by the concerned agencies. The details as specified in Annexure V and VI would also be furnished.

4.2.8 An assessment of hazardous waste/hazardous substances available on the ship and likely to be generated during the ship recycling process shall be made mandatory by the SMB/Port Authority and SPCB.

4.3 Permission from the State Pollution Control Board(SPCB)

4.3.1 After beaching the ships, ship recycler, shall remove all the loose and hazardous wastes including those oil and petroleum hydrocarbon from pipe lines, tanks, stop tanks etc. and SPCB shall issue decontamination certificate to ship recycler. Simultaneously, Gas free and hot work permit as per Section H of the Factories Act 1948 shall be issued by competent authority/agency after ensuring removal oils/used oil/hydrocarbon from bunkers/pipe lines etc.

4.4 Security aspects

4.4.1 With regard to security related aspects, the SMB/ Port Authority concerned shall issue requisite orders in consultation with the Navy and the Coast Guard and promulgate the same for strict compliance.

4.4.2 A record of ships reporting for breaking, along with the nature and details of the ships, shall be maintained by the SMB/ Port Authority and shall be provided to the Naval and Coast Guard as soon as their Expected Time of Arrival (ETA) is received.

4.4.3 Photographic record of all ships reporting for recycling shall be maintained by the SMB/ Port Authority and provided to the Navy and Coast Guard.

4.4.4 Details of arrival and departure of the crew, in particular the foreign crew members are to be reported to the concerned Naval Authority, prior to the actual arrival and departure.

4.4.5 A monthly security and intelligence meeting shall be conducted by each Port Authority/SMB by calling representatives from local police, Intelligence Bureau, Coast Guard and the Navy.

4.5 Flow Diagram for the process.

Sequence of steps/process for Grant of Clearances by the SMB/SPCB/Customs Department and other concerned agencies for Ships Destined for Dismantling at Ship Breaking Yards, covering all the three stages, namely, anchorage, beaching and breaking will be as given in Appendix-I.

CHAPTER V

SHIP RECYCLING PROCESS

5.1 Recommended Process for Ship Recycling

The ship recycling plan should have two components i.e. Ship Specific Recycling Plan, and Recycling Facility's Management Plan. The size of the plots should be such that while cutting the ship, both the sides of the beached ship should have space for free movement of labour, with sufficient width of at least 5 metres freely available on each side or as per direction of the Port Authority/State Maritime Board concerned.

5.2 Ship Recycling Facility Management Plan

5.2.1 The State Maritime Board (SMB)/Port Authority allots the plots to the ship recyclers for the purpose of ship recycling. The plot should be of sufficient dimensions to allow for safe and environmentally sound ship recycling. The concerned SMB/Port Authority shall approve the Ship Recycling Facility Management Plan (SRFMP) if the plan satisfies the following requirements:-

- (i) Availability of requisite and valid documents
 - a. Authorization for handling Hazardous waste generated from ship recycling activities issued by the SPCB.
 - b. Registration as a Member of the Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) from TSDF operator.
 - c. License for storage of LPG Cylinders required under the Gas Cylinders Rules, 2004 from Explosives Department.
 - d. License of the plot under Factory Rules.
 - e. Map showing the yard layout and other components of the facilities.
 - f. Any other document(s) or No Objection Certificate/Permission letter required from the concerned authority (ies).
 - g. License and SRFMP approval under the provisions of the Factories Act, 1948 and rules made there-under.
- (ii) Provisions of shelter/rest room and lunch room and canteen as per Sections 46 and 47 of the Factories Act, 1948. In addition provision for adequate lighting as per Sec 17, adequate clean drinking water as per Section 18, latrines and urinals as per Sec. 19, washing facilities as per Sec.42 and first aid as per Sec.45 of the Factories Act, 1948. The list of trained first aiders and fire fighters shall be displayed at a conspicuous place.
- (iii) Storage Godown for Temporary Storage for Hazardous/Non Hazardous Waste Materials.
- (iv) Temporary asbestos handling and removing and storage facility or avail of appropriate mobile asbestos handling facility.
- (v) Storage Godown for Liquefied Petroleum Gas (LPG) Cylinders as per Explosives Act.
- (vi) Sanitation and 'Rest Room' facilities for a minimum 50 workers, as per the Factories Act.
- (vii) Facility for adequate and clean drinking water.
- (viii) Workers Change Room.
- (ix) First Aid Facility.
- (x) Fire fighting facility and Emergency Response System including oil spill Combat system.
- (xi) Certified Material Handling Equipment and Personal Protection Equipment (PPEs) of BIS Standard or equivalent.
- (xii) List of the trained and certified labours of all disciplines (lightening, gas cutting, waste handling, working in confined spaces, using various gadgets like oxygen and other gas detectors, crane and material handling systems etc).

(xiii) Hazardous area classification of the facility in accordance with Petroleum Rules-2002 for providing safe electrical fittings.

(xiv) Other necessary facilities, if any required.

5.2.2 The SMB/Port Authority concerned after ensuring the above aspects shall issue permission in respect of the Ship Recycling Facility Management Plan (SRFMP) after the plots are allotted to ship recyclers, within one month's time. This approval would be a one time activity during each cycle of five years, subject to review at every six months time. Requisite corrective measures, if required arising out of such six monthly reviews should be carried out promptly by the ship recycler.

(i) All lifting machines, wire ropes and lifting tackle shall be tested and certified by a Competent Person approved by the DISH as per Section 29 of the Factories Act, 1948.

(ii) The SMB/Port Authority concerned shall issue permission after getting comments/views of DISH on the compliance with the requirements under the Factories Act, 1948 and Rules to undertake the activities of Ship Recycling.

5.2.3 If any of the components of the Ship Recycling Facility Management Plan of the Plot are found to be not operative and not in place during the inspection by any of the concerned authorities, the SMB/Port Authority shall cancel the permission of the Ship Recycling Facility Management Plan and the ship recycler would not be permitted to beach any ship till the required components under the Ship Recycling Facility Management Plan are made operative as per the requirements.

5.2.4 Therefore, before ships are permitted in the plot for recycling, the SMB/ Port Authority shall ensure the above aspects rigorously, by way of ready for recycling certification document as per **Annexure-III** and **Annexure I**. For obtaining cutting permission, the Ship Recyclers shall apply to the Port Authority as per **Annexure-IV** duly filled in. The port authority shall consider the application for cutting and accord permission or notify any deficiencies to be rectified, within two weeks time.

5.2.5 In addition to the above, the Ship Recycler shall have to submit an undertaking to the SMB/ Port Authority to the effect that they shall comply with the Safety, Health and Environment (SHE) management aspects as per the SHE Policy as enumerated below before approval of the Ship Recycling Facility Management Plan.

- (i) A policy with focus on adequate worker safety and the protection of human health and environment, including the establishment of goals leading to the minimization, and ultimately elimination of the adverse effects on human health and environment caused by ship recycling.
- (ii) A system for ensuring implementation of the requirements set out in national regulations, the achievement of goals set out in the policy of the company, and a commitment for continuous improvement of the procedures used in ship recycling operations.
- (iii) Identification of roles and responsibilities of supervisors, contractors, and workers.
- (iv) A programme for appropriate training of workers and availability of adequate PPEs and material handling equipments.
- (v) An emergency preparedness and response plan for the plot.
- (vi) A system for monitoring the performance of the ship recycling operations.

- (vii) A system for reporting how the ship recycling operations would be performed, including system for reporting discharges, emissions and accidents, including accidents causing damage or accidents having potential to cause damage to workers' safety, human health and the environment, due to handling of hazardous wastes, and materials containing hazardous substances.

5.2.6 The ship recycler shall ensure that:-

- (i) A board displaying important precautions (do's and don'ts) to be followed during ship recycling activity is installed at prominent places on the plot and that such display is made in English and vernacular language(s) as understood by the workers employed on such plot.
- (ii) All the equipments on the plot such as crane, winch, chain rope and shackles, generator set and any other safety equipments as may be prescribed from time to time, shall be installed and maintained in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948 and Rules made there-under and any other relevant Acts and Rules.
- (iii) An explosive gas detector, a multigas monitor including hydrogen sulphide (H₂S) gas monitor and an oxygen percentage analyzer are available in the plot in working condition.
- (iv) Proper lighting arrangement is made on the yard.
- (v) Every SRF should have a detailed emergency plan. The emergency plan should be rehearsed once in 6 months. Further, an off-site emergency plant for the whole district should be prepared and rehearsed once in a year.

5.2.7 Permission for ship-recycling activities under this Code shall not be given to any ship-recycler by the SMB/Port Authorities unless the ship recycler has complied with all the requirements under the SRFMP.

5.3 Ship Specific Recycling Plan:

5.3.1 Once the Ship Recycling Facility Management Plan is approved by the SMB/Port Authority for the plot, the ship recycler shall be required to submit application to the SMB/Port Authority along with the Ship Specific Recycling Plan and details as per **Annexure-IV**, along with details of Ready for Recycling Document duly filled in. Removal of oil from the vessel may be permitted prior to submission of Ship Specific Recycling Plan (SSRP).

5.3.2 Requirements of Ship Specific Recycling Plan (SSRP) shall be as under:-

- (i) Details about the ship, and in particular, a fair assessment of hazardous wastes and hazardous materials.
- (ii) Ship breaking schedule with sequence of work.
- (iii) Operational work procedures.
- (iv) Availability of material handling equipment and Personal Protection Equipment (PPE).
- (v) Certification from the State Pollution Control Board (SPCB) that all kinds of oils and other loose hazardous wastes are completely removed and the decontamination certificate issued by SPCB shall be attached with the SSRP.
- (vi) "Gas-free and fit for hot work" certificate issued by the Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) for oil tankers and for slop tanks, or any competent agency authorized by the Directorate of Industrial Safety and Health (DISH) under the Factories

Act, since the purpose of obtaining such a certificate is to avoid accidents due to fire, explosion and deficiency of oxygen and concentration of toxic gas in the confined spaces. This certificate shall be attached with plan document. In case a false certification is given, the concerned explosive inspector/official shall be liable for prosecution and action may be taken to cancel the license of the ship recycler in such cases.

- (vii) Hazardous waste handling and disposal plan:- Identification and marking of all non-breathable spaces by the Recycler in the ships documented in the plans with drawings. Identification and marking of all places containing/likely to contain hazardous substances/hazardous wastes in the ships and the same be documented in the plans with drawings. Identification and marking of all places containing/likely to contain hazardous substances/hazardous wastes in the ships documented in the plans with drawings.
- (viii) Confirmation to the effect that ballast water has been exchanged in the high seas. The requirements should address all the three phases of recycling, i.e.
- (a) Preparation phase.
 - (b) Dismantling phase.
 - (c) Waste stream management phase.
- (ix) Ballast Sediments shall be discharged along with the ballast water with proper churning shall be handed over to authorized agency of the SMB/Port Authority on chargeable basis for suitable disposal.
- (x) Asbestos being a major area of concern, the scheme for removing asbestos, and asbestos containing materials (ACMs) on board, and on shore, shall be specifically provided. The plan shall include arrangements for removal, handling treatment and disposal. Locations having asbestos/ACMs shall be marked before commencing dismantling operations and shall conform to Bureau of Indian Standards for Cleaning of Premises and Plants using Asbestos Fibres (IS 11767:1986). Those ships having asbestos quantification more than 100 metric tonnes should go for negative pressure chamber technique.
- (xi) System and procedure shall be followed to document and keep track of all hazardous wastes generated during recycling as well as hazardous substances found onboard the ship, and their transport to the disposal facility or registered recycling facility shall be provided in the SSRP.

Chapter-VI

General Instructions for Safety Health and Environmental Compliance for stakeholders involved in Ship Recycling.

6.1 Safety compliance

6.1.1 To comply with the Safety Instructions while undertaking Ship Recycling Activities in the Plots/Yards. The following steps shall be taken:-

- (i) Adequate open space shall be provided on the plot for safe passage and easy movement of fire fighting units and equipments, maintenance of passage ways so as to permit unobstructed access for firefighting units and equipment.
- (ii) Identification and marking of all non-breathable spaces in the ship shall be made by the Recycler
- (iii) Identification and marking of all places in the ship containing/likely to contain hazardous substances/hazardous wastes shall be done.
- (iv) Systems and procedures shall be followed to document and keep track of all hazardous wastes generated during recycling of a ship, as well as hazardous substances found on board the ship, and their transport to the disposal facility or registered recycling facility in safe and sound manner.
- (v) It shall be ensured that sufficient area for office building, storage of non-ferrous metals and open space to store segregated finished scrap for delivery (just like re-rollables of 6 millimetre (mm), 8mm, 12 mm and melting, etc.) are provided.
- (vi) Sufficient area shall be provided for installation of at least 2 winches and operation of at least 2 cranes.
- (vii) Sufficient area shall be provided for processing of cut pieces from the ships.
- (viii) Gas free certificate shall be obtained for man entry into confined spaces likely to contain dangerous fumes & insufficient oxygen, as per the Sections 36, 41 & 112 of the Factories Act, 1948 issued by the Competent Person as defined in Clause (ca) of section 2 of the Factories Act. This must be ensured before ship recycling operations start.
- (ix) Safety distance shall be maintained for storage of petroleum products, including LPG storage or any other combustible material as specified under the relevant Acts/Rules.
- (x) Facilities of water storage and pumping and fire fighting devices such as portable fire extinguishers, fire-fighting suits, liquid foam, oxygen mask, sand boxes /buckets, fire hose with complete attachment shall be provided as required in accordance with the provisions of the Factories Act and other relevant Acts/Rules.
- (xi) Constructed facility for removal and handling of asbestos on the yard and necessary provision for showering of asbestos handling workers or appropriate mobile handling facility by the Association of ship recyclers shall be provided. Alternatively the Common Asbestos Handling System facility as duly approved by DG, FASLI and SPCBs shall be availed.
- (xii) Temporary storage facility for storing hazardous waste shall be constructed as per the SPCB guidelines and also disposal of hazardous waste as per Hazardous Waste Rules, 2008.

- (xiii) There shall be no overlapping of activities to ensure safety of workers.
- (xiv) Ship Recyclers shall provide and ensure the use of personal protective equipment for operations requiring such use, including for :
- a. head protection;
 - b. face and eye protection;
 - c. hand and foot protection;
 - d. respiratory protective equipment;
 - e. hearing protection;
 - f. protectors against radioactive contamination;
 - g. protection from falls; and
 - h. appropriate clothing.
- 6.1.2 Every ship-recycler shall appoint qualified Safety Officer as per Section 40-B of the Factories Act, 1948. The cutting operations shall be carried out under the supervision of competent supervisor as per Section 41-C(b). The duties, qualifications and conditions of service of the Safety Officer shall be as such which may be prescribed by the State Government.
- 6.1.3 The Safety Officer/Safety Supervisor shall ensure availability of material handling equipments, and availability of Personal Protective Equipments (PPEs) to workmen.
- 6.1.4 The Safety Officer/Safety Supervisor shall ensure that:-
- (i) Safety guidelines are followed for safety distance. Cutting operations are undertaken at a distance beyond safety distance of LPG storage area, as prescribed in the Explosives Act.
 - (ii) Explosive and oxygen meters are readily available in working condition throughout the cutting operations.
 - (iii) Parameters with respect to permissible limits of hydrocarbon vapours and oxygen are strictly complied with before commencing actual cutting operations and also during such operations. Provided that if the level of oxygen content reduces or that of Hydrocarbon vapor increases beyond the permissible limit in particular space/area, cutting operations carried out in that space/area shall be immediately suspended. Thereafter steps shall be taken to ventilate such area with the help of mechanical blowers or any other effective means to restore the oxygen content so as to bring it within the permissible limits.
 - (iv) Number of LPG and other Gas Cylinders stocked on the deck of the ship or near cutting area are as per the provisions of relevant Act/ Rules.
 - (v) Cylinders and other articles are lowered down to the ground in safe manner instead of throwing them from the ship.

(vi) All pipelines are dismantled by cold opening/cutting. Provided that, in case of fuel dripping from the pipelines, it shall be dismantled only after collecting such dripping fuel in a container.

(vii) Area where cutting operation is carried out in last two hours of the working day shall be quenched by pouring sufficient amount of water or by any other effective means to avoid any incident of smoldering/fire.

(viii) The progress of ship breaking is recorded daily in properly designed log book continuously and shall be preserved. The log book shall be produced to the Authorities as and when called for.

6.1.5 Work timings of the workers relating to the ship breaking shall be such that it should be adjusted not to be before sunrise and also not after sunset, so that the cutting /breaking activities and other ship breaking related activities including loading and unloading operations are undertaken in natural light. The maximum working hours for cutting operations shall be as under.

(i) During the months from March to October - 7 AM to 7 PM.

(ii) During the months from November to February - 7 AM to 6PM.

(iii) The maximum weekly hours and daily hours of duty will be as per Section 51 and 54 of Factories Act, 1948. Working hours of adults weekly holidays compensatory holiday intervals of rest, spread over extra wages for overtime shall be as per provisions of Chapter-VI of Factories Act, 1948.

(iv) Ship Recyclers must obtain Naked Light Certificate (Hot Work Permit) as per the Rule 68-H made under sections 41 & 112 of the Factories Act, 1948, issued by the Competent Person as defined in Clause (ca) of Section 2 of the Factories Act, before the ship recycling operations start for non-tanker ships and for petroleum tankers and slop tanker, the Petroleum & Explosives Safety Organization (PESO) shall issue Gas free and Fit for Hot work certificate.

(v) No worker shall be allowed to work in the ship breaking yard beyond the stipulated timings and on holidays.

6.1.6 Ship Recycler must carry out safety audit as per IS:14489 by an External Agency and the frequency of audit should be in line with Manufacture, Storage and import of Hazardous Chemicals (MSIHC) rules under Environment Protection (EP) Act, 1986.

6.1.7 Director of Industrial Safety and Health (DISH) or equivalent Department of the State Government under the Factories Act shall carry out regular inspections of the plot and monitor the whole safety management aspects under the Factories Act. If there is any lapse(s) in compliance, DISH will issue Show Cause Notice/warning/order etc. as per provisions of the Factories Act, 1948 and initiate legal action for non-compliance of the provisions. A copy of the notice/warning/order so served shall be marked to SMB/Port Authority.

6.1.8 The management of occupational safety and health shall be in accordance with the provisions of Factories Act and labour laws.

(a) Only trained workers shall be employed.

- (b) All workers will be provided with Personal Protection Equipment (PPE) that conform to Bureau of Indian Standards (BIS) or equivalent. For all operations/works the personal protective equipments of BIS standard should be used.

6.1.9 Portable water hoses with a dedicated water pump on the beach with adequate take-off points for attaching additional hoses, shall be provided at all times when working on the beached vessel, for immediate water supply in the event of fire, and for wetting the asbestos, etc. before its removal from the vessel. The ship recycler shall have mutual aid understanding with port authority/any other nearby industry for providing support in case of emergency. Work permit system shall be followed as per applicable Acts and rules to carry out work safely. No hot work shall be permitted unless the area is free from any explosive mixture and the explosive meter reading is below explosive limit. The explosive meter reading shall be recorded in the work permit.

6.1.10 The following areas shall be given special attention and the workers shall have expertise with necessary training and certificates for the works allotted to them as follows:-

- (a) Separate work permit shall be issued for working at height, working in confined spaces & working in hazardous area/environment like flammable/toxic/corrosive environment etc. Use of safety belt/safety net and helmet shall be ensured while working at height.
- (b) Working in Confined Space-no work shall be done in enclosed area without checking the presence of oxygen.
- (c) Working in Flammable Environment- the ship recycler shall ensure that spaces and adjacent spaces that contain or have contained combustible or flammable liquids or gases are inspected by the Safety Officer /Supervisor or other specially trained person to determine the presence of combustible or flammable liquids. The ship recycler shall also ensure that flammable vapors or gases in the space to be entered are below the explosive limit and sufficient ventilation is provided to ensure that the concentration of flammable vapor is maintained below the lower explosive limit (at < 10% of the lower explosive limit) and there is sufficient oxygen for man entry.
- (d) Working with Toxic, Corrosive, Irritant or Fumigated Atmosphere or Residues- the ship recycler shall ensure that spaces or adjacent spaces that contain or have contained liquids, gases or solids that are toxic, corrosive or irritant are inspected visually by the Safety Officer/Supervisor or other specially trained person he shall also ensure that air concentration of toxic, corrosive or irritants is maintained below its Threshold Limit Value (TLV) as per the Material Safety Data Sheet (MSDS) of that chemical, prior to entry by workers to the concerned spaces.
- (e) For gas cutting, the recycler shall employ only the workers certified for gas cutting work. Gas cutters shall be provided with proper masks to avoid inhalation of toxic fumes.
- (f) For crane operation, inspection and testing records of cranes and lifting tackles shall be maintained as per statutory norms and appropriate PPEs shall be provided to crane operators. Constant and adequate supervision shall be provided while heavy loads are lifted. Only those lifting machines, wire ropes and lifting tackle shall be used which are tested and certified by a person as per Section 2 (ca) approved by DISH. Section 29 of the Factories Act, 1948 it shall be ensured that the material handling equipment are safe.
- (g) For handling Asbestos Wastes and Asbestos Containing Materials(ACM), specialized contractors shall be engaged. The removal of asbestos dust and fibers and its handling shall be done in a wet condition. On shore removal of asbestos shall be done in enclosures maintained under negative pressure, with filters for outgoing air and wastewater. The applicables shall be adhered to in respect of such enclosures.

(h) For “Ships of Special Concern”, where asbestos/ACMs quantities are the Special Concern, asbestos/ACMs removal on board shall be given special importance and the practice of wet removal of asbestos onboard shall be followed with the use of appropriate PPEs.

(i) The asbestos and broken pieces of ACMs sheets/panels thus removed shall be packed in leak proof packets and disposed of at secured landfills where the packets shall be handled and processed as per the SPCB norms. Recovered and usable ACMs sheets/panels shall be sold for reuse as permitted by law.

(j) PPEs like masks or respirators shall be provided to all the workers engaged in asbestos removal or handling.

(k) Asbestos fiber concentrations in the environment shall be monitored regularly by the SPCB.

(l) For removal of asbestos specialized contractors should be accredited and their performance assessed periodically.

(m) Only trained workers shall be employed in activities involving asbestos handling.

(n) In so far as handling of Radio active substances, guidelines/instructions of the AERB shall be followed.

6.2 Permission for ship breaking

6.2.1 The recycler shall apply to the Port Authority for breaking/cutting permission with relevant documents such as:

- (i) Workers’ registration under Employees State Insurance Corporation (ESIC) or Workmen Compensation Act as the case may be.
- (ii) Gas free certificate for man entry into confined spaces likely to contain dangerous fumes & insufficient oxygen, as per the Rules under Sections 36, 41 and 112 of the Factories Act 1948 issued by the Competent Person as defined in Clause (ca) of Section 2 of the Factories Act.
- (iii) Proof of removal of residual oil from all bunker tanks
- (iv) Copy of Customs beaching clearance
- (v) Copy of decontamination certificate from the SPCB

6.2.2 Prior to submitting application for permission for cutting operation, the ship-recycler shall have to install for the purpose of fire fighting two efficient fire fighting pumps including power supply and should ensure continuous power supply to the fire fighting pumps at all times, on the ship with sufficient water in the holds or any receptacles.

Provided that one of the above fire fighting pumps shall be installed and maintained in working condition at all times near the engine room with foam and dry powder, until the complete dismantling of the engine room.

Provided further that one portable fire extinguisher of suitable type shall always be kept in working condition near every cutting point.

6.2.3 If the Port Authority is satisfied that the ship-recycler has complied with all the provisions for management of occupational safety and health, it may grant permission for cutting operations of the ship within a maximum period of 2 weeks. In case any shortcomings are noticed, the same

shall be communicated in writing within the said period of 48 hours to enable the ship recycler to resubmit his request after doing necessary corrections.

6.3 Specific Instructions regarding training for the labour and usages of Personal Protective Equipments and other important aspects:

6.3.1 Prior to delegation/entrustment of any job relating to ship recycling, workers shall be imparted proper training for the safe ship breaking operations in general and also for the specific jobs they are required to perform in the plots.

6.3.2 Such training shall be with provision of certification on successful completion of the training programme. Training shall be in the language understood by the workers and shall prolong till such time which is necessary to get them acquainted with the knowledge and risk factors of ship recycling operations, with necessary examination and certification. Training shall include the hazards associated in the job and role of an individual during emergency situations. Such training programs shall be conducted by the State Maritime Boards/Port Authorities, prior to entrustment of any job relating to ship recycling. In addition, the following shall be ensured:

- (i) An attendance register of workers working on the plot shall be maintained in accordance with the provisions of Factories Act, 1948 and rules made there under and the workers shall be issued photo identity cards carrying personal particulars of labourers in accordance with the relevant Rules.
- (ii) Photo identity cards carrying personal particulars of labourers may be issued by the ship recyclers in an approved manner by the Port Authorities /SMBs and ship recyclers will maintain proper records of the entry and exit of the workers.
- (iii) A Safety Supervisor, having requisite qualification and experience as per the relevant rules, shall be employed.
- (iv) Only trained and registered workers having identity cards issued as per clause 6.3.2 (ii) as mentioned above shall be engaged in respective ship recycling activity.
- (v) Minimum two workers shall be employed who are trained to use gas detectors during ship recycling activity.
- (vi) Handling of asbestos shall be by contractors or workers having special knowledge and skill of handling asbestos, with proper training.
- (vii) All the equipments on the plot such as crane, winch, chain rope and shackles, generator set and any other safety equipments as may be prescribed from time to time, shall be installed and maintained in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948 and the Rules made there-under and any other relevant Act(s) and Rules.
- (viii) Flammable and toxic gas detectors shall be calibrated regularly to ensure correct values when used and an oxygen percentage analyzer shall always be available in the plot in working condition.
- (ix) The workers shall be provided with PPEs such as helmets, safety shoes, welding goggles, safety belt with safety life line, hand-gloves, self contained breathing apparatus etc as provided in the relevant Acts and Rules for such purpose and that such safety gadgets shall be conforming to relevant Bureau of Indian Standards (BIS) or equivalent standards or as approved by the Chief Inspector of Factories (by

- Directorate of Industrial Safety & Health, of the State Government concerned) and shall be invariably used by the workers during such activities..
- x) The workers engaged in ship recycling activities shall be provided with the necessary instructions by the Safety Officer/Safety Supervisor with respect to the availability and use of fire fighting and safety equipments installed and maintained at the plot and on the ship and shall also ensure that such instructions are provided to the workers prior to delegation or entrustment of actual work to them.
 - xi) Proper precautions shall be taken while dismantling CO₂ Control Room and releasing CO₂ from the Cylinders and that
 - a) such operations shall be undertaken only when there are no other works in the nearby area; and
 - b) such operations shall be done in the presence and as per the instructions of Safety Officer/Supervisor only.

6.4 Environmental compliance

6.4.1 Ship Recyclers shall strictly ensure the Environmental Compliance as per the requirements under the Water & Air Act, Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules 2008, Environmental Impact Assessment and Coastal Regulation Zone notifications. The following shall also be ensured:-

- (i) Plot/yard shall be kept neat and clean and good housekeeping must be carried out all the time.
- (ii) All plot holders must create temporary storage as authorized by SPCB under Hazardous Waste (Management, Handling and Trans-boundary movement) Rules-2008 and the amendments issued from time to time.
- (iii) Each Plot holder must provide for handling Asbestos Containing Materials (ACM) and Asbestos Wastes with specially designed Negative Pressure Chambers with trained labours or avail common mobile facility for such removal. The concentration of Asbestos fiber in the work zone while recycling of the ships shall be complied with the prescribed norms i.e. less than 0.1 fibre per cubic centimeter for Blue and Brown Asbestos and less than 1 fibre per Cubic Centimeter as per OSHA standards. Alternatively, the plot holders must avail the Common Asbestos Handling System as approved by DG, FASLI and SPCBs.
- (iv) Each plot holder must become a member of Treatment Storage and Disposal Facility (TDSF) authorized by SPCB to dispose their wastes into it.
- (v) Each plot holder must maintain registers with calculation of for each kind of wastes generated. Accordingly the ship recyclers must maintain ship-wise register for all waste categories.
- (vi) Ship Recyclers shall pay for waste management charges to TDSF operator/SMB, if SMB is operating the same, based on the actual quantities of wastes disposed.
- (vii) Seller and Cash Buyer/ Ship Recyclers shall implement a local oil spill contingency plan to combat any oil spill eventuality from the anchoring point up to the ship recycling plots. Oil spill contingency plan should be approved by Indian Coast Guard.

- (viii) Ship Recyclers shall enhance their support to regulatory authorities for environmental monitoring done from time to time including providing manpower, equipments, vessels and financial support, if any, required
- (ix) For development of new plots or yards, ship recyclers through the SMB or Port Trusts/Port Authorities shall have to obtain Environmental Clearance under EIA Notification-2006 and Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance under the CRZ Notification-1991.
- (x) The SPCB shall monitor for Management and Handling of Hazardous wastes etc. The main items of ships and the substances of concern with disposal options are as follows:-

Sl. No.	Main items of ship that may contain substances of concern	Substances of concern	Appropriate Disposal Option (Reuse/Recycle/Incineration & Treatment & Disposal to secure landfill) of substances of concern
1	Electric equipment e.g. transformer, batteries, accumulators	Dielectric fluids containing polychlorinated biphenyl (PCBs) Lead/electrolyte in Unusable Batteries	Incineration/Disposal in secured landfill after stabilization /solidification Recycling of lead through registered recyclers; treatment and disposal of Electrolyte.
2	Air conditioners and Refrigeration machines	Residual refrigerants as Ozone Depleting Substances Evaporator dosing/ descaling acids	Recovery through authorised units/ Recovery or treatment and disposal through authorised units/facilities.
3	Tanks	Fuels, lubricants, Sludge Oil and grease	Reuse, Re-refining/recycling through registered cyclers/re-finers. Recycling by registered recyclers and disposal of residue in an authorized facility.
		Foreign aquatic Organisms in ballast Tank sediments	Treatment and disposal of bilge water. Exchange of ballast water in high seas.
4	Partition walls	Asbestos Containing Materials (ACMs), Paints containing PCBs and/or Lead or Broken pieces containing ACMs	Reuse /Disposal in an authorized secured landfill after solidification/stabilisation. Disposal in an authorized secured landfill after solidification/stabilisation.
5	Cables	Cables containing PCBs in insulation	Reuse; disposal of waste cable insulation in an authorized secured landfill after stabilisation/solidification.
6	Heat Exchangers	Asbestos insulation on Surfaces	Disposal of asbestos in an authorized secured landfill after solidification/stabilisation.
7	Storage	Residues of toxic	Incineration/disposal in a secured

	facilities for Chemicals	Chemicals/reagents	landfill after treatment.
8	Stored solvents and other chemicals stocks	Residues of toxic Chemicals, solvents, thinners, kerosene, white spirit, water treatment chemicals. Acetylene/Propane/B utane/ Miscellaneous medicines	Incineration/disposal in a secured landfill. In case of water treatment chemicals incineration/disposal in a secure landfill after treatment/stabilisation. Incineration of unusable medicines.
9	Paint Scrap	PCBs, Tributyltin (TBT), Lead	Disposal in a Secured Land Fill(SLF).
10	Sacrificial anodes	Heavy metals	Disposal in a secured landfill after pretreatment for immobilization.
11	Fire Extinguishing and fire fighting equipment	Halons, CO ₂ Cylinders	Recovery and banking for reuse. Recycling through authorised facilities; Recycle/Reuse.
12	Piping, valves and fittings	Asbestos as Insulation/ Gaskets	Disposal to SLF after solidification/ stabilization
13	Pumps and Compressors	Asbestos in Gaskets	Disposal to Secured Land Fill (SLF) after solidification/ stabilization
14	Engines and Generators	Asbestos insulation, residues of lubricants/ oils/coolants anti-freeze compounds	Disposal to SLF after solidification/ stabilization or incineration; disposal to SLF after treatment; for coolants, pre- treatment and disposal to SLF.
15	Oil sumps	Sediments	Disposal to SLF.
16	Hydraulic system	Residual fluids, Anti- freeze fluids	Re-refining through registered/ authorized units.
17	Light fittings and fixtures	PCBs	Waste material to SLF.
18	Instruments	Mercury, radioactive materials including ionizing radiation based smoke detectors	Recovery by distillation; reuse of recovered mercury, and residue to SLF. Disposal as per AERB norms.

(xi) All ship breaking units shall be provided with air pollution control systems like suction devises or water sprinklers.

6.4.2 Hazardous materials as listed above, not meant for resale, will be handed over to authorized waste management facility for further treatment and disposal.

6.4.3 In addition to above, SPCB shall carry out regular monitoring of Ambient Air Quality, Soil Quality, Sediment Quality, and Marine Water Quality within 10 km radius of the ship recycling yards as well as in work-zone environment. SMB/Port Authority shall carry

out twice yearly monitoring of the same independently through any Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) labs or the environmental labs recognized under the Environment (Protection) Act, 1986 for the same parameters. In addition to this, the SMB/Port Authority shall carry out the detailed analysis on improvement of the beaching methods with a mandate to evolve recycling methods targeting "zero waste" and "zero accidents" at every five year time interval.

6.5 Creation/enhancement of facilities for removal, storage and disposal of hazardous materials and hazardous wastes:

6.5.1 The ballast water is required to be exchanged at high seas to avoid entry of Ceresin organisms into the local environment. The sediments are generally disposed of at yard/inter tidal zone. In order to avoid this, it shall be ensured by the Master of the ship that the sediments are also disposed along with ballast water by churning the mass. Alternatively, the sediments must have a reception facility at the yard to be set up by the Port Authority/SMB or authorized agencies on cost-recovery basis.

6.5.2 Oil sediments removal practices shall be modernised to avoid workers getting exposed to unhygienic and unsafe environment. The yards shall use mobile tank cleaning systems to clean the tank's inside surfaces by adopting modern methods in which detergents and high pressure jets may be used.

6.5.3 For removal and disposal of asbestos, the procedure outlined above in Section 6. 1.10 (g), (h) (i), (j), (k), (l) and (m) shall be followed.

6.5.4 A land based common facility for treating bilge water shall be set up by the port authority or agencies authorized by it and made available to the recyclers on cost-recovery basis. Alternatively, a mobile facility shall also be provided by the port authority or authorized agencies. The sediments shall be sent to the secured landfill for disposal.

6.5.5 There shall be no burning of any material on the plot/yard/inertial zone.

6.5.6 The ship recycling permission shall be granted subject to the condition:

- (i) The waste generated during ship breaking shall be segregated into hazardous and non-hazardous categories and intimate their quantities to the authority concerned.
- (ii) Entire quantity of waste oil sludge and other mineral oil and paint chips generated during the ship breaking process shall be removed carefully and shall be sent immediately to the areas outside the beach for safe treatment and disposal.
- (iii) A list of materials generated during ship breaking duly classified as hazardous waste and non-hazardous waste shall be submitted to SPCB in the prescribed form periodically.

6.5.7 All gas cylinders recovered from ships shall be emptied safely and scrapped by TDSF under Hazardous Waste Management Rules 2008. No gas cylinders shall be sold as such.

6.6 Environmental measures and house keeping

6.6.1 The ship-recycler shall obtain necessary authorization and consent from the State Pollution Control Board (SPCB) for ship-recycling activities and shall observe the following stipulations in that regard:-

(a) The ship recycler shall observe wherever applicable all the norms/stipulations covered under the Water Act, 1974, Air Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008 and Coastal Regulation Zone (CRZ) Rules-1991 framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

(b) The ship recycler shall not allow waste materials such as oil cakes, dead cargo of inorganic stuff like hydrated/solidified cement, thermocol pieces, wooden pieces, rubber pieces, scrap iron and other metallic pieces, glass wool, rubber pipes and gaskets, Poly Vinyl Chloride(PVC) pipelines and pieces of PVC sheets, corks, asbestos pieces etc. to be thrown directly into the sea or on the sea shore but shall ensure that such waste materials are collected and stored in secured storage facility within the plot and shall be subsequently sent to the secured landfill site. Records shall be maintained regarding the quantities of such wastes generated in the yard for every ship recycled. In any case no open burning of hazardous waste either within the ship-recycling yard or outside shall be allowed.

(c) The ship recycler shall strictly adhere to and follow the instructions issued by the State Pollution Control Board (SPCB) for collection and disposal of toxic materials, such as asbestos, lead (Pb), chromium (Cr) etc. and organic materials such as polychlorinated biphenyls (PCBs).

(d) The ship recycler shall separately collect the sand and fine powder, if any, obtained after clearing of cargo holds of oil tankers and shall dispose off the same in secured landfill in accordance with the directions of the SPCB.

(e) The ship recycler shall sprinkle seawater, daily, over the working area in order to minimize dust generation due to material handling.

(f) The ship recycler shall inform the Coast Guard, if any oil spill occurs and escapes into the sea. If the spill is not contained and removed locally, necessary pollution report shall be made to the concerned authority in accordance with the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOSDCP). The spiller shall be liable for the clean up.

(g) The ship recycler shall ensure surrender of and maintaining details of removal and surrender of smoke detectors to SMB/Port Authority for safe disposal as per AERB norms.

6.7 Solid waste management

6.7.1 A modern Solid Waste Management system shall be established in the plot to collect, transport, store and dispose of solid waste generated from the plot in accordance with the conditions of authorization issued by the concerned SPCB, from time to time.

6.7.2 Special care must be taken in the handling of asbestos wastes, and total quantities of such waste shall be made known to the authorities concerned. The concerned SPCB shall authorize and ensure final disposal of asbestos waste.

6.7.3 Ship-recyclers should be given authorization by the concerned SPCB under the Hazardous Wastes (Management Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008, only if they have provisions for handling and disposal of the waste in an environmentally sound manner. All authorizations shall be renewed subsequently only if they have complied with the conditions of authorization and also have adequate facilities for handling and disposal of wastes in an environmentally sound manner.

6.7.4 Radioactive waste including ionization chamber based smoke detectors, if any, shall be securely stored in an exclusive place till such time they are disposed of as per norms of AERB.

6.8 House Keeping

6.8.1 The ship-recycler shall keep the work place clean and well maintained. The machinery and material/scrap etc. shall be arranged properly within the plot to provide access for rescue operation in case of any accident or fire or explosion.

6.8.2 Statement of completion of ship recycling shall be submitted to the SMB/Port Authorities after the completion of ship recycling.

6.9 Health Compliance:-

- i. Ship Recyclers shall regularly arrange the health camps for ship-breaking labor at their own cost. Ship Recyclers shall also arrange for diagnosis, treatment and referral at their own cost for ship breaking labourers.
- ii. SMB shall facilitate for establishing adequate number of permanent health care facilities and doctors at Ship Recycling Yards for treatment of orthopedic, burns and other chronic diseases and disabilities reported in the ship recycling Industries
- iii. National Institute of Occupational Health (NIOH) or Indian Council of Medical Research (ICMR) institutions may be involved for such facilitation.

6.10 Action by the State Maritime Board (SMB)/ Port Authority

6.10.1 The SMB/ Port Authority and the Ship recycler shall be responsible for overall supervision of the ship recycling activities at the yard. The SMB/Port Authority may appoint required number of qualified safety officers/supervisors for vigorous supervisions of the ship recycling activities and for attending to rescue operation in case of necessity. This is in addition to the Officers/Inspectors appointed by the State Government under the Factories Act.

6.10.2 The SMB /Port Authority's Safety officer/ Supervisor and/or Factory Inspector and/or the members of Safety Rating Team – as may be constituted by the Port Authority/SMB for safety evaluation within the ship recycling yard - will periodically visit the ship recycling plots and shall bring to the notice of the Safety Officer/Safety Supervisor of respective plots, the incidents of unsafe practices that may be observed by him/them during such visits for necessary corrective action.

6.10.3 The SMB/Port Authority shall have the powers to suspend the cutting operations temporarily, in case any unfair practices or unsafe operations are observed in any of the ship recycling plots until the corrective measures are taken to the satisfaction of the SMB/Port Authority.

6.10.4 The SMB/ Port Authority shall provide to the Ship recycling yard/plot:

- i. water
- ii. sanitation facilities

6.10.5 The SMB/Port Authority shall provide adequate housing/dormitory facilities for workmen at suitable locations on cost recovery basis by way of rent from occupants with facilities for supply of drinking water, sanitation, electricity and shopping centre etc.

6.10.6 The SMB/Port Authority shall take up in a time bound manner the following steps:-

- i. To rationalize the leasing arrangements for the plots, including the appropriate time period for the lease, work out appropriate plot size and layout of the recycling facilities so that the ship-breaking operations could be undertaken in a well regulated and better organized manner with particular attention being paid to the requirements of safety, health and environmentally sound ship recycling operations management.
- ii. Setting up of a Model ship recycling Facility. This model facility may function as a demonstration/training facility, while being leased out to prospective plot holders for undertaking ship-breaking operations.

6.11 Training

6.11.1 Appropriate arrangement for handling ship recycling works shall be made by the SMB/Port Authority in a time bound manner to ensure that all the workers are trained. Arrangement shall be made to provide specialized training to handle gas detector and for handling of Asbestos and other hazardous materials. After such training, specialization certificates may be issued to the workers concerned.

6.11.2 Till the time separate training and certification arrangements are in place, the SMB/Port Authority may set up necessary temporary facilities for training and certification or authorize a competent agency to do so.

6.12 Other Miscellaneous Provisions

6.12.1 Drinking Water and water supply, overall sanitation and health care facilities to workers, including housing facilities shall be the responsibilities of the SMB/Port Authority and these authorities must cater these facilities within 12 months from the date on which this code comes into force.

6.12.2 In case any worker suffers from asbestosis cancer due to ship breaking occupation and such disabilities including loss of limbs or any part of body in accidents, the concerned ship recyclers or Ship Recyclers Association shall compensate the worker. The workers if detected for asbestosis and other diseases and disabilities due to ship recycling activities, Ship Recyclers shall have to re-employ the workers in less prone area as post disease plans and protect their livelihood.

6.12.3 Ship Recyclers shall provide the food/canteen facilities as per the provisions of the Factories Act to the ship recycling labors as per desired nutrition required by these labours for such jobs during noon time. The labours with weak and anemic conditions shall not be engaged by the ship recyclers. In such cases, if noticed by SMB/Port Authorities, the SMB/Port Authorities may and ship recyclers shall immediately remove such labours who are not fit for labour intensive jobs.

6.12.4 The SMB/Port Authority with the help of Health Department of the State Government shall create data base of health profile and health card of each labours to create base line health status of the labours engaged in the ship breaking industry.

CHAPTER -VII

Management of Occupational Safety and Health

7.1 Implementation of Occupational Safety and Health Management System

7.1.1 The process of improving working conditions at a ship recycling facility must be approached systematically in order to bring them up to reasonable standards. With a view to achieving acceptable occupational safety, health and environmentally sustainable conditions, investment in permanent structures for their continuous review, **planning, implementation, evaluation and action** is necessary. Occupational Safety and Health (OSH) management systems shall be implemented by each ship recycler. The systems shall be specific to the facilities and appropriate to their size and the nature of activities.

7.1.2. Typically, an OSH management system shall contain the following main elements:

- (a) OSH policy;
- (b) necessary conditions for the executing organization, i.e. establishment of responsibility and accountability, awareness and training, documentation, communication and information;
- (c) hazard and risk assessment, planning and implementation of OSH activities;
- (d) evaluation of OSH performance and to take corrective action for improvement.

7.2 Occupational safety and health policy

7.2.1 The OSH policy for the ship recycling facility shall include at least the following key principles and objectives to which the facility is committed:-

- (a) management commitment to, the occupational safety, health and environmental programmes;
- (b) recognizing OSH as an integral part of the overall management structure and OSH performance as an integral part of the facility's business performance.
- (c) protecting the safety and health of all workers of the facility by preventing work related injuries and diseases, ill health and incidents;
- (d) complying with relevant OSH national laws and regulations, voluntary programmes, collective agreements on OSH and other requirements to which the facility subscribes;
- (e) ensuring that workers and their representatives are consulted and encouraged to participate actively in all elements of the OSH management system; and
- (f) continual improvement of the performance of the OSH Management system.

7.3 Planning and implementation

7.3.1 Based on the results of the initial review, subsequent reviews or other available data, arrangements shall be made for adequate and appropriate OSH planning, which shall include:

- (a) a clear definition, priority setting and quantification, where appropriate, of the OSH objectives for the reduction of existing risks as low a level as possible;

- (b) preparation of a plan for achieving each objective, with defined responsibility and clear performance criteria indicating what is to be done by whom and when;
- (c) selection, planning and implementation of corresponding preventive and protective measures;
- (d) selection of measurement criteria for confirming that the objectives are achieved; and
- (e) provision of adequate resources, including human and financial resources and technical support, as appropriate.

7.4 Emergency preparedness

7.4.1 Emergency prevention, preparedness and response arrangements **shall** be established and maintained. These arrangements **shall** identify the potential for accidents and emergency situations, and address the prevention of OSH risks associated with them. Arrangements **shall** be made according to the location and environment of the ship recycling facility and also take into account the size and nature of activities associated with each ship recycling operation. These **shall**:-

- (a) ensure that the necessary information, internal communication and coordination are provided to protect all people in the event of an emergency at the facility;
- (b) provide information to, and communication with the relevant competent authorities, and the neighbourhood and emergency response services;
- (c) address first-aid and medical assistance, fire-fighting and evacuation of all people at the facility; and
- (d) provide relevant information and training to all members of the ship recycling facility, at all levels and according to their competence, including regular exercises in emergency prevention, preparedness and response procedures.

7.5 Reporting, recording and notification of work-related injuries and diseases, ill health and incidents

7.5.1 In the establishment, review and application of systems for the reporting, recording and notification of work-related injuries and diseases, ill health and incidents shall be developed.

7.5.2 Reporting, recording, notification and investigation of work-related injuries and diseases, ill health and incidents are essential for active monitoring and **shall** be undertaken to:

- (a) provide reliable information about occupational accidents and diseases at facility level;
- (b) identify major safety and health problems arising from ship recycling activities;
- (c) define priorities of action;
- (d) evolve effective methods for dealing with occupational accidents and diseases; and
- (e) monitor the effectiveness of measures taken to secure satisfactory levels of safety and health.

7.6 Notification of work-related injuries

7.6.1 All accidents at the work place shall be reported to the Directorate of Industrial Safety & Health (DISH) as per Section 88 and 88-A of Factories Act, 1948 and a copy of the same will be sent to SMB/Port Authority

7.6.2 Notification shall be made immediately which shall inter-alia contain:

- (a) an accident report for sending to the factory inspectorate and the SMB/Port Authority; and
- (b) a compensation report for sending to the insurance institution

7.7 Notification of occupational diseases

7.7.1 Notification of occupational diseases shall be in accordance with the provisions of Section 89 of the Factories Act, 1948 and the report of the Medical Officer shall include the following information:-

- (a) The name and full postal address of the patient;
- (b) the disease from which he believes the patient to be suffering; and
- (c) the name and address of the premises in which the patient is or was last employed.

7.8 Means of access and egress

7.8.1 Adequate and safe means of access and egress shall be provided for all workplaces during all ship recycling operations. These means shall be maintained in a safe condition.

7.8.2. Means of access to vessels shall be:

- (a) where practicable the ship's accommodation ladder, a gangway or a similar appliance; or
- (b) in other cases, ladders, stairs, or, if necessary, rope stepladders or similar appliances.

7.8.3. Means of access shall:-

- (a) be kept free from obstructions; if they pass through workplaces they shall be protected against falling objects;
- (b) as far as practicable be so installed that no loads pass over them. in any event, loads shall not be passed over the means of access while workers are on it.

7.8.4 Hatches, openings or any other means of access to holds, ships' decks or between decks shall be provided with safety barriers. If it is not practicable to provide fixed hold ladders, portable- metal ladders (or appropriate wooden ones) shall be provided. Rope ladders shall be used only as supplementary means of access to holds. All ladders shall be secured before being used.

7.9 Means of escape, in case of fire, or other dangers

7.9.1. Means of escape shall be kept clear at all times. Escape routes shall be frequently inspected and modified on the ship continuously according to the breaking progress. Where appropriate, suitable visual signs shall be provided to indicate clearly the direction of escape in case of fire.

7.9.2 Means of escape shall be:-

- (a) provided on the ship and from the ship during all breaking operations;
- (b) shown on plans which shall be posted at the access to and inside of the ship and landside facilities as appropriate.

7.10 Roadways, quays, yards and other places

7.10.1 Roadways, quays, yards, etc., where persons or vehicles move or are stationed shall be so constructed and maintained as to be safe for the traffic that they have to carry.

7.10.2 Yards and other places that are surrounded by fencing shall have separate gates for pedestrians and vehicles.

7.10.3 Dangerous crossings where transport of heavy objects is carried out shall be protected by automatic signals or gates whenever possible, or be guarded by watchmen.

7.11. Housekeeping

7.11.1 A suitable housekeeping programme shall be established and continuously implemented on each ship recycling facility and ship which shall include provisions for:-

- (a) the proper storage of materials and equipment;
- (b) the removal, at appropriate intervals, of scrap, waste and debris.

7.11.2 Loose materials which are not required for immediate use shall not be placed or allowed to accumulate on the site so as to dangerously obstruct means of access to and egress from workplaces and passageways.

7.11.3 Workplaces and passage ways that are slippery owing to oil or other causes shall be cleaned up or strewn with sand, sawdust, ash or the like materials.

7.11.4 Tools, bolts, nuts and other objects shall not be left lying around where they could create a tripping hazard.

7.11.5 Scrap, waste, rubbish and dirt shall not be allowed to accumulate at workplaces or in passageways.

7.11.6 Rubbish, dirt and refuse shall not be thrown overboard or in and around the yard but removed in an environmentally sustainable manner.

7.12 Scaffolds and ladders

- 7.12.1. Where work cannot safely be done on or around the yard or from part of a ship or other permanent structure, a safe and suitable scaffold, or other equally safe and suitable provision should be provided and maintained.
- 7.12.2. The competent authority shall establish and enforce laws, regulations or standards covering detailed technical provisions for the design, construction, erection, use, maintenance, dismantling and inspection of different kinds of scaffolds and ladders used.
- 7.12.3. Scaffolds shall be provided with safe, means of access, such as gangways, stairways or ladders. Ladders shall be secured against inadvertent movement.
- 7.12.4 Every scaffold and part thereof shall be:
- (a) designed so as to prevent hazards for workers and collapse or accidental displacement when properly used;
 - (b) designed so that guard rails and other protective devices, platforms, putlogs, rakers, transoms, ladders, stairs or ramps, as appropriate, can be easily put together;
 - (c) of suitable and sound material and of adequate size and strength for the purpose for which it is to be used and maintained in a proper condition.

7.13 Precautions against the fall of persons and materials

- 7.13.1. All openings through which workers are likely to fall should be kept effectively covered or fenced and clearly indicated in the most appropriate manner.
- 7.13.2. Adequate precautions shall be taken such as the provision of fencing, lookout men or barriers to protect any person who might be injured by the fall of materials, or tools or equipment being raised or lowered.
- 7.13.3. As far as practicable and in accordance with national laws and regulations, guard rails and toe boards shall be provided to protect workers from falling from elevated workplaces. Wherever the guard rails toe boards cannot be provided:
- (a) adequate safety nets or safety sheets shall be erected and maintained: or
 - (b) adequate safety harnesses shall be provided and used.
- 7.13.4. Where necessary to prevent danger, guys, stays or supports shall be used or other effective precautions shall be taken to prevent the collapse of structures or parts of structures that are being dismantled or demolished.
- 7.13.5 Waste materials or objects shall not be thrown down from heights. If material and objects cannot be safely lowered from heights, adequate precautions such as the provision of fencing or barriers shall be taken. Loose article shall not be left lying in places where they could fall on persons underneath. Workers employed at elevated workplaces shall be provided with containers for screws, bolts, nuts and the like.

7.14 Fire prevention and fire-fighting

7.14.1 All appropriate measures shall be taken by the employer to:

- (a) avoid the risk of fire;
- (b) control quickly and efficiently any outbreak of fire;
- (c) bring about a quick and safe evacuation of persons.

7.14.2. Sufficient and secure storage areas shall be provided for flammable liquids and solids and gases such as liquefied petroleum gas (LPG) tanks and acetylene cylinders, paints and other such materials.

7.14.3. Smoking shall be prohibited and "No Smoking" notices prominently displayed in all places containing readily combustible or flammable materials.

7.14.4. In confined spaces and other places in which flammable gases, vapors or dusts can cause danger:

- (a) only suitably protected electrical installations and equipment, including portable lamps, shall be used;
- (b) there shall be no naked flames or similar means of ignition;
- (c) there shall be notices prohibiting smoking;
- (d) oily rags, waste and clothes or other substances liable to spontaneous ignition shall be removed promptly without any delay to a safe place;
- (e) adequate ventilation shall be provided; and
- (f) persons wearing clothes likely to cause static electricity or shoes likely to cause sparks shall be excluded.

7.14.5. Combustible materials, greasy/oily waste and scrap wood or plastics shall be kept in closed metal containers in a safe place.

7.14.6. Regular inspections shall be made to places where there are fire risks. These include the vicinity of heating appliances, electrical installations and conductors, stores of flammable and combustible materials, hot welding and cutting operations.

7.14.7. Welding, flame cutting and other hot work shall only be done on the orders of a competent person after appropriate precautions, as required, are taken to reduce the risk of fire and explosion.

7.14.8. In accordance with the provisions of the relevant Acts and Regulations, places where the danger of fire exist, shall be provided with:

- (a) suitable and sufficient fire-extinguishing equipment, readily available, and easily visible and accessible;
- (b) an adequate water supply at ample pressure.

7.14.9. Fire-extinguishing equipment shall be selected and provided in accordance with the provisions of international and national laws and regulations, the results of the initial hazard identification and risk and assessment and based on the processes, identified in the safe ship recycling plan. Equipment deployed shall be suitable for and consistent with the following demands and applications:

- (a) the restricted access, egress and confined spaces inside the ship;

- (b) the quantity and characteristics of hazardous, flammable and explosive substances handled in ship recycling operations;
- (c) site transport and storage facilities; and
- (d) first-stage fire-fighting purposes (hand-held or trolley-mounted portable fire-fighting extinguishers). The extinguishing medium shall be selected according to identified hazards and risks and control measures.

7.14.10. Fire-extinguishing equipment shall be properly maintained in full working order and inspected at suitable intervals by a competent person. Access to fire extinguishing equipment such as hydrants, portable extinguishers and connections for hoses shall be kept clear at all times.

7.14.11 Suitable training, instruction and information shall be given to all supervisors and a sufficient number of workers about the hazards of fires, the appropriate precautions to be taken and the use of fire-extinguishing equipment, so that adequate trained personnel is readily available during all working periods. The training, instruction and information provided shall include, in particular:

- (a) the circumstances in which workers shall not attempt to deal with a fire themselves but shall evacuate the area and call in firefighters;
- (b) when and where to raise the alarm;
- (c) action to be taken in the event of fire, including the use of means of escape;
- (d) the correct use of fire-fighting and fire-protection equipment, for workers expected to use it;
- (e) the toxic nature of the fumes given off and first-aid measures;
- (f) the proper use of appropriate personal protective equipment; and
- (g) evacuation plans and procedures.

7.14.12. Sufficient and suitable areas should be provided for flammable liquids and solids adhering to the provisions stipulated in the relevant acts and rules for storage of such materials and suitable and effective means (sight and sound signals) to give warning in case of fire shall be installed. There shall be an effective evacuation plan so that all persons are evacuated speedily without panic.

7.14.13. Notices shall be posted at conspicuous places indicating, if applicable, the:

- (a) nearest fire alarm;
- (b) telephone number and address of the nearest emergency services; and
- (c) nearest first-aid post.

7.15 Dangerous atmospheres and confined spaces

7.15.1 Where workers are required to enter any area in which a toxic or harmful substance may be present, or may have been present, or in which there may be an oxygen deficiency or a flammable atmosphere, adequate measures shall be taken to guard against danger.

7.15.2. The measures regarding dangerous atmospheres to be taken shall be prescribed by the competent authority in conformity with the IMO recommendations for entry into enclosed spaces aboard ships and shall include prior permission from a competent person, or any other system by which entry into any area in which a dangerous atmosphere may be present can be affected only after completing specified procedures.

7.15.3. Inside a confined space or area, no naked light or flame or hot work shall be permitted unless it has been made completely free of the flammable atmosphere, tested and found safe by a competent person. Only non-sparking tools and flameproof hand lamps protected with guard and safety torches shall be used inside such confined space or area for initial inspection, cleaning or other work required to be done for making the area safe.

7.15.4. While a worker is in a confined space:-

(a) adequate facilities and equipment including breathing apparatus, first-aid kit, resuscitation apparatus and oxygen shall be readily available- for rescue purposes;

(b) a fully trained attendant or attendants shall be stationed at or near the opening; and

(c) suitable means of communication shall be maintained between the worker and the attendant or attendants.

7.16 Signs, notices and colour codes

7.16.1. Signs and symbols are very effective methods for warning against hazards and for presenting information in a non-linguistic form. Safety signs and notices shall conform in shape and colour to the requirements of the competent authority.

7.16.2. The contents of portable fire extinguishers shall be indicated by a colour code in compliance with the requirements of the competent authority. Each fire extinguisher shall have a label affixed to it providing instructions for its use.

7.16.3. Various standards exist for the colour coding of electrical wiring. Care shall always be taken to ensure that personnel are aware of the meaning of the core colours on board each ship. If a replacement is required, it shall be in accordance with the coding system.

7.16.4 All gas cylinders should be clearly marked with the name and symbol of the gas and the body should be colour coded as per the relevant BIS. A copy of the colour coding shall be displayed at conspicuous place in the cylinder storage yard. A separate place shall be earmarked for storage of empty cylinders.

7.17 Prevention of unauthorized entry

7.17.1 Visitors shall not be allowed access to ship breaking facilities or ships, as appropriate, unless accompanied by or authorized by a competent person and provided with the appropriate protective equipment.

7.17.2 Appropriate arrangements concerning access by workers representatives shall be established in accordance with the provisions of national laws and regulations or of collective agreements.

CHAPTER-VIII**MISCELLANEOUS AND PENALTY PROVISIONS****8.1 Actions to be taken in the event of an accident on any plot and/or on the ship or for non-compliance of any of these regulations.**

8.1.1 The ship-recycler shall report in writing to the Factory Inspector. Port Authority about any accident/fire/explosion which occurred on the plot and a ship, immediately as it occurs. In the event of death of the worker, the ship recycler shall also inform the Police Authority, nearest relative and District Magistrate or Sub-divisional magistrate.

8.1.2 In the event of any accident/fire/explosion on any plot and/or on any ship leading to a death or serious bodily injury to any person or for the non-compliance of any of these Code Regulations, resulting in any accident on any plot and/or on the ship, the following actions shall be taken:

- (a) In the event of major fire/explosion/accident causing damages with or without death or serious bodily injury to any person, all activities related to ship recycling on the plot be suspended forthwith by the port authority with immediate effect for a minimum period of 5 (five) days with a maximum period of 30 days. During this period, State Maritime Board/Port Authority shall carry out detailed investigation through a team comprising of professionals having experience and qualification of Industrial Safety and Health Management, Naval Architecture/Marine Engineering, Environment and Pollution Control. During such period the investigation team appointed by the SMB/Port Authority shall thoroughly inspect the plot/yard and get into the cause of incident and direct respective plot holder to rectify the same and restore safe working environment prior to resumption of operation within 30 days. If not restored the situation within 30 days, the time limit for closure of the plots shall be extended till the inspecting team satisfy itself for compliance.
- (b) Legal action on the case of any accident injury/non-compliance with the provisions of the Factories Act, 1948 shall rest with the DISH. Inspector of Factory shall enquire into every fatal accident and serious injuries to any person on any plot for on the ship, as per Section 88 of the Factories Act, 1948.
- (c) For all the cases of fire/accident/explosion leading to a death or serious bodily injury to any person, an inquiry shall be commissioned by a team comprising authorised person(s) of DISH as mentioned in (a) above and shall file the inquest report on which the DISH shall initiate penal action, if any.
- (d) The State Government/SMB/Port Authority if it considers it expedient may appoint a competent person to enquire into the causes as per Section 90 of the Factories Act, 1948.
- (e) The penalties and procedure for initiating legal action should be as per the provisions of Chapter X –Penalties and Procedures – Section 92 – 106 A of the Factories Act 1948

8.2 Appeal provision

The ship recycler on whom an order in writing by the Factory Inspector has been served under the provisions of the Factories Act, 1948 or the SMB/Port Authority may within 30 days of service of the order appeal against the prescribed authority and such authority may, subject to rules made in this behalf by the State Government may modify or reverse the order. The Appeal shall be against the Secretary (Labour) of the State Government.

8.3 Miscellaneous

8.3.1 The ship-recycling yard/Ship breaking yard under SMB/Port Authority or Port Trust or private operator shall provide basic infrastructure within a maximum of 2 (two) years period from the date of entry into force of this code of regulations. The basic infrastructure shall have a minimum of the following facilities.

- i. Hydrant system for fire fighting purpose.
- ii. Potable drinking water supply.
- iii. Drainage/Sewerage system.
- iv. Street lighting facilities.
- v. Domestic waste management system.
- vi. Internal Roads and connectivity to main Highways
- vii. Administrative Buildings and Training Institutes
- viii. Common Sanitary Blocks for labors and other primary amenities like community centers, labor welfare centers.

8.3.2 The above services may be regulated either by the State Maritime Board (SMB)/Port Authority or such authorities appointed by the State Government or by a body constituted by SMB/Port Authority which shall have the authority to regulate all services, levy duty/cess, and collect operational and maintenance expenses. Such authority shall be responsible for functioning, operation, and maintenance of above facilities.

8.3.3. Further, SMB/Port Authority/Or Such Other authorities/ Owner of such yard will develop and protect the area by removing encroachments, by taking up beautification and afforestation activities.

8.3.4 Housing facilities for the labourers shall be provided by suitable mechanisms such as by creation of a Trust. The Trust may include members of ship recycling association, the SMB/Port Authority representatives, District Collectorate Officials, Labor Officer and Laborers' representatives.

8.3.5 The Labour Department shall ensure that laborers are paid as per minimum wages rules and no exploitation of the ship recycling laborers be made by the ship breakers.

8.3.6 In the event of any question arising out of the interpretation of any of the clauses of the regulations, the decision of the Ministry of Shipping shall be final.

8.3.7 Unless the context otherwise requires, the other terms used in the Code shall have the meaning assigned to them under the Acts such as Petroleum Act, 1934; Petroleum Rules, 2002; Factories Act, 1948 and the respective State Factories rules: Water Pollution (Prevention and Control) act, 1974; Gas Cylinder Rules, 2004; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; the Merchant Shipping Act, 1958, Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981; Explosive Act, 1884 and Explosive Rules, 2008; Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008; the Environment (Protection) Act, 1986; the various Regulations and Rules framed under these Acts and Rules including Gujarat Maritime Board Ship Recycling Regulations-2003 and also other applicable Acts and Rules of the State Governments for ship recycling as notified from time to time.

8.3.8 Import of ships destined for recycling under this Code shall be subject to the Import and Export Policy of the Government of India as well as relevant provisions laid down under various Acts/Rules as amended from time to time. At present such import is permitted under Open General License vide tariff item 89.08. Department of Revenue of the Ministry of Finance in consultation with World Customs Organization vide circular No.37/96 dated 3rd July 1996 has clarified that, apart from the ship, what all is contained in the ship such as spares etc. are also covered under tariff item 89.08.

8.3.9 The Code shall be applicable to all ship recycling activities in India. Under item 1.3.4 the concerned Port Authority/State Maritime Board or the concerned State government, while granting permission for ship recycling, yard/plots under their control, the approval and authorization for carrying out ships recycling activities shall seek approval, licensing and registration of the factory as per Section 6 of the Factories Act, 1948 from the Directorate of Industrial Safety and Health/State Factories Directorate.

8.3.10 However, the Ministry of Shipping, Government of India and the respective Port Authorities/State Maritime Boards or the concerned Department of the State Government reserve the right to give specific exemptions for undertaking recycling/breaking of ships grounded at any other sea front other than a recognized ship recycling plot or yard. These regulations do not apply to the ships, which are grounded and defined as wrecks. For removal of a wreck, the relevant rules under the Merchant Shipping Act, 1958 shall apply.

8.3.11 A ship delivered physically for recycling purpose shall not be subject to any claims or maritime lien arising against any former owner of the ship.


8.3.12 The applicability of the Code will be mandatory for all the implementing authorities involved.

8.4 Amendment Provisions for the Code

8.4.1 This code regulations may be amended by the Ministry of Shipping, Government of India, in the following circumstances:-

- i. On ratification of the International Maritime Organization (IMO) Convention on ship recycling by the Government of India and any subsequent changes to the IMO Convention on ship recycling;
- ii. On amendments of other rules and regulations by the Government of India having a bearing on the Code; and
- iii. On consideration of the Ministry of Steel, Government of India, on requests from the other Central Ministries/Departments, the State Maritime Boards /Port Authorities and other Stakeholders for carrying out requisite amendments, in the event of any practical difficulties in the implementation of the provisions of this Code.

Appendix-1



Annexure-I

Initial Reporting by the Ship Owner regarding their ship(s) to be sent to the States (Recycling Yards)

1.0 A ship-owner shall notify the concerned Administration as specified in the IMO Ship Recycling Convention (yet to be ratified) in due time and in writing, of the intention to recycle a ship in order to enable the Administration to prepare for the survey and certification as required by the IMO Ship Recycling Convention.

1.1 A Ship Recycling Facility when preparing to receive a ship for recycling shall notify in due time and in writing to the Competent Authority (ies) of the intent. The notification shall include the following ship details:

- i. name of the State whose flag the ship is entitled to fly;
- ii. date on which the ship was registered with that State;
- iii. ship's identification number (IMO number);
- iv. hull number on new-building delivery;
- v. name and type of the ship;
- vi. Expected time of arrival;
- vii. port at which the ship is registered and last port clearance;
- viii. name and address of the Ship-owner as well as the IMO registered owner identification number;
- ix. name and address of the company as well as the IMO company identification number;
- x. inventory of Hazardous Materials as per Appendix-III of Hong Kong Convention of Ship Recycling on board the ships' structures (This will be made mandatory once the Convention is ratified, other wise common IHM Inventory may be sufficient for knowledge of hazardous materials by the ship recycling yards);
- xi. cargo free certificate issued by the last port authorities;
- xii. name of all classification society(ies) with which the ship is classed;
- xiii. ship's main particulars –{Length overall (LOA)}, Breadth (Moulded), Depth (Moulded), Lightweight, Gross and Net tonnage, and engine type and rating); and
- xiv. inventory of Hazardous Materials; and International Ready for Recycling Certificate.

Signature of owner:

Seal of his Company:

Telephone No:

Fax No.:

E-mail ID:

Date:

Annexure-II

To,

The Port Authority/State Maritime Board

Sub: Application for beaching permission.

Dear Sir,

I/We am/are having licensed to beach and break ships on plot no. _____ apply for granting permission to beach ship on my/our plot. Required information is given below.

1. Name of the applicant:
2. Plot No.:
3. Size of the plot:
4. Last vessel beached on:
5. LDT of the last vessel:
6. Present status of the last vessel beached. (If it is under recycling, percentage yet to be dismantled shall be indicated.)
7. Details of vessel to be beached:-
 - (a) Name:
 - (b) Flag:
 - (c) Origin:
 - (d) Type:
 - (e) LDT:
 - (f) ETA:
 - (g) Last port visited and Last Port Clearance certificate.
 - (h) Cargo handled during last '3' voyages:
 - (i) Live or dead vessel:

8. Certified that,

- i. All the information given are true to my best knowledge.
- ii. All the debris other than clean scrap are removed from sea/sea shore and disposed in approved manner.

- iii. Gas free certificates viz. (a) for entry into wet or dry dock (b) for man entry (c) gas free certificate for work are obtained from the explosive department and enclosed if the vessel is Oil Tanker which is attached as Annexure:
 - iv. Certificate from master of ship is attached as Annexure:
 - v. Certificate of entry as per Section 36 of the Factories Act is obtained from competent person and attached as Annexure:
 - vi. Present status of the total width of the ship/ships along with ship to be beached is less than 5 metres of the width of the plot.
9. Documents attached:
- (a) Original MOA between buyer and seller
 - (b) Challan for payment made to port
 - (c) Customs NOC with challan
 - (d) SPCB authorization
 - (e) Copy of Registered Certificate from TDSF operator
 - (f) Master Certificate (Gas free, CO₂, No hazardous material)
 - (g) Survey report - original
 - (h) Original physical delivery certificate
 - (i) For oil petroleum, gas free certificates issued by an officer of Petroleum and Explosives, Safety Organization, Government of India. In case of Chemical Carrier - Certificate from competent persons under the provisions of the Factories Act, 1948.
 - (j) For oil tankers, gas free certificates issued by an officer of Petroleum and Explosives, Safety Organization, Government of India. In case of LPG/LNG tanker or chemical carrier, certificates from competent persons under the provisions of the Factories Act, 1948.
 - (k) Undertaking on Rs.100 stamp paper with name, full address and contact.

(For office use only)

1. Date of receipt of application
2. Received by:
3. Beaching permission granted on:

Annexure-III

To,

The Port Authority/State Maritime Board

Sub: Application for recycling permission.

Dear Sir,

I/We am/are having licensed to beach and break ships on plot no.____ apply for granting permission to break ship on my/our plot. Required information is given below.

1. Name of the applicant:
2. Plot No.:
3. Size of the plot:
4. Present status of the vessel under cutting:
5. Details of vessel to be broken.
 - (a) Name:
 - (b) Type:
 - (c) LDT:
6. Certified that:-
 - (i) All the information given are true to my best knowledge.
 - (ii) Certificates viz. (a) for man entry in to confined spaces likely to contain dangerous fumes & insufficient oxygen, as per the Rules 68-H made under sections 36,41&112 of the Factories Act, 1948 issued by the Competent Person. (b) Naked Light Certificate (Hot Work Permit) as per the Rules 68-H made under sections 41 & 112 of the Factories Act, 1948 as issued by the competent person (c) Receipt giving evidence of Custom Clearance of the ship (d) Certified copy of authorization and consent from the State Pollution Control Board for ship recycling activity; are enclosed as Annexure: . A copy of Ship Specific Dismantling Plan is attached.

Annexure-IV**UNDERTAKING**

I, the undersigned, hereby certify that:-

- (a) All kinds of petroleum products such as oil, fuel in tank etc. and gas, including CO₂, gas of the ship have been emptied and evacuated and shall be thoroughly cleaned prior to undertaking cutting operation.
- (b) No unauthorized decanting of gas cylinder/s and/or tiling of cylinder/s with gases such as Freon, Ammonia, Carbon Dioxide etc., is carried out on the plot or within the ship recycling yard as per Gas Cylinder Rules-1981.

Signature:

(Name of the official)

(For office use only)

1. Date of receipt of application:
2. Received by:
3. Beaching permission granted on:

Annexure V

(FORMAT FOR INFORMATION ON RADIOACTIVE MATERIAL CONTAINED IN THE SHIP, TO BE PROVIDED BY THE SHIP RECYCLER BEFORE ANCHORING)

- 1) Name of the Ship :
- 2) IMO Identification No :
- 3) Flag of the country:
- 4) Call Sign :
- 5) Name of the Master of the ship and his nationality :
- 6) Details of radioactive material contained in the ship while the ship was in service:

Sr. No.	Name of radionuclide	No. of sources*	Total activity (Curies)	Location of the sources in the ship	Purpose of the sources

7. Details of radioactive material present in the ship at the time of anchoring:

Sr. No.	Name of radionuclide	No. of sources*	Total activity (Curies)	Location of the sources in the ship	Purpose of the sources

*In case of sources contained in devices, details of the type of device, its make and model number is to be given

Undertaking

I hereby certify that:-

All the statements made above are correct to the best of my knowledge and belief.

Name and signature of the Master of
the Ship/ Representative of the Recycler:
Designation:

Place:

Date:

Seal of the company

Annexure VI

(FORMAT FOR INFORMATION ON DESK REVIEW DURING ON BOARD VERIFICATION OF A SHIP FOR PRESENCE OF ANY RADIOACTIVE MATERIAL)

- 1) Name of the Ship:
- 2) IMO Identification No:
- 3) Flag of the country:
- 4) Call Sign
- 5) Name of the Master of the Ship and his nationality:
- 6) Details of the permission issued for anchoring of the ship:
- 7) Results of verification of the information provided in Annexure VI:
- 8) Details of any radioactive material recovered from the ship after anchoring:

Name(s) and signature(s) of the:
Inspecting Team of the State Maritime Board/Port Authority:
Designation(s):

Name of the organization:
Place:
Date:

C. A. JOSEPH
Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi-110115, the 15th February 2013

RESOLUTION

No. 2-18/2011-PN-I—In partial modification of this Department's Resolution of even number dated 18th May, 2012, the Government of India have decided to include the following as Ex-officio Member under Sl. No. 6 of the Annexure to the Resolution :—

- (1) Chairman (or a Member nominated by the Chairman), National Commission for Scheduled Castes
- (2) Chairman (or a Member nominated by the Chairman), National Commission for Scheduled Tribes
- (3) Chairman (or a member nominated by the Chairman), National Commission for Minorities

2. In addition to above, it has also been decided to nominate the following against vacancies of the Annexure to the Resolution :—

- | | |
|---|---|
| (1) Shri Ajit Balakrishnan, CEO, Rediff.com & Chairman BoG, IIM-Calcutta (vice Shri Shiv Nadar, Chairman, HCL Technologies) | — as a Nominated Member representing Industry with interest in education under Sl. No. 8(a) of the Annexure to the Resolution |
| (2) Prof. Ashok Mishra, former Director IIT-Bombay and Chairman, Joint Admission Board, IIT-JEE (against vacancy) | — as a Nominated Member representing Academician/Technologist/Scientists under Sl. No. 8(b) of the Annexure to the Resolution |
| (3) Prof. Sabyasachi Bhattacharya, Chairman, Indian Council for Historical Research (ICHR) (against vacancy) | — as a Nominated Member representing Academician/Technologist/Scientists under Sl. No. 8(b) of the Annexure to the Resolution |

- | | | |
|-----|---|---|
| (4) | Prof. Mahendra Lama, Vice Chancellor, Sikkim University (vice Prof. David R. Syiemlieh, VC, Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh | — as a Nominated Member representing Special Interests under Sl. No. 8(c) of the Annexure to the Resolution |
| (5) | Shri Anurag Kashyap, Film Director and Screenwriter
(against vacancy) | — as a Nominated Member representing Creative Arts under Sl. No. 8(e) of the Annexure to the Resolution |
| (6) | Ms. Kala Iyer,
Director, Genesis Media (P) Ltd.
(against vacancy) | — as a Media Representative under Sl. No. 9 of the Annexure to the Resolution |

2. The Annexure to the aforesaid Resolution will stand modified to the extent of incorporating the above inclusion/modifications.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and a printed copy of Gazette of India be sent to the undersigned.

AMIT KHARE
Joint Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th February 2013

RESOLUTION

No. 3-17/2011-Akademies—In accordance with Rule 5(i) of the Rules and Regulations of the Lalit Kala Akademi, the President of India hereby appoints Shri Kalyan Kumar Chakravarty as Chairman of the Lalit Kala Akademi, New Delhi with immediate effect. Shri Chakravarty will hold office till the end of the calendar year in which he completes 70 years of age i.e. upto 31.12.2017.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to (a) Secretary, Lalit Kala Akademi, Rabindra Bhawan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001 and (b) Shri Kalyan Kumar Chakravarty, B-15 (8th Floor), Delhi Administration Officers' Flats, Sector-D-2, Near DDA Sports Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070; and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAMOD JAIN
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013